खण्ड–11, अंक–5
शुक्रवार, श्रावण 01, शक संवत् 1926
(23 जुलाई, 2004 ई०)

उत्तरांचल विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(प्रथम विधान सभा)
(प्रथम सत्र, 2004)

(खण्ड 11 में 7 अंक हैं)

उत्तरांचल विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तरांचल (भारत)
2004

मूल्य–

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	क
उत्तरांचल में मिनिस्ट्रीयल सर्विसेज कर्मचारियों की हड़ताल एवं सूखे की स्थिति को बी0जे0पी0, बी0एस0पी0 एवं यू0के0डी0 के सदस्यों द्वारा नियम 311 में उठाये जाने की मांग	1–2
प्रश्नोत्तर	2–64
जनपद टिहरी गढ़वाल के घनसाली तहसील के ग्राम अखोड़ी में विद्युत लाइन बिछाने/निर्मित होने के उपरान्त भी गांव वासियों को विद्युत कनेक्शन न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	65
सचिवालय सेवा के कतिपय अधिकारियों/कर्मचारियों की पदोन्नति एवम् वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप से प्रकाशित न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	65–66
सन् 2001 से रोके गये लीसा मजदूरों के भुगतान के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	66
'कार्बेट फॉल' काला ढूंगी, जनपद नैनीताल में पर्यटकों के लिए सुरक्षात्मक प्रबन्ध किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	67
महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून की हैण्ड बॉल की 24 खिलाड़ियों द्वारा साई के प्रशिक्षक पर यौन उत्पीड़न की लिखित शिकायत दर्ज कराने के उपरान्त भी कार्यवाही न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	67
जनपद रुद्रप्रयाग तथा चमोली में स्थित संस्कृत महाविद्यालयों की परीक्षायें मूल जनपद में ही कराये जाने एवं छात्रों द्वारा पूर्व में किये गये परीक्षा बहिष्कार की परीक्षा पुनः कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	68
श्री अजय भट्ट द्वारा औचित्य के प्रश्न की सूचना को उठाने का प्रयास ...	68–69
जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव के नौगांव–गोडर पट्टी के केन्द्रीय स्थल औडगांव में हाई स्कूल खुलवाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गई)	69
जनपद उत्तरकाशी में नाकुरी–सिगोट इत्यादि मोटर मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गई)	69

विषय | पृष्ठ संख्या

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव के मुलाणा मैदान के समीप यमुना नदी पर पैदल झूला पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गई) 69

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव के स्यानाचट्टी में हाईस्कूल खुलवाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गई) 70

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कण्डारी के इण्टर स्तर तक उच्चीकरण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गई) 70

श्री मदन कौशिक, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 63–64 में दी गई विशेषाधिकार हनन की सूचना पर माननीय अध्यक्ष का निर्णय (अग्राह्य) 70–71

कार्यमंत्रणा समिति के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ... 71–72

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें 72–104

वित्त मंत्री के सदन में उपस्थित न होने पर व्यवस्था का प्रश्न ... 104–105

वित्तीय वर्ष, 2004–2005 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा (जारी) ... 105–131

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें 131

जनपद टिहरी के ताली पंवाली कांठा में वज्रपात होने से भेड–बकरियों की अकाल मृत्यु से भेड पालकों को हुए नुकसान का मुआवजा एवं सहायता राशि दिये जाने के सम्बन्ध में श्री बलबीर सिंह नेगी, सदस्य विधान सभा द्वारा दी गई सूचना पर वक्तव्य ... 131

धारी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पेयजल हेतु नलकूप तथा पेयजल लाईन का कार्य प्रारम्भ न होने के सम्बन्ध में श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गई सूचना पर केवल वक्तव्य 132–133

नत्थी 134–136

उपस्थिति

1–श्री अजय भट्ट
2–श्री अनिल नौटियाल
3–डा0 अनुसुया प्रसाद मैखुरी
4–श्रीमती अमृता रावत
5–श्री अरविन्द पाण्डे
6–श्रीमती आशा देवी
7–श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
8–श्री उम्मेद सिंह मांजिला
9–श्री काशी सिंह ऐरी
10–श्री किशोर उपाध्याय
11–श्री कैलाश शर्मा
12–श्री कौल दास
13–श्री गगन सिंह
14–श्री गणेश प्रसाद गोदियाल
15–श्री गोपाल सिंह राणा
16–श्री गोबिन्द लाल
17–श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल
18–श्री चन्द्रशेखर
19–श्री जोत सिंह
20–श्री तसलीम अहमद
21–श्री तिलक राज बेहड
22–श्री तेजपाल सिंह रावत
23–श्री दिनेश अग्रवाल
24–श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी
25–श्री नव प्रभात
26–श्री नारायण पाल
27–श्री नारायण राम आर्य
28–श्री नारायण सिंह जंतवाल
29–काजी निजामुद्दीन
30–श्री प्रकाश पंत
31–डा0 प्रताप बिष्ट
32–श्री प्रदीप टम्टा
33–श्री प्रीतम सिंह
34–श्री प्रीतम सिंह पंवार
35–श्री प्रेमानन्द महाजन
36–श्री फूल सिंह बिष्ट
37–श्री बलबीर सिंह नेगी
38–श्री बिजयपाल सिंह सजवाण
39–श्री बिशन सिंह चुफाल
40–श्री भगत सिंह कोश्यारी
41–श्री मदन कौशिक
42–श्री मंत्री प्रसाद नैथानी
43–श्री महेन्द्र भट्ट
44–श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मदू भाई)
45–श्री मातबर सिंह
46–श्री माल चन्द्र
47–चौ0 यशवीर सिंह
48–श्री रणजीत सिंह
49–श्री रस्सैल वैलेन्टाइन गार्डनर
50–श्री राम प्रसाद टम्टा
51–श्रीमती विजय बडथ्वाल
52–श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी
53–श्री शूरवीर सिंह
54–श्री सहजाद
55–श्री साधू राम
56–श्री सुबोध उनियाल
57–श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल
58–श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी
59–श्री सुरेश चन्द
60–श्री हरबंस कपूर
61–श्री हरभजन सिंह चीमा
62–श्री हरीदास
63–श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल
64–श्री हीरा सिंह बिष्ट
65–श्री हेमेश खर्कवाल
66–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

शुक्रवार, दिनांक 23 जुलाई, 2004 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में पूर्वाह्न 11.00 बजे अध्यक्ष श्री यशपाल आर्य की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उत्तरांचल में मिनिस्ट्रीयल सर्विसेज कर्मचारियों की हड़ताल एवं सूखे की स्थिति को बी0जे0पी0, बी0एस0पी0 एवं यू0के0डी0 के सदस्यों द्वारा नियम 311 में उठाये जाने की मांग

(भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी तथा उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े हो गए।)

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, आज पूरे प्रदेश में तृतीय श्रेणी कर्मचारियों ने 19 तारीख से काम ठप्प कर रखा है। सचिवालय में तो काम ठप्प हुआ ही है। यह बहुत गम्भीर मामला है। मान्यवर, हमने नियम 311 में सूचना दी है। आज पर्वतीय क्षेत्रों में हिल सर्टीफिकेट तक नहीं बन रहे हैं। स्कूलों में एडमीशन तक नहीं हो रहे हैं। पूरे उत्तरांचल का काम ठप्प पड़ा है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जाएं।

(भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी तथा उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 311 के अन्तर्गत श्री नारायण सिंह जंतवाल, श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी, श्री भगत सिंह कोश्यारी, श्री अजय भट्ट, श्री महेन्द्र भट्ट, श्री मातबर सिंह, श्री काशी सिंह ऐरी, श्री हरीदास तथा श्री प्रकाश पंत की सूचना प्राप्त हुई है, जो प्रदेश में मिनिस्ट्रीयल सर्विसेज के कर्मचारियों द्वारा कार्य ठप्प करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। कल मैंने इस सम्बन्ध में आपको सुन लिया है।

(व्यवधान)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, कल का मामला सिर्फ सचिवालय कर्मियों का था। यह मामला पूरे उत्तरांचल का है। आज सारी व्यवस्था ठप्प हो गयी है। यह तात्कालिक विषय है।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना को मैं नियम 58 में सुन लूंगा।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, नियम 311 में मेरी भी एक सूचना है। आज उत्तरकाशी का समूचा क्षेत्र सूखे से प्रभावित है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जाएं।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि कृपया प्रीतम सिंह पंवार जी को सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना प्राप्त हो गई है, जो पूरे प्रदेश में सूखे से सम्बन्धित है। मैं माननीय पवार जी, ऐरी जी के साथ आपको सुन लूंगा।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत उत्तरकाशी, टिहरी व पौढ़ी में टैक्सटाइल, फैशन डिजाइनिंग प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्रों की स्थापना

**1–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2003 में राज्य के 03 जनपदों उत्तरकाशी, टिहरी एवं पौढ़ी गढ़वाल के लिये स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत टैक्सटाइल एवं फैशन डिजाइनिंग प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र की स्वीकृति ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई थी?

यदि हाँ, तो क्या उक्त प्रशिक्षण संस्थानों ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है?

यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्यमंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

जी हाँ।

जनपद पौढ़ी के श्रीनगर केन्द्र में बी0पी0एल0 परिवारों के 83 स्वरोजगारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शेष जनपदों में प्रशिक्षण प्रारम्भ करने की प्रक्रिया जारी है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने स्वीकार किया है कि उत्तरांचल में महिलाओं को स्वावलम्बी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए जनपद उत्तरकाशी, टिहरी एवं पौढ़ी गढ़वाल के लिए स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत टैक्सटाइल्स एवं फैशन डिजाइनिंग के प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र की स्वीकृति ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2003 में प्रदान की गई थी। इस परियोजना की स्वीकृति भारत सरकार

के द्वारा उत्तरांचल सरकार को प्राप्त हो गई है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि परियोजना का कार्यकाल कब तक के लिए है और परियोजना में विभिन्न जनपदों के किन–किन क्षेत्रों के गांव शामिल किये गये हैं तथा क्या लाभार्थियों का चयन कर लिया गया है? कुल कितने लाभार्थी हैं?

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री नव प्रभात)–

मान्यवर, योजना की स्वीकृति अप्रैल, 2003 में मिल गई थी, योजना का कार्यकाल तीन वर्ष का है तथा लाभार्थी चयन का कार्य किया जा रहा है। योजना का संचालन पौड़ी जनपद में, टिहरी जनपद में तथा उत्तरकाशी जनपदों में क्रमशः खिर्सू, कल्जीखाल, थौलधार एवं चिन्याली सौड़ विकास खण्ड में प्रारम्भ किये गये हैं।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, क्या लाभार्थियों का चयन कर लिया गया है?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, लाभार्थियों का चयन किया जा रहा है।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मुझे जानकारी मिली है कि लाभार्थियों का चयन कर लिया गया है। मान्यवर, जनपद पौड़ी, उत्तरकाशी तथा टिहरी में कब से प्रशिक्षण देना शुरू हो जायेगा?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, योजना की स्वीकृति में यह शर्त लगा दी थी कि ट्रेनिंग का कार्य पौड़ी जनपद से शुरू किया जायेगा। मान्यवर, पौड़ी जनपद में कार्य शुरू कर दिया गया है। इस कार्यक्रम के तहत पहले वर्ष में जो कार्य पूरे किये वह तीन महीने पहले ही पूरे कर लिये गये हैं। इस प्रकार हम तीन महीने से एडवांस चल रहे हैं। शेष स्थानों पर यदि भवनों की व्यवस्था हो जाए तो प्रशिक्षण कार्य शुरू हो जायेंगे। यदि 4 कमरों के भवनों की व्यवस्था आपके क्षेत्र में है तो हमें प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ करने में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, पौड़ी से शुरू करने के आदेश भारत सरकार के रहे होंगे। फिर भी माननीय अध्यक्ष जी, अभी दो जनपद रह गये हैं उत्तरकाशी और टिहरी। इन जनपदों में प्रशिक्षण का कार्य कितनी जल्दी प्रारम्भ हो जायेगा? स्पैसिफिक समय बता दें।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, पहले हमें पौड़ी में भवन निर्माण की स्वीकृति नहीं मिली है। मान्यवर, हमें एक उपयुक्त भवन की व्यवस्था करनी है। भवन निजी क्षेत्र से लेना है, स्थलों का चयन किया गया है। जैसे ही भवन उपलब्ध होंगे यह योजना चालू हो जायेगी।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, भवन उपलब्ध करने की जिम्मेदारी किस विभाग की है, क्या वे विभाग इतने सक्षम नहीं हैं कि स्थलों का चयन कर सके? कृपया आप इसके लिए एक निश्चित समय सीमा तय करने की कृपा करें।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, यह व्यवस्था सी0डी0ओ0 को करनी है, जैसे ही भवन उपलब्ध होंगे हम समुचित कार्यवाही करेंगे।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, इसमें राज्य और केन्द्र दोनों का हिस्सा होता है और यह कितना है तथा अब तक इसमें कितने समूह रखे गये हैं?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, परियोजना की लागत 315.80 लाख है इसमें राज्यांश 60.89 लाख तथा केन्द्रांश 182.67 लाख है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, इसमें कितने लोगों को प्रशिक्षित किया जायेगा?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, एक प्रशिक्षण केन्द्र पर 150 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित किया जायेगा तथा एक समय में कम से कम 50 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मेरे विधान सभा के थौलधार, ब्लॉक, तमाम टिहरी में हमने इस परियोजना का प्रचार–प्रसार किया था इसके लिए स्थल के लाभार्थियों का चयन कर दिया था, फिर इस पर रोक कैसे लग गयी?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, रोक नहीं लगायी गयी है। वहां भी प्रशिक्षण शुरू होना है।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, यह गम्भीर मामला है।

(व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध है कि यह मामला गम्भीर है इसलिए इस पर जांच होनी चाहिए तथा इस पर शीघ्रातिशीघ्र निर्णय होना चाहिए।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, इसकी रिपोर्ट आज शाम तक उपलब्ध करा देंगे, उपवेशन उठने से पहले तक।

श्री फूल सिंह बिष्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जनपद टिहरी गढ़वाल में इस योजना का चयन पौखाल में किया गया तो चयन की प्रक्रिया को किस आधार पर किया जाता है, कौन करता है? मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि प्रतापनगर क्षेत्र पूरी तरह से बांध से प्रभावित है और वहां के तमाम लोगों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र दूर पड़ रहे हैं, तो क्या वहां प्रशिक्षण केन्द्र की आवश्यकता नहीं होगी?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, प्रत्येक जगह से बी0पी0एल0 के परिवारों से लाभार्थियों का चयन किया। श्रीनगर केन्द्र से जो लोग दूर हैं उनके लिए बस की व्यवस्था की गई और आस–पास में प्रशिक्षण केन्द्र के लिए प्रयास किया जा रहा है। जो क्षेत्र छूट जायेगा उसकी योजना बना लेंगे।

श्री फूल सिंह बिष्ट–

मान्यवर, मैं कह रहा हूँ कि टिहरी गढ़वाल के पौखाल में जो केन्द्र तय किया गया उसको चयनित करने का मानक क्या है? और मैं कहना चाहता हूँ कि क्या प्रतापनगर में केन्द्र नहीं है, क्या प्रतापनगर इन मानकों में नहीं आता है, तो मानक क्या है?

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, इन केन्द्रों का चयन किन मानकों के आधार पर और दिशानिर्देश के आधार पर होता है?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, इस योजना को जिस संस्था ने बनाया उस संस्था ने स्थलों का सर्वेक्षण किया, अगर कोई दूसरी योजना बनी तो उसमें प्रतापनगर भी कवर हो जायेगा।

श्री फूल सिंह बिष्ट–

मान्यवर, जिलों का सर्वेक्षण इन योजनाओं की आवश्यकता हेतु जनता के हितों के लिये किया जाता है। मान्यवर, क्या भारत सरकार इसको देखती है कि कहां इसकी आवश्यकता अधिक है और कहां के लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, हम किसी ब्लॉक को नहीं कह सकते कि आवश्यकता नहीं है। मान्यवर, अगर कोई नई योजना बनती है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, उसके लिए केन्द्र सरकार को भेज देंगे।

श्री फूल सिंह बिष्ट–

मान्यवर, कोई संस्था एक जनपद में स्वीकृत है तो दूसरी संस्था जनपद के लिए प्रोवाइड नहीं की जा सकती है, यह भारत सरकार के नामर्स है। इसलिए इसका कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण जनपदों में होना चाहिए।

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस एन0जी0ओ0 को मेरी विधान सभा को भी कार्य क्षेत्र हेतु चुनने के लिए निर्देशित करेंगे।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में औषधि निरीक्षक के पदों पर चयन

*2–श्री मदन कौशिक–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में दवा विक्रेताओं की बढ़ती हुई संख्या की जांच करने हेतु पर्याप्त संख्या में औषधि निरीक्षक नियुक्त हैं?

यदि नहीं, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई उपाय कर रही है?

यदि हां, तो क्या?

यदि नहीं, तो क्यों?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री तिलक राज बेहड)–

जी नहीं।

जी हाँ।

औषधि निरीक्षकों के पदों पर चयन हेतु लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल, हरिद्वार को अधियाचन भेजा जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैंने प्रश्न किया था कि प्रदेश में दवा विक्रेताओं की बढ़ती हुई संख्या की जाँच करने हेतु पर्याप्त संख्या में औषधि निरीक्षक नियुक्त हैं? उत्तर आया जी नहीं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यह किस अधिनियम के तहत गवर्न हो रहा है और कितने पद सृजित हैं तथा अभी तक लाइसेंस निर्माण और फुटकर के कितने हैं, कितने नमूने लिये और कितने पास आये और कितने फेल आये?

श्री तिलक राज बेहड–

मान्यवर, पाँच पदों का सृजन हुआ जिसके लिए अध्याचन लोक सेवा आयोग को भेजा है। 6 पद कुल हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन सा अधिनियम है जो इसको गवर्न कर रहा है?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, जो उत्तर प्रदेश का एक्ट है वही है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जो अभी तक उत्तर आया है वह सदन को गुमराह करने वाला है। यह उत्तर प्रदेश के अधिनियम के तहत गवर्न नहीं हो रहा है और उत्तरांचल ने अपना अधिनियम नहीं बनाया।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, जो उत्तर प्रदेश का ड्रग एक्ट है उसी को हमने लिया है उसी से काम चल रहा है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह गलत उत्तर आया है। यह भारत सरकार का अधिनियम है उसको लिया जा रहा है।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, मैंने कहा कि भारत सरकार का अधिनियम है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, कितने नमूने लिये गये हैं?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, कुल फुटकर 1617 हैं और कुल लाइसेंस धारक 3528 हैं तथा थोक सेल्स के लाइसेंस 1641 हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, नमूनों की संख्या 36 है तथा 6 मुकदमें भी चल रहे हैं।

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय मंत्री जी कृपया ध्यान दें कि जो माननीय सदस्य ने पूछा कि यह किस एक्ट से गवर्न हो रहा है? सम्भवतः मेरी जानकारी है कि भारत सरकार के ड्रग एवं फार्मास्यूटिकल एक्ट के तहत उत्तर प्रदेश इसे चलाता था और आप भी उसी से काम चला रहे होंगे। दूसरा जो माननीय सदस्य जानना चाहते हैं और आपने स्वीकार किया कि पदों की संख्या पर्याप्त नहीं है और अध्याचन लोक सेवा आयोग को भेजा है। मैं जानना चाहता हूं कि जिन 5 पदों हेतु अध्याचन लोक सेवा आयोग को भेजा। इतनी बड़ी संख्या दवा विक्रेताओं की है। इसके साथ–साथ आपको जानकारी है कि जो कई नामों से मेडिकल चिकित्सक आते हैं उनके पास लाइसेंस है या नहीं, वह मान्यता प्राप्त हैं या नहीं इसकी कोई खबर है? क्या आप जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, जिनका कोई रिकार्ड नहीं है। दूसरा

जो दवा विक्रेता हैं उनके लाइसेंस मान्यता प्राप्त हैं या नहीं या इसके बारे में माननीय मंत्री जी ने जांच करायी है?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, हमने पांच पदों के लिए अध्याचन लोक सेवा आयोग को भेजे हैं। इस समय तीन ड्रग इंस्पेक्टर हैं जिनसे हम काम चला रहे हैं। एक कुमाऊँ में और दूसरा गढ़वाल में, हमने इसका अध्याचन 7–10–2003 को भेजा है। एक साल होने वाला है और नये पदों के सृजन के बारे में जब तक उत्तर प्रदेश से जो विभाजन है, फाइल का निस्तारण हो जायेगा तभी हम नये पद का सृजन कर पायेंगे। हमने पुराने लाइसेन्सों के नवीनीकरण की जाँच कराई और जिनकी फाइल इनकम्पलीट पायी गयी है उनको नोटिस भेजा है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, चूँकि यह जन स्वास्थ्य से जुड़ा मसला है और बड़ा महत्वपूर्ण है, तो क्या माननीय मंत्री जी के पास हर जिले में एक–एक औषधि नियंत्रक देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? दूसरा यह जो अध्याचन 7–10–2003 को भेजा गया उसको परश्यू करने के लिए कोई पत्राचार किया गया लोक सेवा आयोग से? तीसरा फिलहाल जहाँ–जहाँ औषधि नियंत्रक नहीं है क्या वहाँ वैकल्पिक व्यवस्था सरकार ने करायी है? चौथा मान्यवर, यह यात्रा सीजन है, देश विदेश के पर्यटक आते हैं तो औषधियों की गुणवत्ता मापने के लिए कोई विशेष व्यवस्था है? यदि है, तो उन औषधि नियंत्रकों के नाम क्या हैं ?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, औषधि की गुणवत्ता को मापने के लिए हमने समय–समय पर जांच करायी है और जहां तक पदों का सवाल है हमने पहले भी कहा है कि मेरी व्यक्तिगत रूप से फोन पर वार्ता हुई, जल्दी से जल्दी पदों का सृजन हो जायेगा। नये पदों का सृजन जब तक उत्तर प्रदेश से विभाजन नहीं हो जाता, उसके बाद ही किया जायेगा। जो आपने यात्रा रूट की बात की तो यह हमने पहले भी कह रखा है कि जो भी यात्रा रूट पर अस्पताल हैं वे सारी सुविधाओं से लैस हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हमने पूछा कि औषधि नियंत्रक के लिए कोई व्यवस्था की गयी है? अगर किसी को नियुक्त किया गया है तो उसका नाम क्या है?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, हमारे पास तीन औषधि नियंत्रक हैं एक कुमाऊँ में, दूसरा गढ़वाल में और तीसरा लाइसेन्स का कार्य देख रहा है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी कभी तीन बता रहे हैं तो कभी दो। यह उत्तर ठीक नहीं है।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, वह गढ़वाल के अन्दर है वे देख रहे हैं।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, यहां से प्रश्न किया गया और माननीय मंत्री जी का उत्तर आया और जितने भी उत्तर आए वे सारे अस्पष्ट हैं। मान्यवर, मेरा पूछना यह है कि इस उत्तरांचल में कितने औषधि नियंत्रक हैं, कितने पदों का अधियाचन किया गया है और अधियाचन का जो प्रस्ताव भेजा गया है वह किस तिथि को भेजा गया है? कृपया स्पष्ट कर दें। मान्यवर, क्या ये पद विज्ञापित हो चुके हैं?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, स्वीकृत पद 6 हैं। 5 पदों के लिए हमने अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेज दिया है। वर्तमान में कुल 3 औषधि निरीक्षक हैं जिसमें से 2 उत्तर प्रदेश के विकल्पधारी हैं, इन्हें उत्तर प्रदेश जाना है। 5 पदों का अधियाचन भेजा जा चुका है और कुल 6 पद हैं।

श्री अध्यक्ष–

वर्तमान में कितने पद हैं?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, 6 पद हैं, 3 औषधि निरीक्षक कार्यरत हैं।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, अभी माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक जी ने बताया था कि उत्तरांचल राज्य में 9 पद स्वीकृत हैं और माननीय मंत्री जी का जवाब आया है कि 6 पद स्वीकृत हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, 9 पद स्वीकृत हैं।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, मैं सही सूचना दे रहा हूँ।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, स्पष्ट जानकारी नहीं आ पा रही है। माननीय ऐरी जी ने पूछा था कि आर0एम0पी0 चिकित्सकों पर रोक लगाने के लिए क्या सरकार ने कोई प्रबन्ध किया है? इसकी जानकारी भी नहीं दी गयी। अतः मान्यवर, इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाये।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, 6 पद स्वीकृत हैं। 2 अधिकारियों से हम काम ले रहे हैं। एक लाइसेन्सिंग अधिकारी है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि अभियान चलाया गया था। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि वह अभियान कब से कब तक चलाया गया, किसके नेतृत्व में चलाया गया और जो नमूने लिये गये, उन्हें जांच के लिए कहां भेजा गया?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, समय–समय पर जो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर हैं (व्यवधान) वे इसकी जांच करते हैं। जांच के लिए नमूने कहां भेजे गये इसकी सूची मैं आपको दे दूंगा।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, उसकी जांच कहां हुई?

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैं एक आग्रह कर रहा हूँ माननीय सदस्य कह रहे हैं कि मेरी निश्चित जानकारी है कि प्रदेश में 9 पद सृजित हैं और आपका बयान है कि केवल 6 पद सृजित हैं। अभी माननीय प्रकाश पंत जी ने कहा कि सूचना में भिन्नता है। अतः इसे स्थगित कर दिया जाये या तो आप प्रश्न स्थगित करने पर सहमत हो जायें या फिर अगर उनकी सूचना सही है तो फिर विशेषाधिकार का मामला फेस करने के लिए आप तैयार रहें?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, 6 पद स्वीकृत हैं और 5 पदों के लिए अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा गया है।

श्री महेन्द्र भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो प्रदेश में दवाओं की दुकानें हैं उन दुकानों में ....

(माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मेरी जानकारी ....

श्री अध्यक्ष–

कौशिक जी, आप कृपया बैठें।

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि दवाओं की जो दुकानें होती हैं, उन दुकानों पर प्रशिक्षित दवा विक्रेता नहीं रहते हैं? क्या सरकार ने इसके मापदंड तय किये हैं? जो विक्रेता दुकान में दवा देते हैं दो या तीन लोग होते हैं और बड़ी दुकानों में ज्यादा लोग भी होते हैं, क्या वे सारे व्यक्ति प्रशिक्षित होते हैं, यदि नहीं तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, एक फार्मासिस्ट उन दुकानों पर रहता है और उसी के आधार पर इनको लाइसेंस दिया जाता है।

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, जो लोग दवा निकाल कर देते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वे लोग प्रशिक्षित नहीं होते हैं। कई बार ऐसा होता कि डॉक्टर जो दवा लिखते हैं उसके बजाय कोई और ही दवा दे दी जाती है और डॉक्टर बाद में कहते हैं कि यह दवा नहीं है, दूसरी लेकर आओ। तो जिनके माध्यम से दवा दी जा रही है, वे सब के सब प्रशिक्षित हों क्या ऐसी व्यवस्था की जा रही है?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, जो फार्मासिस्ट होता है, उसी के माध्यम से दवा मिलती है और उसी की यह जिम्मेदारी होती है।

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी स्वयं जाकर देख सकते हैं, वहां पर एक भी व्यक्ति आपको प्रशिक्षित नहीं मिलेगा। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, आप हमारे संरक्षक हैं, माननीय विधायक जी जो भी प्रश्न यहां पर पूछते हैं तो माननीय मंत्रीगणों से अपेक्षा करते हैं कि सही उत्तर आये। पर यहां पर सही उत्तर नहीं आ रहे हैं। पदों की बात में माननीय मंत्री जी कहते हैं कि 6 पद ही सृजित हैं, विधायक जी को स्पष्ट जानकारी है कि 9 पद हैं। कौशिक जी ने पूछा कि कितने सैम्पल भरवाये और मंत्री जी ने कहा कि 36 सैम्पल भरवाये तो वह सैम्पल कहां भरवाये और उसके बाद जांच के लिए कहा भेजे, इसका उत्तर भी नहीं आया, इस प्रकार प्रश्नों के उत्तर सही नहीं आ रहे हैं। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय ताकि अगली बार माननीय मंत्री जी सही उत्तर दे सकें।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, मैंने पहले भी बताया है, मेरा उत्तर सही है, पदों की संख्या 6 है, जो कि सृजित हैं, दूसरा जो आपने कहा वह प्रश्न तो मूल प्रश्न से हटकर है, फिर भी मैं बता..............

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, वह सैम्पल कहां पर भरवाये गये?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, मैंने पहले बताया था कि 36 सैम्पल भरवाये थे, इसकी..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपका अनुपूरक प्रश्न था कि 36 सैम्पल भरवाये गये हैं।

श्री मातबर सिंह–

कहां–कहां से भरवाये गये और कहां भेजे गये? इसका उत्तर नहीं आया है।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, पदों का मामला था मैंने बता दिया, दूसरे प्रश्नों का जुड़ाव मूल प्रश्न से है ही नहीं, फिर भी मैंने उत्तर दिये।

उत्तरांचल के पर्यटन स्थल यथा पौड़ी, धनौल्टी, नई टिहरी, फूलों की घाटी, पिथौरागढ़ व उत्तरकाशी में पर्यटन विकास परियोजना

*2–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या पर्यटन मंत्री को जानकारी है कि उत्तरांचल के पर्यटन स्थल यथा पौड़ी, धनौल्टी, नई टिहरी, फूलों की घाटी, पिथौरागढ़ व उत्तरकाशी के लिए एक पर्यटन विकास परियोजना तैयार कराने में एक करोड़ से अधिक की धनराशि व्यय की गयी?

यदि हाँ, तो उक्त परियोजना पर कार्य करवाये गये? परियोजना का सर्वेक्षण व प्रारूप तैयार कराने का औचित्य क्या था? क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

पर्यटन एवं आबकारी मंत्री (श्री तेजपाल सिंह रावत)–

पर्यटन विभाग द्वारा कोई भी ऐसी एक पर्यटन विकास परियोजना तैयार नहीं की गई है, जिसमें पौड़ी, धनौल्टी, नई टिहरी, फूलों की घाटी, पिथौरागढ़ व उत्तरकाशी को सम्मिलित किया गया हो।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने प्रश्न पूछा था कि "क्या पर्यटन मंत्री को जानकारी है कि उत्तरांचल के पर्यटन स्थल यथा पौड़ी, धनौल्टी, नई टिहरी, फूलों की घाटी, पिथौरागढ़ व उत्तरकाशी के लिए एक पर्यटन विकास परियोजना तैयार कराने में एक करोड़ से अधिक की धनराशि व्यय की गयी?" उत्तर आया, इस तरह की कोई भी योजना सम्मिलित नहीं की गयी। मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी में है कि इस प्रकार की एक योजना पर विभागीय और शासन स्तर पर कार्यवाही शुरू हुई थी और उसमें कम से कम 35 से 50 लाख रुपये के बीच धनराशि खर्च की गयी। किन्तु माननीय मंत्री जी साफ इंकार कर रहे हैं। मान्यवर, वर्ष 1991–92 में सरकार ने उत्तरांचल के 8 जनपदों के लिए पृथक से महानिदेशक, पर्यटन बनाया था और पौड़ी, धनौल्टी, नई टिहरी, फूलों की घाटी,

पिथौरागढ़ व उत्तरकाशी के लिए पर्यटन विकास योजना तैयार की गयी थी। इस योजना का सर्वे डी0डी0 शर्मा एण्ड कम्पनी, बी0डी0 जोशी व मिस्टर तिवारी आदि की कम्पनियों द्वारा किया गया था तथा प्रोजेक्ट भी एहसान एण्ड एसोसिएशन, देहरादून व दिल्ली की कुछ एजेन्सियों द्वारा तैयार किया गया था।

श्री अध्यक्ष–

कृपया प्रश्न पूछें।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मैं पूरी जानकारी दे रहा हूँ क्योंकि सरकार ने इससे इंकार कर दिया है। मान्यवर, 6 लाख रुपये सिर्फ जो प्रोजेक्ट तैयार करने वालों को दिए गए थे। मान्यवर, इस योजना पर इतनी धनराशि खर्च होने तथा प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होने के बाद भी सरकार इंकार कर रही है। मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर ली गयी है तो क्या इस पर शीघ्र कार्य प्रारम्भ किया जायेगा?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, वर्तमान सरकार ने इस प्रकार की कोई योजना नहीं बनायी है। मास्टर प्लान के माध्यम से अलग–अलग कम्पनियों द्वारा प्रोजेक्ट बनाया गया था। यह कार्य 1991–92 में उत्तर प्रदेश सरकार के समय में हुआ था। इसकी डिटेल हमारे पास उपलब्ध नहीं है।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, भले ही उत्तर प्रदेश सरकार के समय में यह काम हुआ हो लेकिन इससे सम्बन्धित कागजात तो उत्तरांचल सरकार के पास ही होंगे। लगता है माननीय मंत्री जी ने इसमें ज्यादा कोशिश नहीं की और लिखित उत्तर को ही यहां पर पढ़ दिया है। इस विषय में आपको कोई चिन्ता नहीं है, यह गंभीर बात है। क्या भविष्य में आप इस योजना का कार्य शुरू कराएंगे?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, यह कंट्री प्लान सर्वे में हुआ था, हमारे पास इसकी डिटेल नहीं है। हमने 2001 में उत्तरांचल में टूरिज्म डेवलपिंग पॉलिसी बनायी और उत्तरांचल टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड का गठन भी नये सिरे से किया गया। हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार 2001 में जो पॉलिसी बनी है उसके तहत टूरिज्म डेवलपमेंट के तमाम काम किए जा रहे हैं।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के स्तर पर कोई विरोधाभास नहीं है यह असत्य भी नहीं है। माननीय सदस्य ने 1990–91 का रिफरैन्स दिया है। यह बात भी सही है कि पूर्व

में उत्तरांचल उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, उस वक्त कोई योजना बनी होगी। माननीय मंत्री जी ने एक जानकारी दी, इस योजना के सारे रिकार्ड उत्तर प्रदेश में हैं। मान्यवर, उत्तरांचल की वर्तमान सरकार उत्तर प्रदेश के पुराने रिकार्ड के आधार पर चल रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आपके विभाग द्वारा रिकार्ड प्राप्त करने हेतु कोई जहमत उठाई, कोई कोशिश की गई ? माननीय मंत्री जी को आधी-अधूरी सूचना विभाग के अधिकारियों द्वारा दी गयी है। मान्यवर, पूर्व में भी इस प्रोजेक्ट के तहत काम हुआ है आप स्वयं देख लें, आपके सामने सारे तथ्य माननीय सदस्य द्वारा दिये गये हैं। मान्यवर, पूर्व में यह परियोजना चल रही थी, उसी प्रकार से पुनः उत्तर प्रदेश से सारे रिकार्ड प्राप्त कर इस योजना पर पुनः कार्य आरम्भ किया जाय। इस सम्बन्ध में आप अपने स्तर से उच्चाधिकारियों को निर्देश दें कि इस प्रोजेक्ट के रिकार्ड उत्तर प्रदेश से प्राप्त करें।

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, इसका मास्टर प्लान 1990–91 में बनाया गया है। हमारे पास इस योजना से सम्बन्धित कागजात नहीं हैं इसके कागजात उत्तर प्रदेश से लाने पड़ेंगे। इस योजना की स्टडी करनी पड़ेगी कि क्या यह मास्टर प्लान आज की तारीख में इफेक्टीव है। मान्यवर, हमने अपनी टूरिज्म पॉलिसी 2001 में बनाई वह मास्टर प्लान आज की परिस्थितियों के आधार पर उपयुक्त है या नहीं, हमें यह भी देखना होगा।

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस प्रश्न में माननीय सदस्य ने किसी तिथि विशेष का उल्लेख नहीं किया है, उन्होंने पर्यटन विकास परियोजना तैयार कराने में एक करोड़ से अधिक रुपये की धनराशि व्यय की है। माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि हमारे समय में नहीं हुआ। ठीक है, माननीय सदस्य ने तथ्यात्मक रूप से अपनी सुस्पष्ट जानकारी रखी कि, पिछले महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में पर्यटन ग्रिड में सम्मिलित किये जाने की जानकारी दी थी। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कोई कार्यवाही प्रारम्भ की गई है?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 10 मास्टर प्लान बनाये गये हैं। चार धाम यात्रा मास्टर प्लान में प्रस्तावित योजना के लिये 212 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। दूसरा पिथौरागढ़, मुन्स्यारी सर्किटों का मास्टर प्लान 116.47 करोड़ प्राप्त हो गया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति से इसका अनुमोदन कराया जाना है। तीसरा दयारा बुग्याल के शीतकालीन क्रीड़ा केन्द्र विकसित करने हेतु 38.70 करोड़ का मास्टर प्लान बनाया गया है। चौथा

मास्टर प्लान ट्रैकिंग मार्गों के विकास 38.70 करोड़ का बनाया गया है तथा पांचवां मास्टर प्लान हवाई पट्टियों का है जो 65.34 करोड़ है जिसके तहत हवाई पट्टी क्षेत्र में लैण्ड यूज मानचित्र के सम्बन्ध में फर्म से पत्राचार किया गया है एवं छठा मास्टर प्लान टिहरी डाम क्षेत्र के विकास से सम्बन्धित है जो कि 96.55 करोड़ रुपये का है। मान्यवर, जार्ज एवरेस्ट, मसूरी का पर्यटन आकर्षण के रूप में विकास के लिए 20 करोड़ 76 लाख, हेमपुर जिला ऊधमसिंह नगर में इको टूरिज्म काम्पलैक्स का मास्टर प्लान के लिए 519.60 करोड़ रुपये, पौड़ी खिर्सू लैन्सडौन सर्किट मास्टर प्लान के लिए 473.00 करोड़ रुपये, देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा व हरिद्वार जनपदों में विद्यमान हैरिटेज सम्पत्तियों का चिन्हीकरण/सूचीकरण के लिए मुख्य सचिव स्तर पर एक एम0ओ0यू0 हुआ है।

श्री प्रकाश पंत--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि जो ये 10 मास्टर प्लान बनाये गये हैं, इन पर कुल कितनी राशि व्यय हुई तथा अभी तक कितने प्लानों को मंजूरी मिल चुकी है?

श्री तेजपाल सिंह रावत--

मान्यवर, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मास्टर प्लान क्यों बनाये जाते हैं? यह प्लान इसलिए बनाये जाते हैं कि यह हमारी पॉलिसी का आईना होता है, इसी प्लान के आधार पर पूंजीपति आकर्षित होकर निवेश करते हैं। इनकी लागत 1542.88 करोड़ रुपये है जैसा आप जानते हैं हमारे पास इतनी बड़ी धनराशि उपलब्ध नहीं है। इसमें हमें केन्द्र से मदद लेनी होगी। पिछले वर्ष इसमें हमें केन्द्र से 8 करोड़ रुपये की राशि मिली थी। मान्यवर, इस बार भी हम इतनी ही राशि की मांग करेंगे।

श्री प्रकाश पंत--

मान्यवर, प्रश्नकाल समाप्त होने जा रहा है अभी और भी प्रश्न हैं कृपया मूल प्रश्न का उत्तर देना चाहें।

श्री तेजपाल सिंह रावत--

मान्यवर, मैं मूल प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। हम उतनी ही राशि की मांग केन्द्र से करेंगे जितनी राशि का यूटिलाईजेशन हम कर सकेंगे। पिछले वर्ष 8 करोड़ का पैसा है। पिथौरागढ़, मुन्स्यारी का अनुमोदन नहीं आया है, दयारा बुग्याल के लिए शासन स्तर से कार्यवाही हो रही है, भारत सरकार ने 11 करोड़ रुपया दिया है। मान्यवर, गौचर हवाई पट्टी का काम चालू हो चुका है।

श्री प्रकाश पंत--

मान्यवर, स्पष्ट जानकारी दें यह व्यवहार उचित नहीं है, हवाई पट्टियों के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की है और कौन-कौन सी हवाई पट्टी है?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, उसके लिए 65 करोड़ 34 लाख रुपये दिये हैं, गौचर का कार्य चल रहा है, यह कार्य सिविल एविएशन के माध्यम से हो रहा है।

श्री मालचन्द्र–

मान्यवर, राज्य के चार धाम की बात बार–बार आ रही है, यह ठीक है कि चार धाम का विकास होना चाहिए। मान्यवर, उत्तरांचल के पर्यटक स्थलों में देश–विदेश से पर्यटक आते हैं और खर्चा करते हैं जिससे बेरोजगारों को ढाबे, पोर्टर आदि के रूप में विकास हो सकता है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपने मूल प्रश्न पर आयें।

श्री मालचन्द्र–

मान्यवर, जनपद उत्तरकाशी के अन्य पर्यटक स्थल कौन-कौन से हैं और क्या उनका विकास होगा ? मान्यवर, महामहिम के अभिभाषण में कुछ पर्यटक स्थलों को चिन्हित किया गया है। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में केदार काण्ठा, हरकीदून, सरताल, बारसर ताल, चांयसील, देववन, पौंण्यारा, मानीरा, पौखनाग टिब्बा, गंगनानी पर्यटक स्थल हैं जहां लाखों लोग आते हैं, क्या उनके पर्यटक स्थलों के विकास की कोई नीति है, क्या उन स्थलों के जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण के लिए कुछ किया जा रहा है ?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, उत्तरकाशी के लिए कोई मास्टर प्लान अलग से नहीं बनाया गया है, लेकिन उत्तरकाशी में कार्य किया जा रहा है। सौ शैय्या के कैम्प के लिए 99 लाख 96 हजार रुपये का कार्य चल रहा है। केवल फाइनेन्स से बस स्टेशन बनाया जायेगा। जिसकी लागत 64.03 लाख रुपये है, और 2 करोड़ 90 लाख रुपये का बस स्टेशन प्रस्तावित है।

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय मंत्री जी ने पर्यटन विकास की योजना तैयार की है। मैं जानना चाहता हूं कि इस पर्यटन योजना का प्रारूप किस एजेंसी से करवाया जा रहा है, इस योजना में कुल कितना व्यय होगा और जो तीसरा प्रश्न है, कब तक पूरा होगा और क्या स्थायी निवासियों और बांध प्रभावितों को इसमें प्राथमिकता दी जायेगी ?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, इसका मास्टर प्लान जी0टी0सी0, बंगलौर के माध्यम से बनाया जा रहा है। इसकी लागत 96.56 लाख रुपये की है। फर्म को यह कार्य अप्रैल, 2002 में सौंपा गया था।

मास्टर प्लान में समग्र विकास की दृष्टि रेल/रोड/एयर/परिवहन आवासीय व्यवस्था, पैकेज टूअर, पर्यटन क्षेत्र में निवेश, प्रचार व पर्यटन का विपणन सांस्कृतिक पर्यटन, इको टूरिज्म, एम्यूजमेंट टूरिज्म, लेजर टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन आदि हैं। मास्टर प्लान का अन्तिम रूप प्राप्त होने पर इसका शासन स्तर पर प्रस्तुतीकरण/अनुमोदन किया जायेगा, तत्पश्चात् शुल्क की अन्तिम किस्त का भुगतान किया जायेगा।

प्रदेश के जनपदों में कृषि विविधीकरण योजना के लाभ

*3–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कृषि विविधीकरण योजना उत्तरांचल के किन–किन जिलों में है?

इस योजना से किसानों को क्या–क्या लाभ मिल रहे हैं?

क्या सरकार कृषि विविधीकरण योजना को उत्तरांचल के समस्त जिलों में प्रारम्भ करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

कृषि मंत्री (श्री महेन्द्र सिंह माहरा)–

उत्तरांचल के देहरादून, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा तथा उत्तरकाशी जनपदों में कृषि विविधीकरण योजना चलाई गयी।

इस योजना के अन्तर्गत प्रमुखतः ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का सुदृढीकरण, पुलों, हाट बाजारों एवं संग्रह केन्द्रों का निर्माण कराया गया। प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण कराये गये जिससे फसल सघनता, सकल फल क्षेत्र, सब्जी उत्पादकता तथा उन्नत नस्ल के पशुओं में वृद्धि हुई जिसका सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है।

जी नहीं।

कृषि विविधीकरण योजना की अवधि पांच वर्ष के लिये स्वीकृत थी जो 31 मार्च 2004 को समाप्त हो चुकी है।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि मेरा प्रश्न है कि कृषि विविधीकरण योजना के तहत जिलों के चयन का जो मानक था क्या इसमें सरकार अन्य जिलों को भी सम्मिलित करने पर विचार करेगी और इस योजना में कुल कितनी धनराशि व्यय की गई? क्या सरकार कृषि विविधीकरण योजना को आगे बढ़ाये जाने पर विचार कर रही है?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

मैं बताना चाहता हूँ कि यह योजना 1998 में उत्तर प्रदेश से शुरू हुई और 700 करोड़ की कुल योजना थी जो मई, 2001 से उत्तरांचल में शुरू हुई और 73.8 करोड़ की

योजना उत्तरांचल में शुरू की गई है। जहां–जहां वाटर सैट की योजना नहीं चलती थी उन–उन जिलों को लिया गया और स्वयं सेवी संस्था के सहयोग से यह कार्य शुरू हुआ।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या योजना आगे बढ़ाई जायेगी? नहीं बढ़ायी जायेगी तो क्यों नहीं बढ़ायी जायेगी?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

मान्यवर, कृषि विविधीकरण योजना 5 वर्ष की थी और 31 मार्च, 2004 को समाप्त हो चुकी है।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश में थी। यह बहुत अच्छी योजना है। इससे ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का सुदृढ़ीकरण होगा। मान्यवर, इसकी उत्तरांचल में बहुत आवश्यकता है। क्या इस योजना को आगे बढ़ाया जायेगा, यदि नहीं तो क्यों?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

मान्यवर, निकट भविष्य में लॉन्च हो जायेगा। इसका प्रारूप होगा। इसको आगे बढ़ाने का भरसक प्रयास करेंगे।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, कृपया बतायें कि जो कृषि विविधीकरण योजना है यह प्रदेश की संभवतः नहीं है। यह भारत सरकार से वित्त पोषित वर्ल्ड बैंक की योजना है। जैसा कि आपने कहा एक प्रोजेक्ट गया है। उस प्रोजेक्ट को आप केन्द्र सरकार को भेजेंगे और केन्द्र सरकार वर्ल्ड बैंक को भेजेगा। इसको आपने कब भेजा और जो छूटे जिले हैं उनको भी उसमें सम्मिलित किया है?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

मान्यवर, इस प्रोजेक्ट के लिए एम0ओ0यू0 होने जा रहा है। यह 400 करोड़ रु0 की योजना है। जो जिले छूट गए हैं उनको लिया जा रहा है।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूँ कि कितने पुल, हाट बाजारों एवं संग्रह केन्द्रों का निर्माण कराया गया है?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

मान्यवर, देहरादून में सहसपुर, कालसी ....

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी कृपया सभी सदस्यों को इसकी सूची उपलब्ध करा दें।

श्रीमती आशा देवी–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय मंत्री जी ने पुल, हाट एवं संग्रह केन्द्रों का जिक्र किया है वह केवल तीन जनपदों के लिए है? क्या अन्य जनपदों को लिया जायेगा?

श्री अध्यक्ष–

कृपया सूची उपलब्ध करा दें।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, यह जो 73.8 करोड़ रु0 की योजना उत्तरांचल में बनायी गयी है, जिसको लागू किया गया है। मैं जानना चाहता हूँ, चूँकि पूरे हाउस ने कहा है कि इसकी लिस्ट हमको दे दी जाए लेकिन माननीय मंत्री जी ने इसकी स्वीकृति नहीं दी है।

श्री अध्यक्ष–

दे दी है।

वर्ष 2004–05 हेतु नई आबकारी नीति

*4–श्री प्रकाश पंत–

क्या आबकारी मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2004–05 हेतु नई आबकारी नीति घोषित की जा चुकी है?

यदि हाँ, तो उसके प्रमुख बिन्दु क्या हैं?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

जी हाँ।

वित्तीय वर्ष 2004–05 के लिए घोषित आबकारी नीति शासनादेश दिनांक 31 मई, 2004 द्वारा घोषित की गयी है, जिसके कुछ प्रमुख बिन्दु निम्नवत् हैं :–

1. देशी व विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों को व्यवस्थापित करने के लिये दुकानवार राजस्व निर्धारित करके आवेदन–पत्र आमंत्रित करने की व्यवस्था की गयी है। एक से अधिक आवेदनों की दशा में लाटरी द्वारा आवंटन की व्यवस्था रखी गयी है। निजी आवेदक को एक जनपद में देशी अथवा विदेशी मदिरा की केवल एक ही दुकान आवंटित करने की व्यवस्था है।
2. देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के आवंटन में उत्तरांचल के स्थायी निवासी होने की पात्रता रखी गयी है।
3. बार–क्लब बार लाइसेंस देने के सम्बन्ध में गत वर्ष की व्यवस्था पूर्ववत रखी गयी है। चार व पांच सितारा होटल एवं क्लब बारों को छोड़कर अन्य बार की लाइसेंस फीस रु0 2.50 लाख के स्थान पर रु0 2.00 लाख प्रतिवर्ष रखी गयी है।

4. पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने की दृष्टि से उन होटल एवं रेस्त्रां जिनकी विगत 3 वर्षों में पके हुए भोजन की बिक्री 3 लाख रुपये वार्षिक या उससे अधिक रही हो, को 50 हजार रुपया प्रतिवर्ष की दर से अनुज्ञापन शुल्क के आधार पर बियर बार लाइसेंस स्वीकृत करने की व्यवस्था की गयी है।
5. जिन स्थलों पर सीजनल पर्यटकों के आने के कारण कुछ महीनों में ही अधिक व्यवसाय होता है, वहां छः माह की अवधि के लिए भी बार/बियर बार लाइसेंस देने की व्यवस्था रखी गयी है।
6. आसवनियों की स्थापना हेतु लाइसेंस देने पर विचार नहीं किया जायेगा।
7. बोटलिंग प्लान्ट, ब्रुवरी, विटनरी एवं वाइनरी की स्थापना हेतु पूर्व वर्ष की भांति लाइसेंस देने की व्यवस्था की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि जो आबकारी नीति सदन के पटल पर रखी गयी है उसमें 7 बिन्दु हैं। मैं माननीय मंत्री जी से बिन्दुवार जानना चाहता हूँ कि मान्यवर, पहले बिन्दु में जो व्यवस्था दी गई है उसमें न्यूनतम लाइसेंस फीस में कितनी बढ़ोत्तरी की गई है? तीसरे बिन्दु में लाइसेंस फीस कम करने का क्या कारण है? इसे ढाई लाख से घटाकर दो लाख कर दिया गया है। चौथे बिन्दु में लाइसेंस फीस कितनी है? क्योंकि यह अस्पष्ट है। पांचवें बिन्दु में लाइसेंस फीस का कोई जिक्र नहीं है। सातवें बिन्दु में लिखा है कि बोटलिंग प्लांट, ब्रेवरी, विटनरी एवं वाइनरी की स्थापना हेतु पूर्व वर्ष की भांति लाइसेंस देने की व्यवस्था की गई है? मान्यवर, सदन जानना चाहता है कि पूर्व में क्या व्यवस्था थी और कितने लाइसेंस अभी तक निर्गत किये गये हैं?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, पहला बिन्दु पुनः पढ़ दें।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, पहले बिन्दु में न्यूनतम लाइसेंस फीस में बढ़ोत्तरी की गई है, वह कितनी है? मान्यवर, अभी इसके बाद 2 अनुपूरक और पूछने हैं।

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, लाइसेंस फीस में इस वर्ष से 15 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। सबसे पहले मैं देशी मदिरा के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। 12,000 बल्क लीटर तक वर्ष 2003–04 में 57,500 रु0 तथा वर्ष 2004–05 में 66,125 रुपये। 12,001 से 30,000 बल्क लीटर तक लाइसेंस फीस प्रति दुकान रु0 1,15,000 से बढ़ाकर रु0 1,32,250 कर दी गई

है। 30,001 से 60,000 बल्क लीटर तक की लाइसेंस फीस प्रति दुकान रु0 2,30,000 से बढ़ाकर रुपये 2,64,500 कर दी गई है। 60,001 से 1,00,000 बल्क लीटर तक की लाइसेंस फीस प्रति दुकान रुपये 4,60,000 से बढ़ाकर रुपये 5,29,000 कर दी गई है। एक लाख एक से डेढ़ लाख बल्क लीटर तक की लाइसेंस फीस प्रति दुकान रु0 छः लाख नब्बे हजार से बढ़ाकर रु0 7 लाख 93 हजार 500 कर दी गई है। एक लाख पचास हजार एक से तीन लाख बल्क लीटर तक की लाइसेंस फीस प्रति दुकान रु0 9 लाख 20 हजार से बढ़ाकर दस लाख 58 हजार कर दी गई है। तीन लाख बल्क लीटर से अधिक की लाइसेंस फीस रु0 11 लाख 50 हजार से बढ़ाकर रु0 13 लाख 22 हजार पांच सौ कर दी गई है। मान्यवर, इसी प्रकार विदेशी मदिरा में 6000 बोतल तक की लाइसेंस फीस रु0 57 हजार 500 से बढ़ाकर रु0 66 हजार 125 कर दी गई है। 6001 से 12 हजार बोतल तक की लाइसेंस फीस रुपये 1 लाख 15 हजार से बढ़ाकर रु0 एक लाख 32 हजार 250 कर दी गई है। 12001 से 25 हजार बोतल तक की लाइसेंस फीस रु0 2 लाख 30 हजार से बढ़ाकर 2 लाख 64 हजार 500 कर दी गई है। 25001 से 50 हजार बोतल तक की लाइसेंस फीस रु0 4 लाख 60 हजार से बढ़ाकर रु0 5 लाख 29 हजार कर दी गई है। 50,001 से 75 हजार बोतल तक की लाइसेंस फीस रु0 6 लाख 90 हजार से बढ़ाकर 7 लाख 93 हजार 500 कर दी गई है। 75,001 से एक लाख बोतल तक की दुकानों की लाइसेंस फीस रु0 9 लाख 20 हजार से बढ़ाकर रु0 10 लाख 58 हजार कर दी गई है। एक लाख बोतल से अधिक की दुकानों की लाइसेंस फीस रु0 11 लाख 50 हजार से बढ़ाकर 13 लाख 22 हजार 500 कर दी गई है।

मान्यवर, मेरे पास कई डेलीगेशन आते हैं। स्थानीय लोग भी आते हैं। मान्यवर, पहले हम 2.50 लाख रुपये प्रति लाइसेंस फीस लेते थे। बारएसोसियेशन के डेलीगेशन का कहना है कि बार में इतनी बिक्री नहीं होती है। अगर आप इतनी फीस लेंगे तो बार चलाना मुश्किल हो जायेगा। अच्छे होटल बनाना जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं हो पायेगा, स्थानीय जगहों पर जो टूरिज्म पैलेसेज हैं वहां पर 2.5 लाख रुपया था उसको घटाकर 2 लाख किया गया है और अब वे कार्य कर रहे हैं। यह लाइसेंस वाले का उत्तर था। इसमें बीयर बार के लिए 50 हजार रुपया था लेकिन हमने इसे 6 महीने के लिए भी कर दिया है और 6 महीने के लाइसेंस के लिए 25 हजार रुपया कर दिया है, यह टूरिस्ट सीजन के लिए किया गया है और इससे स्थानीय लोगों को लाभ होगा। टूरिस्ट छः महीने के लिए बीयर लेते हैं, ठन्ड में कोई बीयर लाइक नहीं करता है, इसे स्थानीय लोगों के हित में किया गया है।

दूसरा आपका प्रश्न था बॉटलिंग ब्रेवरी विंटनरी के लिए तो इसमें भी स्थानीय लोगों ने कहा था कि हमारे पास माल्टा है, नाशपाती है इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जो लोग ब्रेवरी विंटनरी के लिए इन्ट्रेस्टेड हैं, उसमें फ्रूट्स का इस्तेमाल होता है इसमें अल्कोहल कम होता है, इसमें हमने आवेदन मांगे थे, अभी तक इसमें कोई आवेदन नहीं आया है, पिछले वर्ष एक आवेदन आया था परन्तु वह चाहता था कि उसे इसके साथ बोतका

भी बनाने की अनुमति दी जाय, लेकिन इसमें अल्कोहल होता है और यह लिकर में आता है तो हमने मना कर दिया

श्री प्रकाश पंत–

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस वर्ष की आबकारी नीति से विगत वर्ष की तुलना में कितना लाभ हुआ है और जो बार के लाइसेंस की फीस आधी की गई है, उससे कितने राजस्व की हानि हुई है? दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि देशी मदिरा को नये पैक में प्रस्तुत करने की योजना सरकार द्वारा बनाई गई है, ऐसा हमारे संज्ञान में आया है कि विदेशी मदिरा पुराने पैक में आ रही है। पुरानी बोतल में नई शराब दिये जाने का प्रावधान सरकार द्वारा किया गया है। (व्यवधान) दूसरा सरकार की कोई ऐसी योजना है कि देशी शराब को आयात किया जायेगा। दो प्रश्न हैं, पहला राजस्व से है और दूसरा यह है।

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो पहले प्रश्न किया है कि प्राफिट कितना है तो वर्ष 2000–01 में 203 करोड़ 7 लाख, 2001–02 में 231 करोड़ 96 लाख, 2002–03 में 246 करोड़ 46 लाख, 2003–04 में 273 करोड़ 69 लाख और इस वर्ष के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिये हैं कि 300 करोड़ का लक्ष्य आये और हमारा 298 समथिंग का हमने किया है। बार की फीस घटाने से हानि के बारे में जो आपका प्रश्न है मैं बताना चाहूंगा कि इसमें हम प्रति बोतल अधिभार ले रहे हैं। इसमें प्रति बोतल 30 रुपया अधिभार हम लेते थे तो इसमें 30 रुपये की जगह 40 रुपये प्रति बोतल अधिभार लेंगे। मान्यवर, ऐसा इसलिए किया गया है ताकि वह न्यूट्रलाइज हो जाए। इससे सरकार को हानि नहीं होगी जो बार लेना चाहते हैं, उनको फायदा होगा। यह जो 30 से 40 रुपया किया गया है, यह बार मालिक को नहीं पड़ेगा बल्कि पीने वाले को पड़ेगा।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, क्या बॉटलिंग के लिए कोई व्यवस्था बनायी है?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, पहले पुरानी बोतल में ही शराब भर देते थे। इसमें हाइजीन फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब नयी बोतल में शराब भरी जाएगी।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, ऐसा क्या सिर्फ देशी शराब के लिए होगा या फिर अंग्रेजी शराब के लिए भी ऐसा करेंगे?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, यह नयी योजना देशी शराब के लिए है। विदेशी शराब तो पहले से ही बोतल में आती है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, क्या देशी शराब को लॉट करने की कोई योजना बनी है?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, ऐसी कोई योजना नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न काल समाप्त हुआ।

*5–श्री नारायण पाल, श्री बिशन सिंह चुफाल एवं श्री महेन्द्र भट्ट–

तृतीय सोम0 के तारा0 सं0 9 में स्थानान्तरित।

जनपद हरिद्वार के जलप्लावन क्षेत्रों खानपुर एवं लक्सर में खरपतवारों की पैदावार पर रोक

*6–कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि जनपद हरिद्वार के जलप्लावन प्रभावित क्षेत्रों विकास खण्ड खानपुर एवं लक्सर में जल निकास हेतु खुदवाए गये नालों की क्षमता, वानस्पतिक खरपतवारों के द्वारा अत्यधिक बाधित हो रही है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार खरपतवारों की पैदावार पर रोक लगाने के लिए गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर तथा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से विशेषज्ञ परामर्श प्राप्त करके कार्यवाही करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

जी हाँ।

जनपद हरिद्वार के जल प्लावन प्रभावित क्षेत्रों विकास खण्ड खानपुर एवं लक्सर में खरपतवारों की पैदावार पर रोक लगाने के लिए परामर्श देने हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान एवं विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के विशेषज्ञों को सम्मिलित करते हुये गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर के विशेषज्ञों की समिति गठित करने के निर्देश शासन द्वारा पन्तनगर विश्वविद्यालय को दिये गये हैं।

गठित समिति एक माह के भीतर परामर्श/रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। रिपोर्ट के अनुसार गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर प्रस्ताव अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु शासन को उपलब्ध करायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

नोट:–तारांकित प्रश्न संख्या 4 के उपरान्त प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

*7–श्री प्रकाश पंत एवं श्री हरबंस कपूर–

तृतीय सोम0 के तारा0 सं0 7 में स्था0।

अतारांकित प्रश्न

नयी पर्यटन नीति के बाद पर्यटकों की संख्या में हुई वृद्धि तथा भ्रमण हेतु पैकेज टूर का संचालन

1–श्री मदन कौशिक–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नयी पर्यटन नीति के बाद गत वर्ष की तुलना में यात्रियों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई? क्या सरकार उत्तरांचल भ्रमण के लिए कोई पैकेज टूर दिल्ली मुम्बई आदि स्थानों से शुरू करने पर विचार कर रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

वर्ष 2002 की तुलना में वर्ष 2003 में उत्तरांचल में आये पर्यटकों/यात्रियों की संख्या में लगभग 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

उत्तरांचल भ्रमण के लिये गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल विकास निगम के माध्यम से दिल्ली व चण्डीगढ़ से पैकेज टुअर्स संचालित हैं। इसके अतिरिक्त मुम्बई, जयपुर, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई एवं लखनऊ आदि शहरों में इन निगमों के जन सम्पर्क कार्यालयों के माध्यम से पैकेज टुअर्स का आरक्षण किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वाराहाट, जनपद अल्मोड़ा में रेडियोलोजिस्ट के रिक्त पद पर नियुक्ति

2–श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, द्वाराहाट, जनपद अल्मोड़ा में रेडियोलोजिस्ट का पद स्वीकृत है?

यदि हाँ, तो कब तक उक्त पद पर तैनाती कर दी जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़–

जी हाँ।

लोक सेवा आयोग अथवा स्नातकोत्तर/डिप्लोमा प्रशिक्षण हेतु विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में भेजे गये अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर यथासम्भव तैनाती की जाएगी।

प्रश्न नहीं उठता।

दिनांक 10–11–2003 को रानीखेत से दिल्ली जाने वाली दुर्घटनाग्रस्त बस के घायलों को मुआवजा

3—श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी—

क्या परिवहन मंत्री भिज्ञ हैं कि रुद्रपुर के पास दिनांक 10 नवम्बर, 2003 को सड़क परिवहन निगम की रानीखेत से दिल्ली जाने वाली बस दुर्घटनाग्रस्त हुयी थी?

यदि हाँ, तो क्या गंभीर रूप से घायल यात्रियों को सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति/मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है?

यदि नहीं, तो क्यों?

परिवहन मंत्री (श्री हीरा सिंह बिष्ट)—

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप स्वास्थ्य केन्द्रों तथा चिकित्सक आवासों हेतु निर्धारित किराये की दरें

4—श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार द्वारा उत्तरांचल में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप स्वास्थ्य केन्द्रों तथा चिकित्सक आवासों हेतु किराये पर लिये जाने वाले भवनों की दरें निश्चित की गई हैं?

यदि हाँ, तो शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी दरें क्या हैं?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़—

प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए सरकारी अनुमन्य दरों की सीमा के अन्तर्गत कारपेट एरिया के अनुसार भवन किराये पर लिये जाते हैं तथा उपकेन्द्रों हेतु प्रतिवर्ष रु0 3000/- किराया निर्धारित है चिकित्सकों के लिए सरकार द्वारा भवन किराये पर नहीं लिये जाते बल्कि उन्हें अनुमन्य आवास भत्ता दिया जाता है।

उपकेन्द्र केवल ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित है तथा इस हेतु प्रतिवर्ष रु0 3000/- किराया निर्धारित किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश नीति

5–श्री मदन कौशिक–

क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों के प्रवेश हेतु सरकार द्वारा कोई नीति लागू की गयी है?

क्या इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीटें पूर्ण होने की स्थिति में कॉलेजों को रिक्त सीटें भर दिये जाने का अधिकार प्राप्त है?

यदि हाँ, तो उसकी क्या प्रक्रिया है?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

जी हाँ।

कॉलेजों में सीट पूर्ण होने पर रिक्त सीटों को भरे जाने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

नई पर्यटन नीति के अनुसार चार धामों में यात्रियों को प्रदान सुविधायें

6–श्री अजय भट्ट एवं श्री मदन कौशिक–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पर्यटन नीति के तहत उत्तरांचल के चार धामों हेतु सरकार द्वारा यात्रियों को क्या–क्या सुविधायें प्रदान की गयी हैं? क्या सरकार इन सुविधाओं का सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

राज्य की पर्यटन नीति के अनुरूप चार धामों सहित प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करने के साथ–साथ पर्यटन व्यवसाय के लिये आवश्यक सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में उत्तरांचल स्थित चार धामों एवं उनके मुख्य यात्रा मार्गों पर निम्न मुख्य अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराई गयी हैं :–

1.	आवासीय सुविधा	4105 शैय्यायें
2.	पार्किंग स्थल	9 स्थल
3.	विद्युतीकरण	8 स्थल
4.	पेयजल	71 टंकियां
5.	सम्पर्क मार्ग सुधार	6 मार्ग
6.	प्रसाधन सुविधा	770 सीट्स
7.	चिकित्सा सुविधा	3 स्थल
8.	स्नानाघाट/चेंज रूम	8 स्थल

उपरोक्त के अतिरिक्त चार धाम में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु रु0 212.00 करोड़ लागत की चार धाम महायोजना तैयार कर, इस योजना पर वित्तीय सहयोग हेतु भारत सरकार को संदर्भित किया गया है।

प्रदेश के पिछड़े ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रों में चिकित्सकीय सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु कानून

7—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के पिछड़े ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रों में चिकित्सकीय सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु सरकार कोई प्रभावशाली कानून बनाने जा रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़—

दुर्गम एवं पिछड़े क्षेत्रों में चिकित्सकीय सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु दुर्गम तथा अति दुर्गम क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है तथा ऐसे स्थानों में तैनात चिकित्सकों को विशेष प्रैक्टिस भत्ता दिया जा रहा है तथा सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चिकित्सकों की संविदा पर तैनाती भी की गयी है तथा पुनः 300 चिकित्सकों को संविदा पर तैनात किया जा रहा है। अतः पृथक से कोई कानून बनाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

8—श्री मदन कौशिक—

द्वितीय मंगलवार के अता0 प्र0सं0 70 में स्था0।

जनपद पौड़ी के यमकेश्वर महादेव मंदिर परिसर का सौन्दर्यीकरण

9—श्रीमती विजया बड़थ्वाल—

क्या पर्यटन मंत्री बतायेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर महादेव मन्दिर परिसर के सौन्दर्यीकरण के लिये पर्यटन विभाग से कोई योजना स्वीकृत है? यदि हाँ, इसके लिए कितनी धनराशि है और कब स्वीकृत की गई है? क्या निर्माण कार्य इसी महीने प्रारम्भ कर दिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

जनपद पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर महादेव मन्दिर के सौन्दर्यीकरण हेतु कोई योजना स्वीकृत नहीं की गई है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष, 2004–2005 की जिला योजना में इस मन्दिर के सौन्दर्यीकरण हेतु रु0 1.00 लाख का परिव्यय स्वीकृत है, जिस पर योजना आगणन प्राप्त होने पर ही स्वीकृति हेतु नियमानुसार विचार किया जा सकता है।

प्रदेश में क्षय रोगियों का निःशुल्क इलाज

10–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में क्षय रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है? यदि हाँ, तो इन रोगियों के निःशुल्क इलाज के लिए सरकार द्वारा कोई योजना बनाई गई है?

उक्त रोग के इलाज के लिए सभी अस्पतालों में निःशुल्क व्यवस्था उपलब्ध है? यदि हाँ, तो क्या?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़–

जी नहीं। क्षय रोगियों के निःशुल्क इलाज के लिए उत्तरांचल राज्य में पूरे देश की तरह पुनरीक्षित क्षय नियंत्रण कार्यक्रम डाट्स द्वारा चलाया जा रहा है।

जी हाँ। पुनरीक्षित क्षय नियंत्रण कार्यक्रम डाट्स (डाइरेक्टली आब्जर्वर्ड ट्रीटमेन्ट विद शार्टकोर्स किमाथेरेपी) के द्वारा स्वास्थ्य कार्यकर्ता अथवा स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं की देख–रेख में दवाई खिलाई जाती है, यह कार्यक्रम चरणबद्ध रूप से शुरू किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत 09 जनपदों में डाट्स कार्यक्रम शुरू किया जा चुका है। जनपद टिहरी गढ़वाल, चम्पावत व पिथौरागढ़ में उक्त कार्यक्रम जुलाई के अन्त से, तत्पश्चात् पूरे उत्तरांचल में यह कार्यक्रम चलाया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी के द्वारीखाल, यमकेश्वर व दुगड्डा वि0 खण्डों में नियुक्त ए0एन0एम0 की संख्या

11–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड द्वारीखाल, यमकेश्वर व दुगड्डा के पर्वतीय क्षेत्र में कुल कितनी ए0एन0एम0 नियुक्त हैं?

क्या प्रत्येक ग्राम के बच्चों का समय पर टीकाकरण एवं विभाग द्वारा इसका निरीक्षण किया जा रहा है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़–

जी हाँ, जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड द्वारीखाल, यमकेश्वर व दुगड्डा के पर्वतीय क्षेत्र में 54 ए0एन0एम0 नियमित एवं 09 ए0एन0एम0 संविदा पर नियुक्त हैं।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी में सामान्य शल्य चिकित्सा तथा प्लास्टर हेतु शुल्क का निर्धारण

12–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी में सामान्य शल्य चिकित्सा तथा फ्रैक्चर पर प्लास्टर आदि करवाने हेतु शुल्क लिया जा रहा है?

यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है तथा लिये गये शुल्क की रसीद दी जाती है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़–

जी हाँ।

सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की शल्य चिकित्सा हेतु भिन्न–भिन्न दरें निर्धारित की गयी हैं। सामान्य शल्य चिकित्सा तथा सामान्य फ्रैक्चर हेतु रु0 50.00 शुल्क लिया जाता है। बड़ी शल्य क्रिया (मेजर ऑपरेशन) हेतु रु0 200.00 एवं रु0 300.00 शुल्क लिया जाता है, जिसके लिए गये शुल्क की रसीदें दी जाती हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

देहरादून–मसूरी–नैनबाग–ऐन्दी–बनचौरा–बड़ेथी–उत्तरकाशी मार्ग पर रोडवेज बस सुविधा

13–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार देहरादून–मसूरी–नैनबाग–ऐन्दी–बनचौरा–बड़ेथी–उत्तरकाशी मार्ग पर रोडवेज बस चलाना प्रारम्भ करेगी?

यदि हाँ, तो कब से?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

पूर्व में देहरादून–मसूरी–नैनबाग–ऐन्दी–बड़कोट–ब्रह्मखाल होते हुये उत्तरकाशी मार्ग पर परिवहन निगम की बस सेवा संचालित की जा रही थी, परन्तु निगम सेवा की आय सन्तोषजनक प्राप्त न होने के कारण इस सेवा को बन्द करना पड़ा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

यात्रियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न होने तथा व्यावसायिक रूप से उचित लोड फैक्टर न आने के कारण।

जिला तथा उप जिला स्वास्थ्य एवं सूचना अधिकारी के वेतनमानों में संशोधन

14–श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला स्वास्थ्य एवं सूचना अधिकारी/उप जिला स्वास्थ्य सूचना अधिकारी के वेतनमान में संशोधन करने पर सरकार कोई विचार करने जा रही है?

यदि नहीं, तो क्या सरकार समान कार्य के लिए समान वेतन लागू करने पर विचार करेगी?

श्री तिलक राज बेहड़–

प्रश्नगत पदों के वेतनमान में संशोधन का फिलहाल कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद स्तर पर स्वास्थ्य का प्रचार–प्रसार हेतु अलग से सेल के गठन पर विचार

15–श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार जनपद स्तर पर प्रचार–प्रसार हेतु अलग सेल गठित करने पर विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जनपद स्तर पर प्रचार–प्रसार हेतु प्रचार वाहन, उपलब्ध कराने पर विचार करेगी?

श्री तिलक राज बेहड़–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी में नवनिर्मित राजकीय चिकित्सालय द्वारीखाल में कार्य का प्रारम्भ

16—श्रीमती विजय बड़थ्वाल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत राजकीय चिकित्सालय द्वारीखाल का भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा चिकित्सालय चलाने के लिए डाक्टरों तथा दवाईयों की समुचित व्यवस्था कर दी गई है?

यदि हाँ, तो चिकित्सालय कब तक कार्य करना प्रारम्भ कर देगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़—

जी हाँ।

राजकीय चिकित्सालय द्वारीखाल में संविदा के आधार पर चिकित्सक की तैनाती प्रस्तावित है तथा दवाईयों की समुचित व्यवस्था है।

चिकित्सालय का भवन शीघ्र अधिग्रहित करते हुए नवनिर्मित चिकित्सालय में कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी के अन्तर्गत कांडाखाल—चैलूसैंण मारी एवं डाडामण्डी—द्वारीखाल मार्ग पर बस सेवा का संचालन

17—श्रीमती विजय बड़थ्वाल—

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत कांडाखाल—चैलूसैंण मारी एवं डाडामण्डी—द्वारीखाल मार्ग पर कोई बस सेवा नहीं चलायी जा रही है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में इन दोनों मार्गों पर बस सेवा प्रारम्भ किये जाने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हीरा सिंह बिष्ट—

कांडाखाल—चैलूसैंण मारी मार्ग में चैलूसैंण से मारी तक नवनिर्मित तथा कच्चा मार्ग है, वर्तमान में कोटद्वार—कांडाखाल—चैलूसैंण तक बस सेवायें संचालित हैं।

डांडामण्डी—द्वारीखाल मार्ग नवनिर्मित मार्ग है। पूर्व में गुमखाल से द्वारीखाल तक बस सेवायें संचालित की गयी थी किन्तु व्यवसायिक रूप से उचित लोड फैक्टर न आने से बन्द कर दी गयी। डांडामण्डी से द्वारीखाल मार्ग का कुछ भाग अभी कच्चा है, जो बस संचालन के योग्य नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्नगत मार्ग के कच्चा होने, यात्रियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न होने तथा व्यावसायिक रूप से उचित लोड फैक्टर न आने के कारण।

जनपद ऊधमसिंह नगर व नैनीताल के अन्तर्गत हल्द्वानी–रामनगर से काठगोदाम में परिवहन ट्रक व्यवसायियों को कर में छूट

18–श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि तराई–भावर, जनपद ऊधमसिंह नगर व नैनीताल के अन्तर्गत हल्द्वानी–रामनगर से काठगोदाम में परिवहन व्यवसाय का कार्य करने वाले ट्रक स्वामियों से सरकार तिमाही कितना परिवहन कर वसूल करती है?

क्या सरकार इस टैक्स में छूट प्रदान किये जाने पर विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

तराई–भावर, जनपद ऊधमसिंह नगर व नैनीताल के अन्तर्गत हल्द्वानी–रामनगर से काठगोदाम में परिवहन व्यवसाय का कार्य करने वाले ट्रक स्वामियों से, यान के प्रति मीट्रिक टन (सकल यान भार) या उसके भाग के लिये प्रति तिमाही दिनांक 01–8–2003 से उत्तरांचल कराधान सुधार अधिनियम के अनुसार निर्धारित निम्न कर व अतिरिक्त कर वसूल किया जा रहा है।

कर

1. एक संभाग के लिये	रु0 70.00
2. एक से अधिक संभाग के लिये	रु0 85.00

अतिरिक्त कर

उत्तरांचल राज्य के मैदानी मार्ग	रु0 85.00

उत्तरांचल कराधान सुधार अधिनियम, 2003 लागू होने से पूर्व उत्तरांचल राज्य के मैदानी मार्ग हेतु अतिरिक्त कर की दर रुपये 110.00 प्रति त्रैमास, सकल यान भार के आधार पर वसूल किया जाता था। अतः उत्तरांचल कराधान अधिनियम, 2003 में सरकार द्वारा सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य के मैदानी मार्गों हेतु संचालित ट्रकों के लिये रुपये 85.00 प्रति त्रैमास निर्धारित कर टैक्स में छूट प्रदान की जा चुकी है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के वि0खं0 चिन्यालीसौड़ में भूकम्प से क्षतिग्रस्त प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र वनचौरा के भवन का निर्माण

19—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या स्वास्थ्य मंत्री के संज्ञान में है कि विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ जनपद उत्तरकाशी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वनचौरा का भवन भूकम्प से क्षतिग्रस्त है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इस भवन का पुनर्निर्माण करायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़—

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के द्वारीखाल सर्किल की स्थानीय दाईयों को पारिश्रमिक का भुगतान

20—श्रीमती विजय बड़थ्वाल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि स्थानीय दाईयों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा पचास रुपया महीने का पारिश्रमिक दिया जाता है?

यदि हाँ, तो जनपद पौड़ी गढ़वाल के द्वारीखाल सर्किल की दायी को विगत छः वर्षों से पारिश्रमिक का भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं?

श्री तिलक राज बेहड़—

जी हाँ।

उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्याः 641/चिकित्सा—3—2002—74/2001, दिनांक 20—11—2002 के द्वारा मानदेय 50 रुपये के स्थान पर 100 रुपया कर दिया गया है।

विकास खण्ड द्वारीखाल सर्किल की तीन अंशकालिक दाईयों को 30—11—2002 तक के मानदेय का भुगतान किया जा चुका है तथा उसके पश्चात् की अवधि का भुगतान शीघ्र कर दिया जायेगा।

सड़क परिवहन निगम द्वारा कुमाऊँ मण्डल में नियमित बस सेवा सुविधा

21—श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी—

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सड़क परिवहन निगम द्वारा कुमाऊँ मण्डल के द्वाराहाट—चौखुटिया—भिकियासैंण तथा भतरौंजखान होते हुये वाया—रामनगर देहरादून तक नियमित बस सेवा चलाये जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो उक्त मोटर मार्ग में सड़क परिवहन निगम की बस सेवा कब से प्रारम्भ हो जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

वर्तमान में उत्तरांचल परिवहन निगम द्वारा कुमाऊँ मण्डल के रानीखेत–मतरोंजखान–रामनगर–देहरादून मार्ग पर एक बस सेवा नियमित रूप से संचालित की जा रही है। द्वाराहाट–चौखुटिया–भिकियासैंण तथा मतरोंजखान होते हुये वाया–रामनगर देहरादून मार्ग पर बस सेवा संचालित किये जाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

यात्रियों की पर्याप्त संख्या के उपलब्ध न होने तथा व्यावसायिक रूप से उचित लोड फैक्टर न होने के कारण।

जनपद पौड़ी के वि0खं0 यमकेश्वर के विभिन्न ग्रामों के बच्चों का टीकाकरण हेतु ए0एन0एम0 की नियुक्ति

22–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के वि0खं0 यमकेश्वर के ग्राम तिमली, गुम्याणी, घाईखाल, नैल आदि गांवों एवं वि0खं0 द्वारीखाल के कौंदा, गूम, दावड़, अमोला आदि गांवों के बच्चों के टीकाकरण हेतु कोई ए0एन0एम0 नहीं है?

क्या सरकार जनहित में इन दूर दराज गांवों के लिए ए0एन0एम0 की नियुक्ति सुनिश्चित करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़–

जी नहीं।

जी हाँ।

वर्तमान में ए0एन0एम0 की संविदा पर नियुक्ति कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरकाशी में पर्यटक कार्यालय को मुख्यालय में स्थापित करने पर विचार

23—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या पर्यटन मंत्री मित्र हैं जनपद उत्तरकाशी में पर्यटन कार्यालय, उत्तरकाशी मुख्यालय से पाँच कि0मी0 दूर मनेरा में स्थापित किया गया है तथा क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी का स्थानान्तरण, निदेशालय, देहरादून में किया गया है? क्या यह सत्य है कि पर्यटन सूचना केन्द्र के अभाव में पर्यटकों को असुविधा हो रही है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार पर्यटकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए मनेरा से कार्यालय मुख्यालय में स्थापित किये जाने पर विचार करेगी तथा पूर्णकालिक क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी की भी तैनाती सुनिश्चित करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तेजपाल सिंह रावत—

उत्तरकाशी में वरुणावत त्रासदी के कारण जिला पर्यटन विकास कार्यालय, उत्तरकाशी को अस्थाई तौर पर पाँच कि0मी0 दूर मनेरा में स्थापित करना पड़ा। क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, उत्तरकाशी की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति के माध्यम से उत्तरांचल अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग, देहरादून में हो जाने के कारण यह पद रिक्त है। वर्तमान में इस अस्थाई कार्यालय से ही पर्यटकों को सभी सूचनाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं।

इस अस्थाई कार्यालय को यथाशीघ्र जनपद मुख्यालय पर निर्मित जनता यात्री निवास में स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जा रही है। क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी/जिला पर्यटन विकास अधिकारी की नियुक्ति उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद की सेवा शर्तों के निर्धारण न होने के कारण नहीं की जा सकी है, किन्तु वर्तमान में पर्यटक अधिकारी, टिहरी को उत्तरकाशी का भी अतिरिक्त कार्य सौंपा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी स्थित यमकेश्वर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने पर विचार

24—श्रीमती विजय बड़थ्वाल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्रा0स्वा0के0 व अन्य स्वास्थ्य केन्द्र हैं?

क्या यह सत्य है कि 80 हजार की जनसंख्या में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किया जाता है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार एक लाख से ऊपर जनसंख्या वाले क्षेत्र यमकेश्वर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने पर विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़–

विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में निम्नलिखित चिकित्सा इकाईयां स्थापित हैं:–

1.	उपकेन्द्र	25
2.	प्रा0स्वा0के0	02
3.	अति0प्रा0स्वा0के0	02
4.	रा0एलो0चिकि0	12
5.	महिला चिकि0	01
6.	अन्य स्वास्थ्य केन्द्र (आयुर्वेदिक चिकित्सालय)	04

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 80,000 से कम होने के कारण मानकों के अन्तर्गत नहीं है।

जनपद पौड़ी के डांडामंडी नामक स्थान से शराब की दुकान हटाने की मांग

25–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या आबकारी मंत्री मित्र हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के डांडामण्डी नामक स्थान में शराब की दुकान खोली गई है?

क्या यह सत्य है कि डांडामण्डी क्षेत्र की महिलाओं ने इस शराब की दुकान खोले जाने के विरुद्ध आन्दोलन किया?

यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा डांडामण्डी में दुकान बन्द करने का निर्णय ले लिया गया है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

जी हां।

जी नहीं। दुकान खोले जाने के विरुद्ध मात्र सुमंगला महासमिति द्वारा इस दुकान के विरोध में ज्ञापन दिये गये। राजाजी नेशनल पार्क के अन्तर्गत बीला स्थित दुकान को अपरिहार्य कारणों से हटाकर डांडामण्डी क्षेत्रवासियों द्वारा प्रस्तुत अनुरोध एवं मेजरनामा के आधार पर ही उक्त विदेशी मदिरा की दुकान स्थापित की गई है।

उक्त वर्णित परिस्थितियों में दुकान बन्द करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद उत्तरकाशी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक एवं नर्सों की तैनाती

26—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में कुल कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं तथा उनमें से कुल कितने प्रा0स्वा0 केन्द्रों पर चिकित्सक व नर्सें तैनात हैं?

क्या ऐसे भी प्रा0स्वा0 केन्द्र हैं जो चिकित्सक व नर्स विहीन हैं?

सरकार द्वारा इनमें कब तक चिकित्सक व नर्सों की तैनाती कर दी जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़—

जनपद उत्तरकाशी में कुल 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, उनमें से केवल एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (ब्रह्मखाल) को छोड़कर सभी 09 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सक तैनात हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डुण्डा के अलावा 09 अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्टाफ नर्स के पद स्वीकृत नहीं हैं।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ब्रह्मखाल चिकित्सक विहीन तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डुण्डा स्टाफ नर्स विहीन है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ब्रह्मखाल में संविदा पर शीघ्र ही चिकित्सक की तैनाती की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ऊधमसिंह नगर स्थित हरिपुरा जलाशय को राज्य पर्यटन स्थल का दर्जा

27—श्री प्रेमानन्द महाजन—

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि हरिपुरा जलाशय तहसील गदरपुर जिला ऊधमसिंह नगर को जल क्रीड़ा हेतु चयनित किया गया है? यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा उक्त स्थल को राज्य पर्यटन स्थल का दर्जा दिया गया है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तेजपाल सिंह रावत—

पर्यटन विभाग के द्वारा वर्ष, 1998 से हरिपुरा जलाशय, जनपद ऊधमसिंह नगर में साहसिक खेलों/जल क्रीड़ाओं का आयोजन किया जा रहा है। किसी भी स्थल को अलग से राज्य पर्यटन स्थल घोषित करने की कोई नीति नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ऊधमसिंह नगर के प्राथमिक उप–स्वास्थ्य केन्द्र, दिनेशपुर में सर्जन व गायनोकोलोजिस्ट के पदों का सृजन

28–श्री तसलीम अहमद–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर के प्राथमिक उप–स्वास्थ्य केन्द्र, दिनेशपुर में सर्जन व गायनोकोलोजिस्ट के पद सृजित किये जाने हेतु कोई मामला शासन के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो कब तक उक्त पद सृजित हो जायेंगे?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़–

जी हाँ।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी में विशेष कार्याधिकारी साहसिक पर्यटन के कार्यालय को पुनःस्थापित करने की मांग

29–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में विशेष कार्याधिकारी साहसिक पर्यटन कार्यालय स्थापित था?

यदि हाँ, तो वर्तमान में विशेष कार्याधिकारी साहसिक पर्यटन कौन हैं तथा इसका कार्यालय कहां स्थित है?

यदि नहीं, तो उक्त कार्यालय कब तक पुनःस्थापित कर लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

जी हाँ।

उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् में कार्मिकों की सेवा शर्तों का निर्धारण न होने के कारण अभी विशेष कार्याधिकारी, साहसिक पर्यटन, उत्तरकाशी के पद पर विधिवत् नियुक्ति नहीं की जा सकी है। इस कार्यालय के संचालन हेतु फिलहाल उप निदेशक, पर्यटन, मुख्यालय, देहरादून को कार्यालय के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार दिये गये हैं। वर्तमान में यह कार्यालय मनेरा, उत्तरकाशी में स्थापित है।

प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्र सरकार द्वारा चारों धामों एवं उत्तरांचल के प्रमुख धार्मिक स्थलों को जोड़ने की योजना

30—श्री अजय भट्ट—

क्या पर्यटन मंत्री को जानकारी है कि केन्द्र सरकार द्वारा चारों धामों एवं उत्तरांचल के प्रमुख धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए कोई योजना बनायी गयी है? यदि हाँ, तो उस योजना का नाम क्या है तथा आज तक इस योजना हेतु केन्द्र से कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई है? क्या सरकार इस दिशा में किये गये कार्यों का विवरण सदन के पटल पर रखेगी?

श्री तेजपाल सिंह रावत—

केन्द्र सरकार द्वारा चारों धामों एवं उत्तरांचल के प्रमुख धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए बनाई गयी योजना शासन को प्राप्त नहीं हुयी है।

जिला ऊधमसिंह नगर के गरीब बुक्सा व थारू जनजाति के शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों को बेरोजगारी भत्ता हेतु नीति

31—श्री प्रेमानन्द महाजन—

क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला ऊधमसिंह नगर के गरीब बुक्सा व थारू जनजाति के शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतिगों हेतु बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध कराये जाने की सरकार की कोई नीति है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हीरा सिंह बिष्ट—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली में सूखे से प्रभावित काश्तकारों को मुआवजा

32—डॉ0 अनुसुया प्रसाद मैखुरी—

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा सूखे से प्रभावित काश्तकारों को मुआवजा की व्यवस्था की गयी है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा—

जनपद चमोली के तहसील गैरसैंण के 170 ग्रामों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है।

सरकार द्वारा कृषि विभाग के माध्यम से कृषकों को कृषि निवेश अनुदान हेतु रुपया 5.00 लाख की धनराशि आवंटित की गई है, जिससे कृषकों को रुपया 1000.00 प्रति हैक्टेयर की दर से कृषि निवेशों पर अनुदान के रूप में वितरण की व्यवस्था की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 2003-2004 में जनपद उत्तरकाशी में मृदा एवं जल संरक्षण कार्यक्रम पर व्यय

33-श्री प्रीतम सिंह पंवार-

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2003-2004 में जनपद उत्तरकाशी में मृदा एवं जल संरक्षण कार्यक्रम मद पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गयी तथा उक्त कार्यक्रम किन-किन विकास खण्डों के किन क्षेत्रों में क्रियान्वयन किया गया?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा-

वर्ष 2003-2004 में जनपद उत्तरकाशी में स्थित दो इकाई उत्तरकाशी एवं बड़कोट में मृदा तथा जल संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं पर कुल 129.09 लाख की धनराशि व्यय की गई।

कार्यक्रम का क्रियान्वयन संलग्न विकास खण्ड एवं क्षेत्रों में किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ सं0 134 पर)

तीर्थस्थल यमुनोत्री के विकास हेतु कार्य योजना का प्रारूप

34-श्री प्रीतम सिंह पंवार-

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि तीर्थ स्थल यमुनोत्री के विकास के लिये सरकार द्वारा कोई कार्य योजना स्वीकृत की गयी है? यदि हाँ, तो उक्त योजना का प्रारूप क्या है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तेजपाल सिंह रावत-

यद्यपि तीर्थ स्थल यमुनोत्री के लिये अलग से कोई कार्य योजना तैयार नहीं की गई है तथापि इस क्षेत्र को/धाम को चार धाम महायोजना में सम्मिलित किया गया है। इस महायोजना के अन्तर्गत चारों धामों, जिसमें यमुनोत्री भी सम्मिलित है, में अवस्थापना सुविधाऐं उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य रखा गया है। 212 करोड़ लागत की इस योजना

को वित्तीय सहयोग हेतु भारत सरकार को सन्दर्भित किया गया है। इसके अतिरिक्त ग्यारहवें वित्त आयोग के अधीन यमुनोत्री पैदल मार्ग के सुधार एवं चौड़ीकरण हेतु रु0 318.85 लाख की योजना स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त छोटी–छोटी अन्य अवस्थाना सुविधाओं हेतु भी इस क्षेत्र में योजनाएँ स्वीकृत की गई हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा जनपद पौड़ी में प्रस्तावित पर्यटक आवास गृहों का निर्माण

35–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान में गढ़वाल मण्डल विकास निगम, जनपद पौड़ी गढ़वाल में कितने पर्यटक आवास गृह किन–किन स्थानों में बना रहा है?

क्या विकास खण्ड द्वारीखाल के सिलोगी व चैलूसैंण नामक स्थानों में भी पर्यटक आवास गृह प्रस्तावित हैं? यदि हाँ, तो इनका निर्माण कब तक कर दिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

वर्तमान में जनपद पौड़ी गढ़वाल में गढ़वाल मण्डल विकास निगम के माध्यम से यमकेश्वर में पर्यटक आवास गृह का निर्माण कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त नीलकंठ तथा श्रीनगर में भी रैन बसेरों (पर्यटक अतिथि गृहों) का निर्माण/सुदृढ़ीकरण भी गढ़वाल मण्डल विकास निगम के माध्यम से कराया जा रहा है।

द्वारीखाल, सिलोगी व चैलूसैंण में पर्यटक आवास गृह प्रस्तावित नहीं है।

पर्यटकों के गमनागमन के अनुरूप ही पर्यटक आवास गृहों के निर्माण पर विचार किया जा सकता है।

पौड़ी एवं कोटद्वार में रोडवेज बस अड्डों का निर्माण

36–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत पौड़ी और कोटद्वार में रोडवेज बस अड्डों के निर्माण हेतु कोई योजना प्रस्तावित है?

यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इन बस अड्डों का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत पौड़ी में रोडवेज बस स्टेशन निर्माण की वर्तमान में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। कोटद्वार में परिवहन निगम का बस स्टेशन व डिपो स्थापित है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पौड़ी के विकास खण्ड द्वारीखाल में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना

37–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड द्वारीखाल में कोई राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रस्तावित है?

यदि हाँ, तो कब तक उक्त संस्थान स्थापित कर दिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि जनपद पौड़ी गढ़वाल में पूर्व से ही आठ राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित हैं।

38–श्रीमती आशा देवी एवं श्री महेन्द्र भट्ट –

प्रथम सोम0 अता0 109 में स्था0।

39–श्री महेन्द्र भट्ट–

प्रथम सोम0 के अता0 110 में स्था0।

जनपद टिहरी के चिकित्सक विहीन एलोपैथिक चिकित्सालयों में चिकित्सकों की नियुक्ति

40–श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के कितने एलोपैथिक चिकित्सालयों में प्रश्न प्राप्ति की तिथि तक चिकित्सक नहीं हैं?

क्या सरकार अविलम्ब इन चिकित्सालयों में चिकित्सकों की नियुक्ति करने पर विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़–

जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रश्न प्राप्ति की तिथि तक 22 एलोपैथिक चिकित्सालयों पर चिकित्सक नहीं हैं।

इन सभी चिकित्सालयों में शीघ्र संविदा पर चिकित्सकों की तैनाती प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में चार धाम पद यात्रा हेतु पदयात्रियों को प्रदत्त सुविधाओं का ब्योरा

41–श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार नई पर्यटन नीति के तहत उत्तरांचल के चार धाम पदयात्रा के लिये पद यात्रियों की सुविधा हेतु क्या–क्या सुविधायें उपलब्ध करा रही है?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि चार धाम पदयात्रा के मुख्य केन्द्र स्थल बेलक, बूढ़ाकेदार, विनकखाल, इटकुणी, घुत्तु, पंवाली कांठा और त्रिजुगीनारायण पदयात्रा मार्गों पर चार धाम पद यात्रियों की सुविधा के लिये रैन बसेरा व अन्य सुविधायें उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

वर्तमान में चार धाम क्षेत्र के पदयात्रा मार्गों पर आवासीय सुविधा, प्रसाधन सुविधाएँ एवं पैदल मार्गों को और अधिक सुगम बनाने आदि कार्यवाहियां पर्यटन विभाग द्वारा की जा रही हैं।

घुत्तु में पर्यटन विभाग द्वारा 20 शैय्याओं का पर्यटक आवास गृह स्थापित किया गया है एवं अन्य स्थलों पर अभी आवासीय सुविधाओं का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

इस पदयात्रा मार्ग पर पर्यटकों के आवागमन के अनुरूप ही अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराये जाने पर विचार किया जा सकता है।

जनपद चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर में महिला पॉलीटेक्निक की स्थापना

42–डॉ0 अनुसुया प्रसाद मैखुरी–

क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर में महिला पॉलीटेक्निक खोला जा रहा है?

यदि हाँ, तो कब से?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

जी हाँ।

गुणावगुण के आधार पर परीक्षणोपरान्त यथासमय।

उपरोक्तानुसार।

43–गोबिन्द लाल–

द्वितीय सोमवार के अता0 50 में स्था0।

यमुनोत्री मार्ग के बनास में नारद गंगा नदी पर पुलिया का निर्माण

44–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा यमुनोत्री मार्ग पर स्थान बनास में नारद गंगा नदी पर तप्तकुण्ड के लिये आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण का आगणन पत्र संख्या: 414/आय–व्ययक/02–03, दिनांक 24–01–2003 के माध्यम से शासन की स्वीकृति को भेजा गया था? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, उत्तरकाशी का यह प्रस्ताव उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् को प्राप्त हुआ है एवं इस प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रुद्रप्रयाग में देवरियाताल, चोपता आदि पर्यटन स्थलों को पर्यटन मानचित्रों में अंकित किये जाने की योजना

45–श्रीमती आशा देवी–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग के किन–किन स्थानों को पर्यटन मानचित्र में लिया गया है?

क्या सरकार देवरियाताल, बासुकीताल, चोपता, दुगलबिट्टा, कार्तिक स्वामी एवं खाम–मनणी जैसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थानों को भी पर्यटन मानचित्रों में आच्छादित किये जाने की कोई योजना बना रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

पर्यटन विभाग के वर्तमान मानचित्र में जनपद रुद्रप्रयाग से श्री केदारनाथ, तुगनाथ, मदमहेश्वर, त्रिजुगीनारायण, कालीमठ, गौरीकुण्ड, रुद्रप्रयाग, चोपता, देवरियाताल, स्यालसौड़ एवं ऊखीमठ आदि स्थानों को इंगित किया गया है।

सामान्यतः पर्यटन मानचित्र पर्यटकों/यात्रियों की यात्रा सुविधा हेतु तैयार किये जाते हैं एवं मानचित्र को सुगमता से देखा जा सके, इस दृष्टि से बहुत अधिक स्थानों को इसमें इंगित किया जाना कठिन व पर्यटकों के लिये असुविधाजनक होता है।

प्रश्न नहीं उठता।

46–आशा देवी–

द्वितीय बुधवार के अता0 33 में स्था0।

परिवहन निगम में बस कंडक्टर, ड्राइवर व मोटर मैकेनिकों के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही

47–श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि परिवहन निगम में बस कन्डक्टर, ड्राइवर व मोटर मैकेनिकों के कितने पद रिक्त हैं?

क्या इन रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही चल रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

वर्तमान मानकों के अनुसार बस चालक, परिचालक व मोटर मैकेनिकों के रिक्त पद निम्नवत् हैं :–

पदनाम	रिक्त पद
चालक	265
परिचालक	316
मोटर मैकेनिक	44

वर्तमान में परिवहन निगम में दिनांक 22–1–2000 से पूर्व के 72 मृतक आश्रितों के सेवायोजन के प्रकरणों पर कार्यवाही गतिमान है। अवशेष रिक्त पदों को भरना निगम की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होने पर ही निर्भर करता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में लग रहे उद्योगों में प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं हेतु नीति

48—श्री प्रीतम सिंह पंवार एवं श्री प्रेमानन्द महाजन—

क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नई उद्योग नीति के तहत वर्ष 2003—2004 में लग रहे उद्योगों में प्रदेश के हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, स्नातक व प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की सरकार की कोई नीति है?

यदि हाँ, तो सरकार द्वारा अब तक कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया जा चुका है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हीरा सिंह बिष्ट—

जी हाँ।

प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2003—2004 में 6886 शिक्षित बेरोजगारों को रुपये 458718 लाख का ऋण स्वीकृत किया गया, जिसके सापेक्ष 5395 लाभार्थियों को 360353 ऋण वितरित किया गया तथा इससे 9245 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य में निजी कृषि कार्यों के दौरान दुर्घटनाग्रस्त श्रमिक के परिजनों को सहायता

49—श्री प्रेमानन्द महाजन—

क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल राज्य में निजी कृषि कार्यों में काम के दौरान दुर्घटना के फलस्वरूप व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसके परिजनों को सहायता दिये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो उसकी न्यूनतम और अधिकतम राशि कितनी है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हीरा सिंह बिष्ट—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में निजी कृषि कार्यों में काम के दौरान दुर्घटना के फलस्वरूप व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसके परिजनों को कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत प्रतिकर/क्षतिपूर्ति भुगतान कराये जाने का प्राविधान है।

वर्तमान में प्रवृत्त न्यूनतम मजदूरी की दरें रुपये 73/- प्रतिदिन अथवा रुपये 1898/- प्रतिमाह के आधार पर मृतककर्मकार के आश्रितों को न्यूनतम रुपये 94,302/- प्रतिकर/क्षतिपूर्ति देय है।

उक्त के अतिरिक्त गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बाल श्रमिक/कृषक के लिए भारत सरकार द्वारा जन श्री बीमा योजना लागू की गयी है, जिनमें 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्ति के बीमित होने की दशा में प्राकृतिक रूप से मृत्यु होने पर बीमित व्यक्ति को रुपये 20 हजार तथा दुर्घटना में मृत्यु होने पर बीमित व्यक्ति को रुपये 30 हजार तक मुआवजा एवं स्थायी रूप से अपंग व्यक्ति को न्यूनतम रुपये 20 हजार तथा अधिकतम रुपये 30 हजार दिये जाने का प्राविधान है।

जिला नैनीताल संभागीय परिवहन कार्यालय हल्द्वानी का कम्प्यूटरीकरण

50—श्री नारायण पाल—

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि हल्द्वानी जिला नैनीताल संभागीय परिवहन कार्यालय को एक करोड़ रुपये स्वीकृत होने के बाद भी अभी तक उक्त कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण नहीं हुआ है?

यदि हाँ, तो क्यों?

श्री हीरा सिंह बिष्ट—

जी नहीं, अभी तक भारत सरकार से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तरांचल परिवहन निगम में संविदा पर नियुक्त चालकों का नियमितीकरण

51—श्री नारायण पाल एवं श्री गोपाल सिंह राणा—

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल परिवहन निगम में संविदा पर नियुक्त किये गये चालकों को सरकार नियमित किये जाने पर विचार कर रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हीरा सिंह बिष्ट—

जी नहीं।

उत्तरांचल परिवहन निगम में जिन चालकों से संविदा पर कार्य लिया जा रहा है, उनकी संविदा शर्तों में नियमितीकरण का कोई प्राविधान नहीं है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गदरपुर, ऊधमसिंह नगर के नवनिर्मित अस्पताल भवन में चिकित्सकीय कार्य की शुरूआत

52–श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गदरपुर, ऊधमसिंह नगर, का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है?

यदि हाँ, तो अस्पताल में चिकित्सकीय कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़–

जी हाँ।

अस्पताल में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर का चिकित्सकीय कार्य पूर्व से ही संचालित किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पर्यटक स्थलों का विस्तारीकरण

53–श्री नारायण पाल–

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये पर्यटक स्थलों के विस्तारीकरण किये जाने की कोई योजना सरकार द्वारा बनाई जा रही है? यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

उत्तरांचल में नये पर्यटन गन्तव्यों के विकास हेतु विशेषज्ञ परामर्शी संस्थाओं के माध्यम से महायोजनाऐं तैयार कराई गयी हैं। वर्तमान में निम्न महायोजनाऐं तैयार की जा चुकी हैं :–

क– चार धाम यात्रा मास्टर प्लान।

ख– दयारा बुग्याल को शीतकालीन क्रीड़ा केन्द्र के रूप में विकसित करने हेतु मास्टर प्लान।

ग– ट्रैकिंग मार्गों के विकास हेतु मास्टर प्लान।

घ– टिहरी बांध क्षेत्र के पर्यटन विकास हेतु मास्टर प्लान।

ङ– जार्ज एवरेस्ट एस्टेट मसूरी का मास्टर प्लान।

च– कार्बेट कन्द्र (हेमपुर) नैनीताल का मास्टर प्लान।

छ– पौड़ी–खिरसू–लैन्सडाउन नये पर्यटन परिपथ का मास्टर प्लान।

ज– पिथौरागढ़–मुन्स्यारी में नये पर्यटन परिपथ का मास्टर प्लान।

इन महायोजनाओं का क्रियान्वयन केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं निजी पूंजी निवेश के माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी में डोडीताल व नचिकेताताल का सौन्दर्यीकरण व विकास

54—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में स्थित डोडीताल व नचिकेताताल के सौन्दर्यीकरण व विकास के लिये कोई योजना बनायी गयी है? यदि हाँ, तो उस पर कब तक कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तेजपाल सिंह रावत—

डोडीताल व नचिकेताताल में कैम्पिंग साईट्स के विकास हेतु एक योजना इस वित्तीय वर्ष 2004—2005 में तैयार की गई है। इस योजना को केन्द्र पोषित योजना के अधीन सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के रई नामक स्थान पर झील निर्माण की योजना

55—श्री प्रकाश पंत—

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ स्थित रई नामक स्थान पर झील निर्माण का कार्य प्रारम्भ किये जाने से सम्बन्धित कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कब तक इस पर निर्णय हो जायेगा?

श्री तेजपाल सिंह रावत—

जनपद पिथौरागढ़ के रई नामक स्थल पर झील निर्माण की योजना जनपद स्तर पर तैयार की गई है। इस योजना को प्राप्त कर इसका नियमानुसार परीक्षण कर इसके संदर्भ में निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।

उत्तरांचल परिवहन विभाग की पुरानी व जीर्ण—शीर्ण बसों को बदलने की कार्यवाही

56—श्री नारायण सिंह जंतवाल—

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल परिवहन विभाग की पुरानी व जीर्ण—शीर्ण बसों जिनके कारण दुर्घटनाओं की संभावना अधिक रहती है, को बदलने की कार्यवाही करेंगे?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा पर्वतीय मार्गों पर संचालित बसों की आयु सीमा 15 वर्ष एवं मैदानी क्षेत्र में संचालित बसों की आयु 20 वर्ष निर्धारित की गई है। उक्त सीमा समाप्त हो जाने के पश्चात् किसी भी वाहन को मार्ग पर संचालन की अनुमति नहीं दी जाती है। उत्तरांचल परिवहन निगम द्वारा भी पुरानी बसों का संचालन फिटनेस प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाता है। उत्तरांचल परिवहन निगम द्वारा पुरानी व जीर्ण–शीर्ण हो चुकी बसों को बदलने की कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है।

उत्तरांचल परिवहन निगम द्वारा प्रथम चरण में 300 नई बसें क्रय किया जाना प्रस्तावित है, इसमें से 160 नई बसों के चेसिसों का क्रय किया जा चुका है, शेष 140 बसों के क्रय आदेश शीघ्र ही जारी किये जा रहे हैं। अब तक 26 चेसिसों में बस बाडी का निर्माण पूर्ण कर विभिन्न क्षेत्रों के डिपोज को बस भेजी जा चुकी है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्य में कृषि विभाग के ढांचे का पुनर्गठन

57–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में कृषि विभाग के ढांचे का पुनर्गठन विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार विभाग का एकीकृत एक रेखीय न्याय पंचायत स्तरीय ढांचा बनाएगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

विभाग का पुनर्गठन शासनादेश संख्या 956/कृषि–1 (141)/2002, दिनांक 2 अगस्त, 2003 द्वारा किया जा चुका है।

विभागीय पुनर्गठन में विकास खण्ड स्तर तक के पदों का सृजन किया गया है। यही कर्मी ग्रामीण स्तर तक कृषि कार्यों के संचालन करने के लिए उत्तरदायी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ की निसनी चमोली आदि क्षेत्र में ऐलोपैथिक चिकित्सालय खोलने की मांग

58–श्री प्रकाश पंत–

क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ की निसनी, चमोली, बास्ते, रोडी–पाली, क्वीतड़, आगर क्षेत्र की जनता ऐलोपैथिक चिकित्सालय खोले जाने की मांग करती आ रही है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार संदर्भित स्थानों पर चिकित्सालय खोले जाने के सम्बन्ध में विचार कर रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़-

जी हाँ। (क्वीतड़ व आगर को छोड़)

जी नहीं।

मानकों की परिधि में नहीं आते हैं।

वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली योजना के माध्यम से लाभान्वित बेरोजगार पात्रों का विवरण

59-श्री प्रीतम सिंह पंवार, श्री महेन्द्र भट्ट एवं श्री नारायण पाल-

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली योजना के माध्यम से अब तक कितने बेरोजगार पात्र लाभान्वित हो चुके हैं और कितने बेरोजगारों को वर्तमान वित्तीय वर्ष में लाभान्वित किए जाने की योजना है?

श्री तेजपाल सिंह रावत-

वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत अब तक कुल 221 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है एवं वर्तमान में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुरूप इस वित्तीय वर्ष में 300 लाभार्थियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।

ऊधमसिंह नगर के ब्लॉक सितारगंज के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में रिक्त पदों पर तैनाती

60-श्री नारायण पाल-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ऊधमसिंह नगर के ब्लॉक सितारगंज में वर्तमान में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं तथा इन केन्द्रों में कितने महिला और पुरुष चिकित्सक कार्यरत हैं?

क्या सरकार इन स्वास्थ्य केन्द्रों के रिक्त पदों पर यथाशीघ्र तैनाती करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़-

ऊधमसिंह नगर के ब्लॉक सितारगंज में वर्तमान में 04 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं तथा इन केन्द्रों पर 04 पुरुष चिकित्साधिकारी कार्यरत हैं एवं एक पुरुष चिकित्साधिकारी का पद रिक्त है। इन केन्द्रों पर महिला चिकित्साधिकारियों के पद स्वीकृत न होने के कारण महिला चिकित्साधिकारी कार्यरत नहीं हैं।

लोक सेवा आयोग से चयनित चिकित्साधिकारी उपलब्ध होने पर रिक्त पद पर तैनाती की जा सकेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय आई0टी0आई0 हरिद्वार में प्रशिक्षण सत्र अगस्त 03 में प्रवेश में हुई अनियमितताओं के दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

61—श्री हरीदास—

क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राजकीय आई0टी0आई0, हरिद्वार में प्रशिक्षण सत्र, अगस्त, 2003 में प्रवेश के समय की गयी अनियमितताओं की प्रश्नकर्ता द्वारा जनवरी, 2004 में की गयी शिकायत की जाँच करायी गयी?

यदि हाँ, तो दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हीरा सिंह बिष्ट—

जी हाँ।

दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड के उपाध्यक्ष पद पर प्रतिनिधि के नामित होने का संशोधन

62—श्री प्रकाश पंत—

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कुमाऊँ मण्डल विकास निगम के उपाध्यक्ष पद पर सरकार द्वारा प्रतिनिधि नामित किया गया है?

यदि हाँ, तो क्या इस सम्बन्ध में कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि0 के मेमोरेन्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की धारा 80(II) में संशोधन किया गया है?

यदि हाँ, तो कब?

श्री तेजपाल सिंह रावत—

जी हाँ।

जी हाँ।

उपरोक्त संशोधन निगम के निदेशक मण्डल की बैठक दिनांक 20—12—2003 में अनुमोदित किया गया एवं अंशधारियों की सामान्य बैठक दिनांक 21—1—2004 में अनुमोदित किया गया।

रानीखेत स्थित कुमाऊँ मण्डल विकास निगम के ''मोनाल'' नामक गेस्ट हाउस में रेलवे आरक्षण केन्द्र खोलने पर विचार

63—श्री अजय भट्ट—

क्या पर्यटन मंत्री को जानकारी है कि रानीखेत स्थित कुमाऊँ मण्डल विकास निगम के "मोनाल" नामक गेस्ट हाउस को रेलवे आरक्षण केन्द्र खोलने हेतु कुमाऊँ मण्डल विकास निगम द्वारा अपनी सहमति प्रदान कर दी गयी थी?

यदि हाँ, तो आज तक रेलवे विभाग को उक्त गेस्ट हाउस न दिये जाने के क्या कारण है और कब तक उक्त गेस्ट हाउस रेल विभाग को दे दिया जायेगा?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

जी नहीं।

पर्यटक आवास गृह "मोनाल" रानीखेत में केवल तीन ही कक्ष उपलब्ध होने के कारण रेलवे आरक्षण हेतु कक्ष उपलब्ध नहीं कराया जा सका। वर्तमान में रेलवे विभाग द्वारा रानीखेत स्थित अपने परिसर में ही यात्री आरक्षण केन्द्र का शिलान्यास किया जा चुका है।

गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर के स्टोर में पड़े उपकरणों की मरम्मत

64–कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

क्या कृषि मंत्री अवगत हैं कि गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर के स्टोर में उपलब्ध जीरो टिलेज सीड ड्रिलें तथा जीरो सीड प्लाण्टर्स उपकरणों की मरम्मत कराकर बीजाई हेतु उपयोग में लाया जायेगा?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

जी नहीं।

गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर के स्टोर में जीरो टिलेज सीड ड्रिल तथा जीरो प्लाण्टर्स उपकरण मरम्मत हेतु उपलब्ध नहीं हैं। विश्वविद्यालय के फार्म मशीनरी एवं पावर इंजीनियरिंग विभाग द्वारा नवनिर्मित मशीनें ही किसानों को उपलब्ध कराई जाती हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरिद्वार के खादर दो–आब के वि0खं0 खानपुर एवं लक्सर में फसलों के बीजों, कन्दों एवं जड़ों की आपूर्ति

65–कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि जनपद हरिद्वार के खादर दो–आब क्षेत्र के दो विकास खण्डों खानपुर एवं लक्सर के अधिक नमी वाले क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाली फसलों के बीजों, कन्दों एवं जड़ों की आपूर्ति सुनिश्चित कराने की कृषि विभाग की कोई कार्य योजना है? यदि हाँ, तो उक्त कार्य योजना का स्वरूप क्या है?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

जनपद हरिद्वार के खादर दो आब क्षेत्र के दो विकास खण्ड खानपुर एवं लक्सर के अधिक नमी वाले क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाली फसलों के उन्नतिशील बीजों की आपूर्ति नियमित रूप से की जाती है। कन्दों एवं जड़ों की आपूर्ति किये जाने की कृषि विभाग की कोई कार्य योजना नहीं है।

पर्वतीय क्षेत्रों में आलू के विपणन की योजना

66–श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या कृषि मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों में आलू के विपणन के लिए सरकार कोई योजना बनाये जाने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

पर्वतीय क्षेत्रों में मण्डी समितियाँ क्रियाशील किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। वर्तमान में पीपलकोटी, लोहाघाट एवं पिथौरागढ़ में मण्डी समितियों के लिए स्थल चिन्हित कर लिये गये हैं परन्तु पीपलकोटी एवं लोहाघाट में चयनित स्थल सिविल वन भूमि होने के कारण भारत सरकार की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं, जिनकी स्वीकृति प्राप्त होनी अपेक्षित है। जैसे ही भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होती है, इन स्थलों पर कब्जा लेने की कार्यवाही की जायेगी। पिथौरागढ़ में मण्डी स्थल हेतु भूमि चिन्हित कर ली गयी है, किन्तु जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली भू–चयन समिति की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त होनी अभी अपेक्षित है। औपचारिक स्वीकृति प्राप्त होने पर चिन्हित भूमि का कब्जा प्राप्त किया जायेगा।

उपरोक्त तीनों प्रस्तावित स्थलों पर कब्जा प्राप्त होने के उपरान्त मण्डी स्थलों के विकास हेतु लाईसेंसी व्यापारियों के लिए दुकानों का निर्माण, कृषि उपज की नीलामी के लिए नीलामी चबूतरे, कृषकों के रात्रि विश्राम के लिए कृषक विश्राम गृह तथा पशुओं के लिए छाया एवं पानी आदि की व्यवस्था की कार्यवाही की जायेगी।

जनपद उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल एवं बागेश्वर के जिलाधिकारियों से ग्राम समाज अथवा राज्य सरकार की भूमि मण्डी स्थलों के निर्माण हेतु उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है, जैसे ही भूमि की उपलब्धता की सूचना प्राप्त होगी तदुपरान्त चिन्हित भूमि पर कब्जा लेकर उपरोक्तानुसार ही अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

प्रदेश में बासमती जोन हेतु चयनित जनपद एवं कृषकों को उपज बढ़ाने हेतु सुविधा

67–श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या कृषि मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल के किन–किन जनपदों को बासमती जोन हेतु चयन किया गया है?

क्या यह सत्य है कि सामान्य श्रेणी के चावल पर कृषकों को प्रति हेक्टेयर मुनाफा बासमती चावल की तुलना में अधिक है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार कृषकों को कोई सुविधा मुहैया कराये जाने पर विचार कर रही है, जिससे कि बासमती चावल की उपज बढ़ायी जा सके?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

बासमती जोन में निम्नांकित चार जनपदों का चयन किया गया है :–

1. देहरादून, 2. हरिद्वार, 3. ऊधमसिंह नगर, 4. नैनीताल।

बासमती धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा घोषित न होने के कारण इसकी दरों में अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय बाजार की मांग के अनुसार उतार–चढ़ाव आता रहता है। इसके कारण सामान्य धान की अपेक्षा बासमती धान में कृषकों को किसी वर्ष मुनाफा कम होता है किसी वर्ष अधिक।

1–उत्तरांचल राज्य को भारत सरकार के उपक्रम कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपिडा) द्वारा भौगोलिक पहचान के रूप में पैटेन्ट कराने हेतु कार्यवाही की जा रही है। इससे अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में कृषकों को बासमती का बेहतर मूल्य प्राप्त हो सकेगा।

2–बासमती धान की उत्पादकता बढ़ाने हेतु कृषकों को उन्नत तकनीकी प्रदर्शन, आई0पी0एम0 के माध्यम से तकनीकी प्रशिक्षण कृषकों को दिया जा रहा है तथा बासमती की शस्य क्रियाएं सम्बन्धी साहित्य प्रत्येक किसान को उपलब्ध कराया गया है।

3–प्रत्येक बासमती उत्पादक गांव में कृषकों के स्वयं सहायता समूह गठित किये गये हैं। जनपद स्तर पर दिनांक 24 जुलाई, 2004 को पन्तनगर के वैज्ञानिकों के माध्यम से स्वयं सहायता समूह के अध्यक्षों को बासमती तकनीकी प्रशिक्षण आयोजित किया गया है।

4–बासमती धान की उन्नत प्रजाति के बीजों एवं कृषि यंत्रों पर विभाग द्वारा 25 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है तथा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपिडा) से भी कृषि यंत्रों पर 25 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव भेजा गया है।

5–कृषकों की समस्याओं के निवारण हेतु राज्य स्तर एवं जनपद स्तर पर बासमती कोर ग्रुप का गठन किया गया है। चारों जनपदों क्रमशः देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर एवं नैनीताल में कॉमन फैसेलिटी सैन्टर स्थापित करने के लिए अपिडा को प्रस्ताव भेजा जा रहा है।

जनपद ऊधमसिंह नगर स्थित काशीपुर में प्राथमिक केन्द्र हेतु भवन निर्माण के लिए वित्तीय प्रावधान

68–श्री हरभजन सिंह चीमा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र काशीपुर की ग्राम सभा ढकियाकलां के ग्राम ढकिया नं0 1 में चल रहे प्राथमिक केन्द्र के भवन निर्माण हेतु सरकार द्वारा वर्तमान वर्ष में वित्तीय प्रावधान किया गया है ?

यदि हां, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तिलकराज बेहड़–

जी हाँ।

जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र काशीपुर की ग्रामसभा ढकियाकलां के ग्राम ढकिया नं0–1 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2004–05 में रु0 11.50 लाख का वित्तीय प्राविधान किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में फार्मासिस्टों के रिक्त पदों पर नियुक्ति

69–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने फार्मासिस्टों के पद रिक्त हैं ?

क्या सरकार इन रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्तियां करेगी ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तिलकराज बेहड़–

प्रदेश में फार्मासिस्टों के कुल 13 पद रिक्त हैं।

उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल के बीच कार्मिकों के अन्तिम आवंटन के पश्चात् नियुक्तियों पर विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

गढ़वाल मण्डल विकास निगम के दैनिक भोगी कैन्टीन कर्मचारियों का नियमितीकरण

70—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गढ़वाल मण्डल विकास निगम के दैनिक भोगी कैन्टीन कर्मचारियों का सरकार नियमितीकरण किये जाने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तेजपाल सिंह रावत—

गढ़वाल मण्डल विकास निगम में दैनिक वेतन कार्मिकों की बड़ी संख्या को देखते हुए अभी इन कार्मिकों के नियमितीकरण पर कार्यवाही नहीं की जा सकी है। निगम द्वारा तैयार किये जा रहे प्रस्ताव के अनुरूप इस संदर्भ में शासन स्तर पर परीक्षणोपरांत कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद नैनीताल व ऊधमसिंह नगर में ग्रामीण परिवार कल्याण परियोजना (सिफसा) में बेरोजगार हुई महिलाओं का अन्यत्र परियोजना में समायोजन

71—श्री हरभजन सिंह चीमा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद नैनीताल व ऊधमसिंह नगर में ग्रामीण परिवार कल्याण परियोजना (सिफसा) में कार्यरत लगभग 500 महिलायें बेरोजगार हो गई हैं ?

यदि हां, तो क्या इन बेरोजगार महिलाओं को सरकार अन्य परियोजनाओं में समायोजित करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तिलकराज बेहड़—

जनपद नैनीताल व ऊधमसिंह नगर में ग्रामीण परिवार कल्याण परियोजना (सिफसा) के अन्तर्गत विभागीय स्तर पर महिलाओं की कोई नियुक्ति नहीं की गयी।

उपरोक्तानुसार।

सिफसा द्वारा अनुबन्धित एवं उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद्, लखनऊ द्वारा संचालित ग्रामीण परिवार कल्याण परियोजना जिसमें नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड (लालकुआँ) नैनीताल ने मात्र एक समन्वयक संस्था के रूप में कार्य किया। इस परियोजना के अन्तर्गत 440 दुग्ध समितियों से 460 स्वैच्छिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का चयन हुआ परन्तु 439 कार्यकर्ताओं के माध्यम से कार्य कराया गया। यह परियोजना वर्ष 1997 से वर्ष 2002 तक चलाई गयी। वर्ष 2002 में सिफसा द्वारा यह परियोजना समाप्त कर दी गयी।

नैनीताल हल्द्वानी मोटर मार्ग में वल्दियाखान के पास दुर्घटनाग्रस्त बस के यात्रियों को मुआवजा।

72—श्री नारायण सिंह जंतवाल—

क्या परिवहन मंत्री अवगत हैं कि दिनांक 27—2—2004 की सांय नैनीताल—हल्द्वानी मोटर मार्ग (जनपद—नैनीताल) वल्दियाखान के पास परिवहन निगम (उत्तरांचल) की बस दुर्घटनाग्रस्त हुई थी ?

यदि हां, तो दुर्घटना में मारे गये लोगों व घायलों को समुचित मुआवजा दे दिया गया है ? यदि हां, तो कितना ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या यह सत्य है कि परिवहन निगम की यह बस अत्यन्त जीर्ण—शीर्ण अवस्था में थी ?

यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी तथा दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट—

जी हां।

प्रश्नगत दुर्घटना में मारे गये एवं घायलों के 28 आश्रितों को जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा कुल रुपये 5,70,000 की धनराशि प्रदान की गयी है। उक्त के अतिरिक्त उत्तरांचल परिवहन निगम द्वारा भी दुर्घटना में मारे गये एवं घायलों के 28 आश्रितों को कुल रुपये 66,000.00 की धनराशि प्रदान की गयी है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जी, नहीं। दुर्घटनाग्रस्त बस संख्या यू0पी0—6—4140, दिनांक 24—6—1998 को पंजीकृत हुई थी, तथा इस वाहन की तकनीकी फिटनेस सितम्बर, 2004 तक वैध थी। दुर्घटना की मजिस्ट्रियल जांच जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

73—श्री नारायण सिंह जंतवाल—

द्वितीय सोम0 के अता0 61 में स्था0।

ग्रामीण क्षेत्रों में बरसात में होने वाली बीमारियों की रोकथाम

74—श्री तसलीम अहमद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार द्वारा बरसात में होने वाली बीमारियों के रोकथाम के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रबन्ध किये गये हैं?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़—

जी हाँ। बरसात में होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्रबन्ध किये गये हैं। जिला मुख्यालयों पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किये गये हैं, जिनमें सचल चिकित्सा दलों का गठन किया गया है, जिससे किसी भी क्षेत्र से रोगों की सूचना मिलने पर सचल चिकित्सा दल को चिकित्सा उपचार के लिए भेजा जाता है। इन स्थापित नियंत्रण कक्षों में 24 घण्टे कर्मचारियों, वाहन एवं औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। संक्रामक रोगों की रोकथाम हेतु ओ0आर0एस0 पैकेट व क्लोरीन की गोलियाँ तथा प्रचुर मात्रा में औषधियां उपकेन्द्र स्तर तक उपलब्ध कराई गई है। कटे, सड़े, गले फलों की बिक्री पर रोक लगाने हेतु खाद्य निरीक्षकों को निर्देशित किया गया है। दूषित खाद्य सामग्री की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के वि0ख0 भटवाड़ी में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सिल्ला—कुशकल्याण तक ट्रैकिंग रूट का निर्माण

75—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी के मल्ला गांव से सिल्ला—कुशकल्याण—सहस्त्रताल तक साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देगी तथा कुशकल्याण—सहस्त्रताल तक ट्रैकिंग रूट का निर्माण करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तेजपाल सिंह रावत—

वन विभाग के माध्यम से भिलंगना घाटी इको—टूरिज्म परियोजना तैयार करायी गई है। इसके अन्तर्गत कुशकल्याण—सहस्त्रताल ट्रैक मार्ग का सुधार कार्य भी सम्मिलित है। इस योजना का परीक्षण किया जा रहा है एवं इसके उपरान्त ही नियमानुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

चार धाम यात्रा के दौरान हुई दुर्घटनाओं की रोक थाम

76–श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि इस वर्ष चार धाम यात्रा के अन्तर्गत कुल कितनी दुर्घटनायें घटित हुई तथा कितने यात्रियों की मृत्यु हुई?

क्या मंत्री जी यह भी बतलाने का कष्ट करेंगे कि इन दुर्घटनाओं का प्रतिशत विगत वर्ष की तुलना में क्या रहा?

क्या सरकार इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिये कोई कार्य योजना बना रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

वर्ष, 2004 में चार धाम यात्रा अवधि में कुल 15 यात्री वाहनों की दुर्घटनायें हुई, जिसमें 89 यात्री मारे गये।

यात्राकाल में हुई इन दुर्घटनाओं का प्रतिशत, गत वर्ष में हुई दुर्घटनाओं का 18 प्रतिशत है।

दुर्घटनाओं पर प्रभावी रूप से रोक लगाने हेतु पर्वतीय मार्गों पर यात्रा के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के लिए डूज/डोन्ट्स की एक सूची तैयार कर राज्य के समस्त परिवहन अधिकारियों, जिलाधिकारियों/पुलिस अधीक्षकों को भेजी गयी है। उक्त सूची को अन्य राज्यों में भी विस्तृत प्रचार–प्रसार हेतु भेजा गया है। साथ ही जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित किया गया है, एवं सभी परिवहन अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिये गये हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

31 मार्च, 2004 को समाप्त हुए शराब के ठेकों की अवधि बढ़ाने के कारण

77–श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या आबकारी मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि 31 मार्च, 2004 को समाप्त हुए शराब के ठेकों की अवधि किस आधार पर बढ़ायी गयी?

क्या यह सत्य है कि उक्त ठेके पूर्ववत ठेकेदारों को ही दिये गये?

क्या मंत्री जी यह भी बतलाने का कष्ट करेंगे कि विगत वर्ष ठेके की न्यूनतम राशि कितनी निर्धारित की गयी थी, तथा वर्तमान सत्र, 2004–05 के लिए भी कोई न्यूनतम राशि निर्धारित की गयी है? यदि हाँ, तो कितनी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2004 की घोषणा होने के फलस्वरूप आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण देशी–विदेशी मदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन की अवधि बढ़ायी गई।

जी हाँ। दिनांक 01–04–2004 से 10–06–2004 तक की अवधि के लिए मदिरा की दुकानों का संचालन पूर्व के ही अनुज्ञापियों के माध्यम से ही चलाने का प्राविधान किया गया था।

वित्तीय वर्ष, 2003–04 में देशी–विदेशी मदिरा की दुकानों के लिए 'राजस्व' का निर्धारण (लाइसेंस फीस + अधिभार) वर्ष, 2002–03 में देशी मदिरा की बल्क लीटर एवं विदेशी मदिरा की बोतलों की संख्या में बिक्री के आधार पर स्लैबवार 15% वृद्धि करते हुए दुकानवार अलग–अलग निर्धारित किया गया था।

वित्तीय वर्ष, 2004–05 हेतु लाईसेंस फीस का निर्धारण विगत वित्तीय वर्ष, 2003–04 में देशी मदिरा की बल्क लीटर बिक्री एवं विदेशी मदिरा की बोतलों की संख्या में बिक्री के आधार पर 15% वृद्धि करते हुए निर्धारित की गई है। इसी प्रकार देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों के लिए वित्तीय वर्ष, 2003–04 में वास्तविक निकासी पर देय अधिभार में 15 प्रतिशत वृद्धि जोड़कर वर्ष, 2004–05 हेतु अधिभार निर्धारित किया गया है। इस प्रकार लाईसेंस फीस तथा अधिभार का योग दुकान का राजस्व अलग–अलग दुकानों के लिए अलग–अलग है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में संविदान्तर्गत नियुक्त डॉक्टरों की सूची एवं उनका विनियमितीकरण

78–श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में कुल कितने डॉक्टर वर्तमान में संविदान्तर्गत नियुक्त हैं?

क्या सरकार इन डॉक्टरों को विनियमितीकरण किये जाने पर विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक इस पर निर्णय हो जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़–

वर्तमान समय में उत्तरांचल में कुल 199 चिकित्सक संविदा पर कार्यरत हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद चमोली के वि0खं0 पोखरी एवं घाट में आई0टी0आई0 खोलने का प्रस्ताव

79—श्री महेन्द्र भट्ट—

क्या श्रम मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी एवं घाट में आई0टी0आई0 खोलने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो दोनों विकास खण्डों में आई0टी0आई0 कब तक खोल दिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हीरा सिंह बिष्ट—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली में वर्तमान में पांच राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, क्रमशः गोपेश्वर, कर्णप्रयाग, देवाल, गैरसैंण तथा तपोवन पूर्व से ही स्थापित हैं।

जनपद पौड़ी के नीलकंठ महादेव में कांवड़ियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर सुविधा देने की योजना

80—श्रीमती विजय बड़थ्वाल—

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के नीलकंठ महादेव में सावन मेले में लगभग प्रतिवर्ष कितने कांवड़िये आते हैं?

क्या सरकार इन यात्रियों की सुविधा के लिए कोई योजना बनाये जाने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो इसका स्वरूप क्या है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तेजपाल सिंह रावत—

नीलकंठ महादेव मन्दिर में सावन मेले में लगभग 40,00,000 (चालीस लाख) कांवड़ यात्री आते हैं।

नीलकंठ में पर्यटन विभाग की ओर से पथ प्रकाश व्यवस्था कराई गयी है। इसके अतिरिक्त 30 शैय्याओं के पर्यटक अतिथिगृह का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है एवं यात्रियों की सुविधा हेतु यात्रा मार्ग पर एक मार्गीय सुविधा का निर्माण कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी में निर्मित हनुमानचट्टी–जानकीचट्टी मोटर मार्ग पर वाहन चलाने की स्वीकृति

81–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत हनुमानचट्टी–जानकीचट्टी मोटर मार्ग, संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा वाहन चलाने हेतु स्वीकृत किया गया है?

यदि नहीं, तो कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत हनुमानचट्टी–जानकीचट्टी मोटर मार्ग, को बीफ गांव तक 09 किलोमीटर केवल हल्के वाहनों के संचालन के लिये निर्मित होने पर संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून के आदेश दिनांक 17–6–2003 द्वारा मार्ग खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। वर्तमान में उक्त मार्ग पर हल्के वाहनों का संचालन हो रहा है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तरकाशी के नौगांव प्रखण्ड के गांव बनास से हरकी–दून तक ट्रैकिंग रूट का सुदृढ़ीकरण

82–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या पर्यटन मंत्री अवगत हैं कि उत्तरकाशी के नौगांव प्रखण्ड के गांव बनास से हरकी–दून तक पर्यटकों के लिए ट्रैकिंग रूट खुला है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त ट्रैकिंग रूट को सुदृढ़ कराये जाने पर विचार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

जी हाँ।

वन विभाग के माध्यम से हरकी–दून के अन्तर्गत ट्रैकिंग मार्गों के जीर्णोद्धार एवं विकास की योजना इस वित्तीय वर्ष 2004–2005 में तैयार की गई है। उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुरूप योजना का क्रियान्वयन प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

83–श्रीमती आशा देवी–

द्वितीय सोमवार के अता० 52 में स्था०।

जनपद हरिद्वार के वि0खं0 खानपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सक की नियुक्ति

84–कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''–

क्या स्वास्थ्य मंत्री जी अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार के विकास खण्ड खानपुर स्थित पी0एच0सी0 (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र) में पिछले एक वर्ष से एक भी डॉक्टर तैनात नहीं है?

क्या यह भी सत्य है कि लक्सर की सी0एच0सी0 में एक ही चिकित्सक तैनात है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में उक्त दोनों चिकित्सा केन्द्रों पर अविलम्ब चिकित्सक नियुक्त करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़–

जी नहीं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खानपुर में चिकित्साधिकारी डॉ0 जावेद हुसैन शाह मार्च, 2004 से तैनात हैं।

जी नहीं। सी0एच0सी0, लक्सर में वर्तमान में 04 चिकित्सक कार्यरत हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद टिहरी के प्रसिद्ध तीर्थस्थल सेम नागराजा मंदिर का विकास

85–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या तीर्थाटन एवं धर्मस्व कार्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल सेम नागराजा मन्दिर विकास के लिये सरकार कोई योजना बना रही है? यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

यद्यपि सेम नागराजा मन्दिर के लिये कोई अलग योजना तैयार नहीं की गई है तथापि सेम मुखेम मन्दिर के महत्व को देखते हुये वित्तीय वर्ष, 2000–2001 में इस मन्दिर तक जाने वाले पहुंच मार्ग के सुदृढ़ीकरण हेतु रु0 9.70 लाख की योजना स्वीकृत की जा चुकी है, जिस पर 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाऐं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 301 के अन्तर्गत श्री बलबीर सिंह नेगी, श्री हरीदास, श्री नारायण पाल, श्री अजय भट्ट, श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी, श्री नारायण सिंह जन्तवाल, श्री प्रकाश पंत तथा श्रीमती आशा देवी की कुल 8 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से श्री बलबीर सिंह नेगी, श्री हरीदास, श्री नारायण पाल, श्री अजय भट्ट, श्री नारायण सिंह जन्तवाल, श्री प्रकाश पंत तथा श्रीमती आशा देवी की सूचनाओं को स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनाएं अस्वीकार की गयीं।

जनपद टिहरी गढ़वाल के घनसाली तहसील के ग्राम अखोड़ी में विद्युत लाइन बिछाने/निर्मित होने के उपरान्त भी गांववासियों को विद्युत कनेक्शन न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***श्री बलबीर सिंह नेगी–**

[मान्यवर, जनपद टिहरी गढ़वाल के घनसाली तहसील के ग्राम सभा अखोड़ी में विद्युत लाइन बिछवाये/निर्मित हुए लगभग 5 वर्ष हो चुके हैं लेकिन अभी तक गांववासियों को विद्युत कनेक्शन न दिये जाने से स्थानीय जनता में व्यापक आक्रोश व्याप्त है।

उक्त गांव उत्तराखण्ड आन्दोलन के जनक स्वर्गीय श्री इन्द्रमणी बडोनी का पैतृक गांव है। विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा क्षेत्रवासियों को विगत पांच वर्षों से कनेक्शन न देकर उदासीनता बरती जा रही है। मेरे क्षेत्र भ्रमण के दौरान क्षेत्रवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा विद्युत कनेक्शन न देकर उपेक्षा की जा रही है।

अतः मेरा अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय, तात्कालिक व लोक महत्व की सूचना को नियम 301 के अन्तर्गत लिया जाय तथा सरकार को प्रभावी निर्देश निर्गत करने की कृपा करें।]

सचिवालय सेवा के कतिपय अधिकारियों/कर्मचारियों की पदोन्नति एवं वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप से प्रकाशित न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***श्री हरीदास–**

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान सचिवालय सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप से प्रकाशित न किए जाने तथा कुछ कृपा

---

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट : [ ] यह अंश पढ़े हुए माने गये।

पात्र होने के कारण अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दो–दो प्रमोशन दिये जाने से सचिवालय सेवा में कार्यरत अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों में फैल रहे जनाक्रोश की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

महोदय, उत्तरांचल गठन के उपरान्त उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल आये अधिकारियों एवं कर्मचारियों को एक प्रमोशन देने की सरकार की योजना थी परन्तु कुछ कृपा पात्र अधिकारियों एवं कर्मचारियों के दो–दो प्रमोशन नियम के विरुद्ध दिये गये तथा शेष बचे कर्मचारी एवं अधिकारी प्रमोशन की आस लगाए ही रहे परन्तु उन्हें आज तक प्रमोशन नहीं दिया गया। जिससे सचिवालय सेवा में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के हृदय में अपने ही साथ कार्य करने वाले सहयोगियों एवं अधिकारियों के प्रति एक आक्रोश पैदा हो गया है। इस प्रकार किये गये भेदभाव से कर्मचारियों के हृदय में अपने ही कर्मचारियों के प्रति घृणा भाव भी पैदा होता जा रहा है।

अतः, महोदय से निवेदन है कि इस प्रकार नियम के विरुद्ध किये जा रहे प्रमोशन पर रोक लगायी जाये एवं अधिकारियों एवं कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची के अन्तिम रूप से शीघ्र प्रकाशित करने हेतु सरकार से आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

(माननीय सदस्य श्री नारायण पाल का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे)

सन् 2001 से रोके गये लीसा मजदूरों के भुगतान के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, उत्तरांचल में नाप भूमि से लीसा निकालने वाले छेवकों को सन् 2001 से कोई भुगतान नहीं किया गया है। छेवकों को भुगतान न करने के कारण लीसा मजदूरों को आज तक मजदूरी नहीं मिलने से उनके भूखों मरने की नौबत आ गयी है। सरकार से कई बार लीसा निकलने वाले छेवकों को भुगतान करने हेतु निवेदन किया गया है। ताकि लीसा निकालने वाले दैनिक वेतन भोगी मजदूरों की मजदूरी दी जा सके परन्तु आज तक इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मजदूरों की रोजी रोटी से सम्बन्धित मामला होने के कारण ही इसे सदन के सम्मुख उठाना पड़ रहा है।

अतः मेरा अनुरोध है कि सरकार को लीसा छेवकों के 2001 से अकारण रोके गये भुगतान को शीघ्र देने के निर्देश देने का कष्ट करें ताकि लीसा मजदूरों का भुगतान किया जा सके।

"कार्बेट फॉल" कालाढूंगी, जनपद नैनीताल में पर्यटकों के लिए सुरक्षात्मक प्रबन्ध किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नारायण सिंह जन्तवाल–

मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न लाना चाहता हूँ। "कार्बेट फॉल" जनपद नैनीताल में पिछले कुछ वर्षों से पर्यटक बड़ी संख्या में वहां पर आ रहे हैं तथा इस रमणीक स्थल पर आकर सन्तुष्ट होकर लौटते हैं। पर्यटकों के आगमन से वन विभाग को आय होने के साथ–साथ स्थानीय लोगों, टैक्सी चालकों आदि को रोजगार भी प्राप्त हो रहा है परन्तु पर्याप्त सुरक्षात्मक व्यवस्था न होने के कारण तैरते समय पिछले दिनों 16–7–2004 को 2 पर्यटकों की मृत्यु हो गयी। इससे पूर्व भी यहां पर दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो चुकी हैं। इन घटनाओं से पर्यटकों के आवागमन में कमी हो सकती है क्योंकि इन घटनाओं का निवारण समाचार–पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है। कार्बेट फॉल में पर्यटकों का आवागमन बना रहे जिससे स्थानीय लोगों को मिलने वाला रोजगार चलता रहे इस हेतु आवश्यकीय सुरक्षा प्रबन्ध कर उनका प्रचार–प्रसार कर पर्यटकों में व्याप्त भय की भावना को समाप्त किया जाये। अतः मैं शासन से मांग करता हूँ कि इस मांग को पूरा करने के लिए प्रभावशाली कार्यवाही सुनिश्चित कर दें।

महादेवी कन्या पाठशाला, देहरादून की हैण्ड बॉल की 24 खिलाड़ियों द्वारा साई के प्रशिक्षक पर यौन उत्पीड़न की लिखित शिकायत दर्ज कराने के उपरान्त भी कार्यवाही न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, महादेवी कन्या पाठशाला, देहरादून की हैण्ड बॉल की 24 खिलाड़ियों द्वारा साई के प्रशिक्षक पर यौन उत्पीडन की लिखित शिकायत दर्ज की गई, जिस पर विद्यालय की प्रधानाचार्या ने उत्तरांचल ओलम्पिक संघ के अध्यक्ष श्री राजीव मेहता को संदर्भित प्रकरण पर अपना विरोध दर्ज कराते हुए 4–3–04 को पत्र लिखा तथा सरकार व प्रशासन को भी अवगत कराया। जनप्रतिनिधियों द्वारा 12 मई, 2004 को प्रकरण मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया गया। जिस पर उनके द्वारा प्रभावी कार्यवाही का आश्वासन दिया गया। प्रकरण में की गई शिकायतों में हैण्ड बॉल एसोसियेशन तथा उत्तरांचल ओलम्पिक संघ की भूमिका पर भी गम्भीर आरोप लगाये गये हैं। परन्तु आज तक संदर्भित प्रकरण पर कार्यवाही प्रकाश में नहीं आ पाई जिस कारण खेल प्रतिभाओं में असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूँ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद रुद्रप्रयाग तथा चमोली में स्थित संस्कृत महाविद्यालयों की परीक्षायें मूल जनपद में ही कराये जाने एवं छात्रों द्वारा पूर्व में किये गये परीक्षा बहिष्कार की परीक्षा पुनः कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती आशा देवी–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान जनपद रुद्रप्रयाग व चमोली में स्थित संस्कृत महाविद्यालयों की परीक्षाओं के अभिलेख सेट दो के तहत पूर्ववत् परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा सम्पादित करवाने की ओर लाना चाहती हूँ। महोदय, विगत 02 माह पूर्व संस्कृत महाविद्यालयों व विद्यालयों की परीक्षायें उत्तरांचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल द्वारा रा0इ0का0, गौचर में संचालित करने का निर्णय लिया गया था, परन्तु उक्त परीक्षा एक जनपद से दूसरे जनपद के गौचर नामक स्थान पर सम्पन्न कराये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया था, लेकिन उक्त परीक्षा केन्द्र में अत्यधिक परीक्षार्थी होने के कारण छात्रों को पेयजल, भोजन और रात्रि विश्राम हेतु कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा था जिससे छात्रों ने उक्त स्थान पर परीक्षा कराये जाने का बहिष्कार किया और अपने मूल जनपद रुद्रप्रयाग में ही परीक्षा कराये जाने का शासन से अनुरोध किया लेकिन अभी तक परीक्षा न होने के कारण इन छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है और अपने भविष्य के प्रति चिन्तित होने से आंदोलन एवं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तथा पुनः परीक्षा कराये जाने की मांग कर रहे हैं। अतः इन अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से सरकार द्वारा अविलम्ब कार्यवाही करने की मांग करती हूँ।]

श्री अजय भट्ट द्वारा औचित्य के प्रश्न की सूचना को उठाने का प्रयास

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आज नियम 300 के अन्तर्गत मेरा औचित्य का प्रश्न है वर्तमान में बजट सत्र चल रहा है सरकार के पर्यटन सचिव श्री एन0एन0 प्रसाद द्वारा दैनिक अमर उजाला 22–7–2004 के पृष्ठ संख्या–10 एवं दैनिक जागरण के पृष्ठ संख्या–4 पर "स्व रोजगार अनुदान की राशि पांच करोड़ हुई एवं वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की अनुदान राशि बढ़ी" नामक शीर्षकों से अपना बयान दिया है। सत्र के दौरान सत्र से बाहर किसी अधिकारी की घोषणा अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण है, जबकि सरकार भी सत्र के दौरान सदन से बाहर घोषणा नहीं कर सकती है। अतः इस औचित्य के प्रश्न पर मैं विनिश्चय की मांग करता हूँ।

नोट : [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 300 के अन्तर्गत श्री अजय भट्ट ने औचित्य के प्रश्न की सूचना दी है। जिसमें उन्होंने स्वरोजगार अनुदान की राशि 5 करोड़ हुई, शीर्षक से छपे समाचार का हवाला दिया है। मेरे द्वारा पूर्व में भी यह व्यवस्था दी गयी है कि सत्र के चलते कोई भी नीतिगत घोषणा सदन के बाहर नहीं की जानी चाहिए। पीठ के इन निर्देशों के रहते यदि किसी अधिकारी द्वारा इस प्रकार की घोषणा की गयी है तो शासन को गम्भीर रुख अपनाना चाहिए। मैं इसे औचित्य के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगाँव के नौगाँव–गोडर पट्टी के केन्द्रीय स्थल औडगांव में हाई स्कूल खुलवाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से "जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव के नौगांव–गोडर पट्टी के केन्द्रीय स्थल औडगांव में हाई स्कूल खुलवाने के सम्बन्ध में श्री जयेन्द्र रावत एवं अन्य निवासीगण जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद उत्तरकाशी में नाकुरी–सिंगोट इत्यादि मोटर मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से "जनपद उत्तरकाशी में नाकुरी–सिंगोट–फलारचा–नन्दगांव–गंगाणी मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में" श्रीमती रामप्यारी रावत एवं अन्य निवासीगण जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव के गुलाणा मैदान के समीप यमुना नदी पर पैदल झूला पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से "जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव के गुलाणा मैदान के समीप यमुना नदी पर पैदल झूला पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री नरेश रावत एवं अन्य निवासीगण जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव के स्यानाचट्टी में हाई स्कूल खुलवाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से "जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव के स्यानाचट्टी में हाईस्कूल खुलवाने के सम्बन्ध में" श्री जगदीश रावत एवं अन्य निवासीगण जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कण्डारी के इण्टर स्तर तक उच्चीकरण के सम्बन्ध में याचिका

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से "जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कण्डारी के इण्टर स्तर तक उच्चीकरण के सम्बन्ध में श्री भगवती प्रसाद एवं अन्य निवासीगण जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

श्री मदन कौशिक, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 63–64 में दी गई विशेषाधिकार हनन की सूचना पर माननीय अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

श्री मदन कौशिक, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 28 मार्च, 2003 द्वारा नियम 63–64 के अन्तर्गत विशेषाधिकार हनन की सूचना दी गई कि अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग हरिद्वार ने हरिद्वार अर्द्धकुम्भ 2004 हेतु सतीघाट निर्माण के सौन्दर्यीकरण के शिलान्यास की मौखिक अथवा लिखित सूचना अधिशासी अभियन्ता, हरिद्वार द्वारा उन्हें नहीं दी गई तथा शिलान्यास हेतु लगाये गये शिलापट पर उनका नाम भी अंकित नहीं किया गया जबकि यह क्षेत्र उनके विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आता है।

श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित सूचना में घटना की तिथि का उल्लेख न होने के कारण यह सूचना अस्पष्टता के आधार पर प्रथम दृष्टया अग्राह्य किए जाने योग्य थी किन्तु प्रकरण में माननीय सदस्यगण के प्रति शिष्टाचार के प्रदर्शन का विषय निहित होने के कारण इस सम्बन्ध में माननीय सिंचाई मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी गई। माननीय सिंचाई मंत्री द्वारा अपने पत्र संख्या: 524/नौ–1–सि0/वी0आई0पी0/03, दिनांक 10 दिसम्बर, 2003 द्वारा सूचित किया गया कि दिनांक 11 फरवरी, 2003 को हरिद्वार में सतीघाट के निर्माण एवं विकास कार्यों के शिलान्यास के अवसर पर माननीय सदस्य, श्री मदन कौशिक से दूरभाष पर अनुरोध किया था और उन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया तथा समारोह के समापन के समय अपने

विचार भी व्यक्त किये। माननीय सिंचाई मंत्री ने अपने पत्र संख्या: 213/नौ–1–सिं/वि0स0/03, दिनांक 11 नवम्बर, 2003 के माध्यम से माननीय सदस्य को भी अवगत करा दिया है। जहां तक माननीय सदस्य की शिकायत कि शिलान्यास शिलापट पर उनका नाम अंकित नहीं किया गया जबकि शिलान्यास स्थल उनके विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में माननीय सिंचाई मंत्री जी द्वारा मात्र इतना कहा गया है कि विभाग में पूर्व से चली आ रही प्रथा का अनुकरण करते हुए कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। उन्होंने अवगत कराया है कि यदि माननीय सदस्य को अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड, हरिद्वार द्वारा किए गये कृत्य से परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से ठेस पहुंची है तो उसके लिए सम्बन्धित अधिकारी द्वारा खेद व्यक्त किया गया है।

अतः माननीय सदस्य की शिकायत के परीक्षण एवं सिंचाई मंत्री द्वारा उपलब्ध करायी गयी वस्तुस्थिति की जानकारी से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त प्रकरण में विशेषाधिकार हनन का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में, मैं उपर्युक्त सूचना को विशेषाधिकार के प्रश्न के रूप में अग्राह्य करता हूँ।

कार्यमंत्रणा समिति के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 22 जुलाई, 2004 की बैठक में 23 जुलाई से 26 जुलाई, 2004 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :–

<u>जुलाई, 2004</u>

23 शुक्रवार	1–वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा।
24 शनिवार	बैठक नहीं होगी
25 रविवार	अवकाश (बैठक नहीं होगी)।
26 सोमवार	1–वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा।

संसदीय कार्यमंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी ने सदन को दी है, उससे यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, नियम 311 के अन्तर्गत हमारी सूचना थी। (कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 56 के अन्तर्गत श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री नारायण पाल, श्री गगन सिंह, श्री हरीदास, श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी, श्री हरभजन सिंह चीमा, श्री अरविन्द पाण्डे, श्री काशी सिंह ऐरी, श्री नारायण सिंह जंतवाल, श्री कैलाश शर्मा तथा श्री प्रकाश पंत जी की कुल 11 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं इनमें से मैं श्री प्रकाश पंत, श्री काशी सिंह ऐरी, श्री कैलाश शर्मा तथा श्रीमती विजय बड़थ्वाल की सूचनाओं को ग्राह्यता पर सुन रहा हूं। इसके अतिरिक्त श्री नारायण सिंह जन्तवाल, श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी, श्री भगत सिंह कोश्यारी, श्री अजय भट्ट, श्री महेन्द्र भट्ट, श्री मातबर सिंह, श्री काशी सिंह ऐरी, श्री हरीदास तथा श्री प्रकाश पंत द्वारा नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को भी मैं नियम 56 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन रहा हूं।

श्री प्रीतम सिंह पंवार ने जो नियम 311 के अन्तर्गत सूचना दी है उसको भी मैं मा0 सदस्य श्री काशी सिंह ऐरी की सूचना के साथ नियम 56 में सुन रहा हूं। शेष सूचनाएं अस्वीकार की जाती हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

*श्री अरविन्द पाण्डे–

मान्यवर, हम अपने क्षेत्र में नहीं जा पा रहे हैं, जनता हमको गाली दे रही है।

(व्यवधान)

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, हम अपने क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं। (व्यवधान) नियम 56 के अन्तर्गत लगी हमारी याचिका सुनी जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जायें।

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, आप हमारे संरक्षक हैं, हमारे गार्जियन हैं, आपका निर्णय सर्वोपरि है। मान्यवर, सभी माननीय विधायकगण अपने–अपने क्षेत्र की समस्या लाते हैं, उनकी पीड़ा है कि उनकी सूचना नहीं ली जाती है। मेरा निवेदन है कि एक सूचना का चयन कर लें और शेष सूचना को शलाका से निकाल लें, मुझे मंजूर है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

हम देख लेंगे।

(व्यवधान)

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, कानून व्यवस्था से संबंधित सूचना दे रहे हैं और उसकी कोई सूचना नहीं आई है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

हम आगे देख लेंगे, हम आज नहीं, फिर सुन लेंगे।

(व्यवधान)

संसदीय कार्यमंत्री (श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश)–

मान्यवर, यह माननीय अध्यक्ष जी का विवेक है कि कौन से लिये जायें। इस समय बहुत गम्भीर कठिनाई है। अगर अभी सूचना ली जाती है तो कोई तैयारी नहीं हो पायेगी। (भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य श्री हरभजन सिंह चीमा, श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री अरविन्द पाण्डे, श्री मदन कौशिक एवं श्री अनिल नौटियाल द्वारा एक साथ बोले जाने पर घोर व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, सरकार को अपना उत्तर देना होगा आपकी आपत्ति से क्या होता है।

श्री अध्यक्ष–

मैं सोमवार को सुन लूंगा। श्री मदन कौशिक जी कृपया आप बैठ जाइये। आज नहीं लिया जायेगा यह हमारी कठिनाई है।

(व्यवधान)

श्री मातबर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, हम आपसे निवेदन करेंगे कि आपकी पीड़ा जायज है। जैसा कि माननीय मंत्री जी हमारे विधायकों को ***[ ] रही हैं।

श्री इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय। जो आपको निवेदन करना है, स्पीकर साहब से करें। उन्होंने बोला और हमने उत्तर दिया। मान्यवर, जिसे स्पीकर महोदय स्वीकार करेंगे उसके लिए हम तैयार होंगे।

(भारतीय जनता पार्टी के कई विधायकों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

नोट :–[***] यह शब्द श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, माननीय लोक निर्माण मंत्री जी को मेरे शब्दों से ठेस पहुंची है। सदन का संचालन माननीय अध्यक्ष जी द्वारा किया जाता है और पालन सरकार को करना पड़ता है। माननीय विधायकों की पीड़ा जायज है। मेरे से आप लोगों ने शिकायत की है। माननीय अध्यक्ष जी, आपसे प्रार्थना है कि सोमवार को माननीय विधायकों की सूचना को सुन लें। मैं चाहूंगा कि बात जायज है और सरकार की तरफ से उत्तर नहीं आया।

*श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, उत्तर आया है, आपके पास उत्तर आया है।

श्री अध्यक्ष–

श्री मदन कौशिक जी मैं सोमवार को सुनूंगा।

(व्यवधान)

श्री अरविन्द पाण्डे–

मान्यवर, मेरी सूचना सुन ली जाय।

(व्यवधान)

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, नगर निगम की जमीन बेची जा रही है।

श्री अरविन्द पाण्डे–

मान्यवर, जनता की भावनाओं को सुन लिया जाय।

(व्यवधान)

*श्री मदन कौशिक–

हमको 2–2 मिनट का समय दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, नगर निगम की जमीन बेची जा रही है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

हम सोमवार को सुन लेंगे।

श्री अरविन्द पाण्डे–

मान्यवर, हम लोग सरकार की नीतियों को सदन में बताना चाहते हैं।

---

* वक्ताओं ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठिये।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, 2 मिनट का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष–

जिस शब्द के बारे में आपत्ति की गयी है, उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

आज नियम 311 की एक सूचना श्री प्रीतम सिंह पंवार और ऐरी जी की है, दूसरी सूचना है श्री नारायण सिंह जन्तवाल, श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी, श्री भगत सिंह कोश्यारी, श्री महेन्द्र भट्ट, श्री हरीदास, श्री प्रकाश पंत की। जो मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों के सम्बन्ध में है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मेरा भी नाम है।

श्री अध्यक्ष–

आपका भी नाम है।

श्री नारायण सिंह जन्तवाल–

मान्यवर, मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों के आन्दोलन एवं उनकी समस्याओं के संबंध में मेरी नियम 311 की सूचना पर आपने नियम 58 में मुझे ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मिनिस्ट्रियल कर्मचारी प्रशासन का अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग है तथा प्रशासन को गतिशील बनाये रखने में इसकी प्रमुख भूमिका होती है। शासन को उनकी न्यायोचित मांगों के प्रति उत्तरदायित्वपूर्ण रवैया अपनाना चाहिए। मान्यवर, मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों द्वारा दिनांक 19–7–2004 से कार्य बहिष्कार किये जाने से पूरे प्रदेश में प्रशासनिक कार्य, विकास के कार्य ठप्प पड़ गये हैं। उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसियेशन लोकतांत्रिक, मर्यादित तरीके से शासन को अपनी मांगों से अवगत करता आया है। इसके लिए औचित्यपूर्ण प्रस्ताव भी प्रस्तुत किये हैं। पदनाम परिवर्तन, वेतन विसंगतियां दूर की जायें, ये इनकी मांगे हैं। प्रदेश के विभिन्न विभागों में समय–समय पर अनेक संवर्गों में पदनाम परिवर्तित किये गये हैं। उदाहरण स्वरूप अवर अभियन्ता का पदनाम कनिष्ठ अभियन्ता कर दिया गया है। सिंचाई विभाग में मुंशी एवं हेड मुंशी के नामों को क्रमशः राजस्व लिपिक एवं मुख्य लिपिक कर दिया गया है। कृषि विभाग में राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों के पुनर्गठन में परिवर्तन किये गये हैं।

इसी प्रकार समाज कल्याण विभाग में भी पर्यवेक्षक को सहायक समाज कल्याण अधिकारी का पदनाम दिया गया है। मान्यवर, सचिवालय में भी कर्मचारियों के पदनाम परिवर्तन को स्वीकार करने की घोषणा की गयी है इसका मैं स्वागत करता हूं। मान्यवर,

लिपिक संवर्ग के पदनाम परिवर्तन को वेतन आयोग से जोड़ने का कोई औचित्य नहीं होता है। फैडरेशन मांग करता है कि संलग्न तालिका में अंकित विवरण के अनुसार लिपिक संवर्ग में पदनाम एवं वेतनमान स्वीकृत किये जायें। वेतनमानों के संबंध में समय–समय पर पूर्ण औचित्य के साथ विभिन्न ज्ञापन प्रस्तुत किये गये हैं, परन्तु उसमें भी टाल–मटोल की नीति अपनाई गयी। इस संबंध में मैं पुनः ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, सचिवालय में एक कनिष्ठ लिपिक की नियुक्ति वेतनमान रु0 3050 से 4590 में की जाती है। 8 वर्ष की सेवा में एक वेतनवृद्धि 14 वर्ष की सेवा में प्रोन्नत वेतनमान रु0 4000–6000 दिया जाता है। जो 24 वर्ष की सेवा के बाद 4000 से 7000 दिया जाता है। कनिष्ठ लिपिक रु0 4000 से 7000 तक पहुंचता है। इस प्रकार बिना किसी पदोन्नति के एक कनिष्ठ लिपिक अपनी पूरी सेवा में 4500 से 7000 हजार तक ही पहुंचता है, वहीं दूसरी ओर वह वरिष्ठ लिपिक पर पदोन्नत होकर 4000 से 6000 के वेतनमान पर पहुंचते हैं और इसी से पदोन्नत होकर वरिष्ठ सहायक पर 4500 से 7000 और फिर मुख्य लिपिक ग्रेड–3 या उससे आगे ग्रेड–2 पर 4500 से 7000 तक ही सीमित कर दिया गया है। इस प्रकार से मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों को पूरे सेवाकाल में 4500 से 7000 पर ही सीमित कर दिया गया है। मान्यवर, इस तरह से एक कनिष्ठ लिपिक को बिना पदोन्नति मिले ही उसे इस स्केल पर पहुंचाया जा सकता है और प्रोन्नत करके भी वही बात है तो इस विसंगति को दूर किया जाना चाहिए।

मान्यवर, इन मांगों को लेकर कर्मचारियों का प्रतिनिधि मण्डल दिनांक 4–10–2003 को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था और 23–10–2003 को शासन स्तर पर वार्ता हुई थी और 10–11–2003 को औचित्य पूर्ण प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत कर दिये गये थे, फिर दिनांक 17–2–2004 को पुनः एक प्रतिनिधि मण्डल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला उसमें मुझे भी भागीदारी करने का अवसर मिला था उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहानुभूतिपूर्वक मांगों पर विचार करते हुए जिसमें पदनाम, वेतन विसंगतियों के समाधान में सहमति व्यक्त करते हुए उसी शाम को 10–11 बजे प्रमुख सचिव, कार्मिक को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिये। इन समस्याओं पर 19–02–2004 को प्रमुख सचिव, कार्मिक की संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा हुई और वार्ता में शीघ्र समीक्षा के समाधान का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज साढ़े पांच महीने बीत जाने के बाद भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है और इसकी क्या समीक्षा हुई, क्या कार्य हुआ, इसकी कोई सूचना कर्मचारियों को नहीं दी गयी है। सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया है, आज आप विकास कार्यों में तेजी लाने की बात करते हैं, उनके कार्य बहिष्कार के कारण पूरी सरकारी मशीनरी ठप्प हो गयी है। इस कारण उन कर्मचारियों के मन में भी निराशा उत्पन्न हो रही है, तो आपसे निवेदन है कि यह मामला अविलम्बनीय है, जन–जन से जुड़ा है, आज भी वे हड़ताल पर हैं इसलिए तात्कालिक भी है, अभी और भी सदस्यों को बोलना है, इसलिए मैं आपसे मांग करता हूं कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की शेष कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाय।

श्री अध्यक्ष–

श्री अजय भट्ट, कृपया समय का ध्यान रखते हुए अपनी बात कहें।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे नियम 58 की ग्राह्यता पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है, आज पूरा उत्तरांचल ठप्प पड़ा है। न कोई सर्टीफिकेट बन रहे हैं, न कोई विद्यालय एडमीशन कर रहा है, विकास खण्डों में फाइलें नहीं सरक रही हैं। दूर–दराज से जो लोग विकास खण्डों या तहसीलों पर आये हैं, उनको वापस जाना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें हड़ताल का पता नहीं था। आज इस प्रदेश भर को लकवा मार गया है, लकवा ही नहीं मारा है, बल्कि पूरा प्रदेश सुन्न हो गया है, क्योंकि लकवे में फिर भी आदमी चल लेता है। आज पूरे उत्तरांचल में लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, स्वास्थ्य विभाग, उद्यान विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, उद्योग विभाग, सांख्यिकी विभाग। मान्यवर, ये तमाम विभाग ऐसे हैं, जहां पर तृतीय श्रेणी कर्मचारियों ने पूरा का पूरा कार्य का बहिष्कार किया है। मान्यवर, माननीय जन्तवाल जी ने पूरी बात रख दी है कि ये लोग क्या चाह रहे हैं। मान्यवर, ये खाली पदनाम बदलना चाहते हैं। इनकी मांग में पैसा इन्वाल्व नहीं है। ये चाहते हैं कि कनिष्ठ लिपिक को कनिष्ठ सहायक लिखा जाय। मान्यवर, यह तो मान ली जानी चाहिए। यदि इनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो विधान सभा सत्र के दौरान कार्य बहिष्कार कर जिलाधिकारी कार्यालयों में मिनिस्ट्रियल कर्मी धरना देंगे तथा सत्र के अन्तिम दिन ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री/मुख्य सचिव उत्तरांचल को प्रेषित किया जायेगा। 9 अगस्त, 2004 से 13 अगस्त, 2004 तक क्रमिक अनशन जिलाधिकारी कार्यालयों में दिया जायेगा और यदि फिर भी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो 15 सितम्बर, 2004 से अनिश्चित कालीन हड़ताल प्रारम्भ कर दी जायेगी।

मान्यवर, तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के बिना किसी भी विभाग में फाइल चल ही नहीं सकती। जिस प्रकार सचिवालय के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की हड़ताल में कल से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी शामिल हो गये हैं। उसी तरह का संकट यहां पर भी आने वाला है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की यूनियन भी उनके साथ जाने वाली है। मान्यवर, यह एक गम्भीर मामला है। मान्यवर, यह लोक महत्व का अविलम्बनीय एवं तात्कालिक विषय है। मेरा निवेदन है कि पूरे सदन का, पूरे उत्तरांचल का दुःख दर्द इसमें शामिल है। यह विकास से जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए इस पर सारे नियमों को निरसित कर चर्चा कराकर एक नया इतिहास रचने की कृपा करें।

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने उत्तरांचल फैडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसियेशन उत्तरांचल द्वारा चलाये जा रहे राज्यव्यापी आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति की ग्राह्यता पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। श्रीमन्, मेरे से पूर्व माननीय सदस्यों ने इसकी ग्राह्यता पर बोलते हुए इससे उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सदन के सम्मुख जानकारी रखी। इसी परिप्रेक्ष्य में और इस आन्दोलन की पृष्ठभूमि पर मैं संक्षेप में अपने विचार रखना चाहता हूँ।

श्रीमन्, मिनिस्ट्रियल कर्मचारी इस राज्य की नींव के पत्थर हैं और राज्य का प्रत्येक कार्य इन कर्मचारियों के माध्यम से होता है। लेकिन विगत 2 वर्षों से अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर ये आन्दोलनरत हैं। मान्यवर, यदि इनके मांग-पत्र पर विचार करें तो यह कोई बहुत बड़ा मांग-पत्र नहीं है। इसको पूरा करने के लिए वित्त की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। मान्यवर, जैसा कि समय-समय पर यह बात सामने आती रही है कि या तो यह सरकार कर्मचारी विरोधी है या उनके पक्ष में कोई काम करना ही नहीं चाहती। इनकी मांग है कि समान कार्य के लिए समान वेतन एवं पदनाम दिया जाय। यह सत्य है कि एक राज्य में एक कार्य जिसको दो व्यक्ति कर रहे हैं, तो इसके लिए दो मानक नहीं बन सकते और पदनाम भी एक ही होना चाहिए। मान्यवर, उत्तरांचल फैडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसियेशन ने सभी विभागों में एकल संवर्ग बनाने की मांग की है। जिससे इनकी वेतनवृद्धि तथा प्रोन्नति में कोई दिक्कत न आये।

मान्यवर, यह कर्मचारी, सचिवालय कर्मचारियों की भांति देहरादून में आवासीय भत्ते की मांग कर रहे हैं, जिस प्रकार से सचिवालय कर्मचारियों को आवास भत्ता देय है। चूंकि अस्थाई राजधानी बन गई है और इस मुसीबत से हम भी आत्मसात हुए हैं, जिस प्रकार से यहां पर जनसंख्या का बहुत अधिक दबाव देहरादून में बढ़ रहा है। यहां पर जितने भी कर्मचारी हैं उनको आवास उपलब्ध नहीं हो सकता है चूंकि यह राजधानी अस्थाई है इसलिए आवास की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं हो सकती है। उनकी आवास भत्ते की मांग जायज भी है। यहां आवास किराये पर भी काफी महंगे हैं। मान्यवर, अन्य विभागों की भांति तकनीकी विभागों में लेखाकारों के पदों पर विभागीय कर्मचारियों की नियुक्ति की जाय।

मान्यवर, इस मांग की पृष्ठभूमि में अगर हम जायें तो 1992 में इनका वेतन 100-180 तथा और दूसरे वर्ग के कर्मचारियों को देखें जैसे सहायक अध्यापकों का वेतनमान 80-125 और प्रधानाध्यापकों का 80-140 वेतनमान था। उसके बाद जब आयोग बैठा तो उसने अपनी अनुशंसायें राज्य को दी और राज्य सरकारों ने 1996 में कनिष्ठ लिपिक का वेतन 3050 से 1590 का कर दिया तथा सहायक अध्यापकों का वेतनमान 3600 से 5350 और प्रधानाध्यापक का 1550 से 6100 कर दिया गया जोकि

पूर्व प्रधानाध्यापक उनसे नीचे की श्रेणी में थे। निश्चित रूप से उनके साथ अन्याय हुआ है। आज पूरे उत्तरांचल में कर्मचारी आन्दोलनरत हैं। सरकार उनकी बातों को सुनना भी नहीं चाहती है जिसके स्पष्ट प्रमाण भी हैं। आन्दोलन के प्रथम चरण में 5 जून, 2003 को प्रत्येक जनपद में धरना दिया गया। उसके पश्चात् 16 जून, 2003 को कार्य बहिष्कार तथा 20 जून, 2003 को विधान सभा में धरना देकर शासन का ध्यान आकर्षित किया गया। इसी के क्रम में दिनांक 23–10–2003 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई जिसमें प्रमुख सचिव, वित्त, कार्मिक भी उपस्थित हुए। उसके पश्चात् दिनांक 17–02–04 को माननीय मुख्यमंत्री जी से एवं दिनांक 19–02–04 को प्रमुख सचिव कार्मिक से वार्ता हुई। किन्तु फिर भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। जब राज्य के शीर्ष स्तर पर बैठे हुए अधिकारियों एवं माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई वार्ता के बाद भी समाधान नहीं निकला तो उन्होंने कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया। आज इतनी विकराल स्थिति पैदा हो गई है जो जनता के छोटे–छोटे कार्य भी नहीं हो पा रहे हैं। मान्यवर, आज के सारे नियमों को शिथिल कर और सदन की सारी कार्यवाही रोककर इस विषय में विस्तृत चर्चा किये जाने की माँग करता हूँ।

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, आपने नियम 311 की सूचना को नियम 56 में सुनने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, उत्तरांचल फैडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रीरियल सर्विसेज एसोसियेशन के समस्त कर्मचारी हड़ताल पर हैं। मान्यवर, इस राज्य के निर्माण के पीछे उत्तराखण्ड के राज्य कर्मचारियों का बहुत बड़ा हाथ है, उनका सबसे बड़ा योगदान है। मैं सोचता हूँ उत्तराखण्ड के कर्मचारी देश के पहले ऐसे कर्मचारी होंगे जिन्होंने राज्य निर्माण के लिए अपनी नौकरी दांव पर लगा दी। रोजी–रोटी की समस्या को वह भूल गये उत्तराखण्ड राज्य निर्माण के लिए। उन्होंने मन में यह सोच लिया था कि शायद अब दोबारा हमें नौकरी नहीं मिल पायेगी फिर भी उन्होंने राज्य निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मान्यवर, कर्मचारियों के बगैर शासन व्यवस्था की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आज जब उनके योगदान से राज्य बन गया तो सरकार द्वारा उनकी मूलभूत मांगों की भी अनदेखी की जा रही है। मान्यवर, होना तो यह चाहिए था कि सबसे पहले सरकार को इनका ध्यान रखना चाहिए था। मान्यवर, विभाग में सबसे कमजोर तबका चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी के कर्मचारी होते हैं। अधिकारियों को तमाम तरह की सुविधाएं मिलती हैं। जैसा कि हमारे दल के श्री जन्तवाल जी एक प्रतिनिधिमण्डल के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे, उस समय जो निर्णय हुए थे, उनको लागू नहीं किया गया। मान्यवर, इस एसोसियेशन की मांग है कि पूरे प्रदेश में समान तरह के वेतनमान हो। मान्यवर, समान कार्य के लिए समान वेतनमान होना ही चाहिए। फेडरेशन की मांग है कि संवैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत विकास खण्ड स्तर से सचिवालय स्तर तक मिनिस्ट्रीरियल संवर्ग के लिए एक समान पदनाम व एक समान वेतनमान स्वीकृत किया जाये।

मान्यवर, कनिष्ठ लिपिक की नियुक्ति 3050–4590 से शुरू होती है और यदि उसकी पदोन्नति नहीं होती तो वह 24 वर्ष की सेवा में 4500–125–7000 वेतनमान पर पहुंचता है। दूसरी ओर पदोन्नति होने से कनिष्ठ लिपिक से मुख्य लिपिक ग्रेड 2 भी 4500–7000 तक ही सीमित रखा गया है। यह न्यायसंगत कैसे हो सकता है कि तीन–तीन प्रोन्नतियों के बाद भी कनिष्ठ लिपिक व मुख्य लिपिक ग्रेड 2 का वेतन एक समान हो। मान्यवर, समस्त विभागों में कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति का स्रोत एक ही है। परन्तु वरिष्ठ सहायकों के पदों तक समान रूप से पदोन्नति के अवसर विद्यमान होते हुए निदेशालय/विभागाध्यक्ष एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में वरिष्ठ सहायक से पदोन्नति में भिन्नताएं हैं। अतः तीनों सुपरवाइजरी पदों पर यथा मुख्य लिपिक/प्रधान लिपिक एवं प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर एक समान वेतनमान 5500–9000 स्वीकृत किया जाय। मान्यवर, पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश में 50 की संख्या पर एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद सृजन की व्यवस्था थी। चूंकि उत्तरांचल में छोटी इकाईयों के कारण मानकों में शिथिलता बरतते हुए स्वीकृत पदों के प्रत्येक 50 पर एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पदों का सभी विभागों में सृजन किया जाय। यही नहीं विभागाध्यक्ष कार्यालयों में वैयक्तिक सहायक के पदों का आज भी सृजन नहीं किया गया है। मान्यवर, मिनिस्ट्रीरियल कर्मचारी फेडरेशन की मान्यता का मामला भी सभी औपचारिकताएं पूर्ण होने के बावजूद लम्बित है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस अविलम्बनीय एवं लोकमहत्व के विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया। यहां पर जो तथ्य रखे गये हैं, जो भावनाएं व्यक्त की गयी है, उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूँ। मान्यवर, कल भी यहां पर इस तरह का प्रश्न उठा था, जो सचिवालय कर्मियों से सम्बन्धित था। मान्यवर, आज भी सरकार और इनके बीच "डेड लॉक" बना हुआ है। सचिवालय ने अपना जवाब दे दिया है, इसमें आगे क्या होगा अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। मान्यवर, सरकार को अपनी कार्यप्रणाली में परिवर्तन लाना होगा। सभी जिलों के कर्मचारी हड़ताल पर गये हुए हैं, जिसके कारण सारा कार्य ठप पड़ा हुआ है। सरकार का कोई भी अंग कार्य नहीं कर रहा है। सरकार को शर्मिन्दगी महसूस करनी चाहिए कि उसके कोई भी कर्मचारी कार्य नहीं कर रहे हैं। मान्यवर, इसका मतलब सरकार नहीं चल रही है, यह सरकार को महसूस करना चाहिए और अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करना चाहिए।

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी आदेश देते हैं उन आदेशों का पालन नहीं होता है, कैबिनेट से फैसले हो जाते हैं पर कैबिनेट के फैसले का अनुपालन नहीं होता, इसका कौन जिम्मेदार है, क्या सरकार को इन खामियों को दूर नहीं करना चाहिए। सरकार को अपने अधिकारियों से काम लेना चाहिए, अपनी कार्यप्रणाली सुधारनी चाहिए; कर्मचारियों

की जो मांगे हैं उनका सम्मान पूर्वक हल करना चाहिए। मान्यवर, मैं एक उदाहरण देता हूँ– उप टाइपिस्टों को पदोन्नति किये जाने का मामला था, यह मामला कैबिनेट में विचलन के आधार पर स्वीकृत हो गया उसके बाद कहा गया कि परीक्षण करा लो, तो परीक्षण भी सही पाया गया, सब कुछ तैयार हो गया उसके बाद भी आदेश नहीं निकला। यह उदाहरण सरकार की कार्यप्रणाली के लिए है, जब सारी जानकारी ले ली तब भी आज तक वह आदेश नहीं हुआ है, अगर इसी तरह की कार्यप्रणाली होगी तो सरकार कोई भी जवाब दे, पर काम क्या हो रहा है यह देखने की बात है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि कुछ करें वरना आपका अस्तित्व समाप्त हो जायेगा। मान्यवर, इसलिए मैं मांग करता हूँ कि इस पर चर्चा कराई जाए।

श्री मदन कौशिक–

श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने नियम 56 में सुनने का अवसर दिया। श्रीमन्, अभी श्री जंतवाल जी ने उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रीयल सर्विसेज एसोसिएशन जिनकी हड़ताल चल रही है, के बारे में अनेक तथ्य बताये। मान्यवर, आज उत्तरांचल के अन्दर जो कर्मचारी हैं वे निश्चित रूप से आहत हैं। पिछले 2 वर्षों से कर्मचारी समय–समय पर अपनी पीड़ा को सुनाते रहे थे, लेकिन 2 वर्षों तक जब बात नहीं सुनी तब हड़ताल पर गये। मान्यवर, चार वर्ष होने के बाद भी इन कर्मचारियों की सेवा नियमावली क्यों नहीं तैयार की गई ? अगर नियमावली तैयार कर ली गई होती तो निश्चित रूप से समाधान हो जाता। मान्यवर, वे अवर वर्ग, प्रवर वर्ग सहायक के पदनाम में परिवर्तन चाहते हैं, कुछ कर्मचारियों को अलग–अलग जनपदों से लेकर सचिवालय में स्थानान्तरित किया और सचिवालय में स्थानान्तरित होने के बाद उनकी जो मांगें हैं वह ठीक हैं। मान्यवर, उनका कहना है कि हम दोनों समान पद पर कार्यरत हैं उनको भी इनके समान वेतन, प्रोन्नति आदि दी जानी चाहिए।

मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 16 में स्पष्ट लिखा है कि "लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता" राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से सम्बन्धित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के सम्बन्ध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जायेगा।" मान्यवर, फिर भी उनकी मांगों को नहीं माना जा रहा है। मान्यवर, जो हमारे साथी ने इस विषय को रखा मैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूँ। इसी के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आज की पूरी कार्यवाही को स्थगित कर इस पर चर्चा करायी जाये।

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने 311 में मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, कल भी यह विषय इस सदन में आया। मान्यवर, 19 तारीख से तृतीय श्रेणी कर्मचारी आन्दोलनरत हैं, यह काफी चिन्ता का विषय है, केवल सत्ता दल के लिए ही नहीं और न ही माननीय विधायकों के लिए। आप कल्पना कीजिए कि उत्तरांचल के दूरदराज के जनपदों में इस समय एडमिशन हो रहे हैं और काउन्सिलिंग हो रही है, छात्र–छात्राओं को प्रमाण–पत्र की आवश्यकता है। आपके कर्मचारी इस सरकार से मांग को लेकर आन्दोलित हैं। जैसे कि अभी सूचना मिली कि कई दिनों से इस सम्बन्ध में कर्मचारी संघ के नेताओं ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की। इससे पूर्व भी अनेकों विभागों के कर्मचारी भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले। इससे पूर्व भी कैबिनेट के अन्दर चर्चायें की होगी, क्या कारण है कि सरकार इन मूलभूत आवश्यकताओं पर निर्णय नहीं ले पा रही है।

मान्यवर, हमको इनकी भावनाओं को समझना होगा। अभी मदन कौशिक जी बोल रहे थे कि एक पद श्रेणी के कर्मचारियों को सचिवालय भेजा जाता हैं उनको अतिरिक्त प्रमोशन दिया जाता है। जनपदों में बैठे कर्मचारियों के प्रति सरकार संवेदनशील नहीं है। मान्यवर, दूरस्थ क्षेत्रों में जो कर्मचारी हैं उन्होंने बार–बार अपनी पीड़ा को रखा है। वे संगठित रूप से जिलों में आन्दोलित हैं। मान्यवर, हम इसे बाहर भी और सदन के अन्दर भी उठायेंगे। अगर प्रदेश में किसी प्रकार जनता का अहित होता है तो सरकार दोषी होगी। मैं आपके माध्यम से अभी संसदीय कार्य मंत्री जी बैठी हैं। मैं चाहता हूँ कि इन कर्मचारियों की मांगों को माना जाय और अभी इसी वक्त इनका समाधान कर दिया जाये, इससे प्रदेश में अराजकता का वातावरण बना हुआ है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। (धन्यवाद)।

श्री हरीदास–

मान्यवर, आपने जो नियम 311 को नियम 56 में सुनने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार को देखना चाहिए कि हमारे जनपद के मुख्यालयों पर आज सभी जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, यह जुलाई का महीना है बच्चों को एडमिशन के लिए प्रमाण–पत्रों की जरूरत होती है। अगर प्रमाण–पत्र नहीं मिलेगा तो एडमिशन कैसे होगा। जो कर्मचारियों का आन्दोलन चल रहा है उससे हमारे बच्चे परेशान होंगे। उन बच्चों को सर्टिफिकेट चाहिए उनको सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है हड़ताल के कारण उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह बड़ा चिन्तन का विषय है। इसमें चिन्तन होना चाहिए। इसको हमें देखना चाहिए और अच्छा कदम उठाना चाहिए। मान्यवर, हमारे उत्तरांचल सचिवालय के कर्मचारी धरने पर बैठे हैं हमारा बजट भी पास होगा। बजट पास होने से पहले हमें इनके बारे में सोचना होगा कि ये काम पर लौट आए। इनके बारे में सोचा जाए। इसी के साथ मैं इस अविलम्बनीय और लोक महत्व के प्रश्न पर सारी कार्यवाही को स्थगित कर चर्चा की मांग करता हूँ।

श्री नारायण पाल--

मान्यवर, मेरी भी एक सूचना आरक्षण के सम्बन्ध में है।

श्री अध्यक्ष--

आपकी सूचना नहीं है। आप बैठ जाएं।

श्री मातबर सिंह--

मान्यवर, सदन में अभी उत्तरांचल 'फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन के बारे में चर्चा हुई। सारी बातें सामने में आ गयी है। मेरा तो आपसे अनुरोध है कि इनकी मांग जायज है, उनको न्याय मिलना चाहिए। कर्मचारियों का शोषण एवं उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। इन कर्मचारियों की पदोन्नति होनी चाहिए। ये कर्मचारी सरकारी काम में सहयोग बढ़ाते हैं। सबसे पहले कर्मचारी काम पर आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। इन कर्मचारियों के साथ यदि न्याय नहीं किया तो इसका मतलब यह हुआ कि न हमारे अन्दर दया है और न धर्म। इन कर्मचारियों की मांग जैसे कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक और मुख्य लिपिक इनके नाम परिवर्तन की बात है इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होने वाला है।

मान्यवर, एक बिन्दु और जिसका कि हमारे साथियों ने उल्लेख नहीं किया है वह है पदोन्नति। मान्यवर, पदोन्नतियाँ तो हो जाती है लेकिन उनका वेतनमान वहीं रहता है तो इस पदोन्नति से इन कर्मचारियों को क्या लाभ। कर्मचारियों का वास्तव में शोषण होता है। सरकार इनकी मांगों को पूरा करें और कर्मचारियों के हित में सरकार आदेश निर्गत करे। उसका दिल जीते जिससे कि वे काम पर लौट आए ताकि जनता को कोई परेशानी न हो।

श्री कैलाश शर्मा--

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको धन्यवाद। मान्यवर, जिस स्थान पर हम बैठ कर इस आवाज को उठा रहे हैं। ये कर्मचारी हमारे प्रदेश के अहम अंग हैं। आज जो कर्मचारी आंदोलनरत हैं यह स्थान उन्हीं कर्मचारियों द्वारा हमको दिया गया है। उत्तरांचल राज्य के निर्माण के सम्बन्ध में जो आंदोलन चल रहा था उसमें इन कर्मचारियों की अहम भूमिका थी। मान्यवर, वे सारे कर्मचारी चाहे मिनिस्टीरियल एसोसिएशन के हों या डिप्लोमा इंजीनियर हों सभी हताश, निराश हैं। उनकी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। मान्यवर, नियम 56 की आपने सूचना स्वीकार की जिसमें अपने से पूर्व के सभी वक्ताओं की बातों से मैं अपने को सम्बद्ध करते हुए इस बात पर बल देता हूँ कि कार्य बहिष्कार के कारण विकास के कार्य ठप्प पड़ गये हैं, जनजीवन ठप्प हो गया है, कर्मचारी परेशान हैं और सरकार को तुरन्त ही इस पर कार्यवाही करनी चाहिए। मान्यवर, आपने मुझे समय दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रीयल सर्विसेज एसोसिएशन के कार्य बहिष्कार से सम्बन्धित नोटिस है। इसके सभी बिन्दुओं का मैंने अध्ययन किया है। मान्यवर, समय–समय पर वेतन आयोगों का गठन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। वेतन आयोग राज्यों को अपनी संस्तुतियाँ भेजते हैं। मान्यवर, जब उत्तरांचल राज्य बना तो तत्कालीन माननीय अध्यक्ष जी एवं तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकल्प दिये थे कि जो जल्दी कर्मचारी आयेंगे कार्य चलाने के लिए उनको हम ये–ये सुविधाएं देंगे। मैं भी उस समय सदस्य के रूप में थी। उस समय जो परिस्थितियां थीं, उसमें विकल्प मांगे गये कि जो लखनऊ में सचिवालय में कर्मचारी काम कर रहे हैं यदि वे उत्तरांचल आएं तो हम उन्हें ये–ये सुविधाएं देंगे। मान्यवर, उस समय जो लोग उत्तर प्रदेश सचिवालय में काम कर रहे थे सिर्फ वे ही नहीं बल्कि अन्य विभागों और जिलों में काम करने वाले लोग सचिवालय कर्मचारी बनने के लालच में यहाँ आये कि उत्तरांचल में अधिक वेतन मिलेगा, अधिक सुविधाएं मिलेंगी।

उत्तर प्रदेश से जो कर्मचारी आये थे उन्होंने काफी लम्बे समय तक संघर्ष किया था कि अन्य विभागों के कर्मचारियों को भी सचिवालय कर्मचारियों के बराबर वेतन दिया जाये। उत्तर प्रदेश में यह तर्क दिया जाता था कि सचिवालय का कर्मचारी सदन के दिन 24 घंटे में कभी भी कार्य के लिए बुलाया जा सकता है उसे सूचनाएं एकत्र करनी पड़ती हैं। उत्तर प्रदेश में सदन 11–12 बजे तक चलता था, यहाँ इतने लम्बे समय तक नहीं चलता है फिर भी देर तक चलता है। सचिवालय के कर्मचारियों को सही सूचनाएं प्राप्त करनी होती हैं। सचिवालय के और जिलों के कर्मचारियों में अन्तर होता है अंततः यह तय हो गया। मान्यवर, उत्तरांचल में सिर्फ उत्तर प्रदेश सचिवालय से ही कर्मचारी नहीं आये, विभिन्न विभागों और जिलों से भी कर्मचारी आये हैं कि वे इसका निर्णय करें, कुछ सचिवालय में आये, लेकिन वहां से आने के लिए लोग तैयार नहीं हैं।

आज लखनऊ में पर्वतीय मूल के हजारों लोग हैं, आज उन्होंने वहां पर अपने घर बना लिये हैं, लेकिन अब वे यहां पर नहीं आना चाहते अभी वहां की सरकार ने उन लोगों पर दबाव बनाया था कि जो पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं वे उत्तरांचल में जायें। लेकिन उन्होंने आन्दोलन किया और आने के लिए तैयार नहीं हुये। उसके बाद हमने भी उनसे कहा कि आप जबरदस्ती नहीं भेजें, अगर भेजेंगे तो हमें परेशानी होगी। इनकी कई बार मीटिंग्स होती हैं, मुझे भी वहां जाने का अवसर मिलता है, आज जो यह मांग पत्र आया है। अभी कुछ दिन पहले संगठन का एक कार्यक्रम हल्द्वानी में हुआ था, मुझे वहां बुलाया था और मैं भी वहां पर गई थी, उनकी मांग थी कि पदनाम बदला जाय, इसका जब मैंने अध्ययन किया तो पाया इसमें हो सकता है कोई कठिनाई नहीं है। इसे मैंने देखा इनकी दो मांगें मूल हैं, इनमें है कि सचिवालय स्तर के कर्मचारी से लेकर ब्लॉक स्तर तथा ग्रामीण

स्तर तक के कर्मचारियों को समान वेतनमान दिया जाय। अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी की कोई नहीं सुनता अगर मुख्यमंत्री जी की नहीं सुनते तो काम कैसे हो रहे हैं। जो भी आदमी उनके पास जाता है उसकी बात को वे सुनते हैं, उनकी जनता पर पकड़ है, जनता से सीधा संवाद है, वे लम्बे समय तक आंदोलनों और जनता से जुड़े रहे हैं, तो कोई भी उनके पास जाय तो वे पहले उनकी बात को पूरे ध्यान से, गहराई से, सुनते हैं और बाद में विभागीय अधिकारियों को बुलाकर जानकारी लेते हैं।

माननीय मुख्यमंत्री जी से जो भी वार्ता होती है उसका ध्यान रखा जाता है। मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव कार्मिक से भी उनके अन्दर वार्ता हुई।

इस प्रकार दो मेन बिन्दु सामने आये, उनका कहना है कि सचिवालय के स्तर से लेकर ब्लॉक और ग्रामीण स्तर तक के कर्मचारियों को समान वेतनमान दिया जाय। आज तक हमारे पास कोई वेतन आयोग नहीं था और वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार ही ऐसा हो सकता है, वेतन आयोग की संस्तुतियां ही इसे कर सकती है इसे हम अपने राज्य में जितने भी विभाग और कर्मचारी हैं उनका सबका करना पड़ेगा। सचिवालय स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर के वेतनमान को समान करने के लिए तो आजादी के बाद से कई बार मांगें उठी हैं, उनमें मेरी भी भागीदारी रही है। पदनाम की बात हो या वेतनमान की तो इसे सही करने में कहीं पर कठिनाई आयेगी, इसके लिए पता करने पर पता चला कि हमारे लोग ही यहां पर नहीं आये हैं, कुछ ही लोग आये हैं।

आज कार्य स्थगन के माध्यम से यह प्रस्ताव आया है। तो वेतन आयोग के अनुसार जो नेगोसियेशन हुआ, उसी के अनुसार करना होगा। चूंकि यहाँ पर कोई वेतन आयोग नहीं है, पाँचवें वेतन आयोग जो उत्तर प्रदेश के समय ही आया था। यहां की सरकार ने कर्मचारियों को बुलाने के लिए बहुत प्रयास किया कहा कि यह देंगे, यह देंगे, इस तरह से कई लुभावनी चीजें उन्हें दिखाई, कुछ तो दौड़कर यहां चले आये और कुछ नहीं आये। ऐरी जी, आप तो जानते ही हैं, क्योंकि आप तो कर्मचारियों से जुड़े हुये हैं, प्रकाश पंत जी भी जानते हैं और हमारे नेता प्रतिपक्ष भी जानते हैं। मान्यवर, बहुत सारे लुभावने नारों के बाद भी वे आज तक नहीं आए। आज उत्तरांचल राज्य में पर्वतीय मूल का ही आदमी नहीं आया। वहां सचिवालय में आज भी हमारे यहां के बहुत से कर्मचारी काम कर रहे हैं। लेकिन वे यहां पर नहीं आए। वे वहां की सुविधाओं के आदी हो गए हैं और पर्वतीय क्षेत्र में नहीं आना चाहते हैं। कुछ लोगों को आशंका थी कि अभी तो देहरादून में ले जा रहे हैं लेकिन बाद में हमें शायद पौड़ी के किसी गांव में जाना पड़ेगा। जिस गेस्ट हाउस में मैं वहां रुकी थी वहां पर बहुत से लोगों के मन में यह आशंका थी कि अभी तो देहरादून चले जायेंगे लेकिन बाद में किसी दूर-दराज गांव में हमको भेज दिया जाएगा। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में श्री शर्मा जो हिल के मंत्री थे, उन्होंने पहाड़ पर एक अधिकारी नियुक्त कर दिया और उसके लिए कार्यालय भी खोल दिया। लेकिन वह अधिकारी पहाड़ में नहीं गया और लखनऊ में ही बैठ कर कार्य करता था।

मान्यवर, हम वहां से 5वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने का नेगोसिएशन लेकर यहां पर आए थे। छठे वेतन आयोग की सिफारिशें कब लागू होंगी, पता नहीं। क्योंकि पहले तो एक पार्टी की सरकार हुआ करती थी किन्तु अब ऐसा नहीं है। अगर कोई सरकार कुछ करना चाहती है तो सहयोगी दल उसे रोक देते हैं। सहयोगी दलों को मनाने में आप लोग पारंगत हैं। हमें भी आपसे सीख लेनी होगी। मान्यवर, इस विषय पर चीफ सेक्रेटरी से लेकर नीचे के अधिकारियों ने बिन्दुवार वार्ता की है। इनमें कुछ मांगे नाम परिवर्तन और वेतन विसंगति की हैं। इन्हें दूर किया जाएगा। मैंने सरकार की ओर से पृष्ठभूमि बतायी कि यह हमारे साथी कर्मचारियों से जुड़ा हुआ मामला है। इस पर हम बैठ कर बात करेंगे। जो मांगे माने जाने योग्य होंगी, उन्हें मान लिया जाएगा। वेतन आयोग की संस्तुति के विरुद्ध कोई मांग होगी, तो उसमें दिक्कत होगी। इनकी मांग है कि दो उच्च स्तर के अधिकारी निकाल दिए जाएं। यदि यह मांग मान लेते हैं, तो उन अधिकारियों की भी एक एसोसिएशन है, कल वह लोग खड़े हो जायेंगे। इनकी एसोसिएशन तो पूरे भारत में फैली हुई है। आप इस मांग को मत उठाइए। सरकार को यह आभास है कि कर्मचारियों की हड़ताल विकास और जनहित के मुद्दों को प्रभावित करती है। इनकी हड़ताल से सामान्य आदमी प्रभावित होता है। आज तो कार्य बहिष्कार है, हड़ताल से पहले जो मुद्दे सुलझ सकते हैं, उनका समाधान हो जाएगा। सचिवालय के कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं। कल उनसे बात नहीं हो सकी थी, संभवतः आज बात हो जाएगी।

मान्यवर, बड़े-बड़े लोग आन्दोलनों और हड़तालों पर चले गए लेकिन अन्ततः वार्ता से ही सारे मामले सुलझे। यह समस्या भी वार्ता से ही सुलझेगी। यह सरकार के उत्पीड़न से नहीं सुलझ सकती। केन्द्रीय कार्यालयों में जो हड़ताल होती है वह "नो वर्क नो पे" के सिद्धान्त पर होती है लेकिन राज्यों में जो हड़ताल होती है वह "नो वर्क विद पे" के सिद्धान्त पर होती है। मान्यवर, छोटा स्टेट है। यहाँ पर पारिवारिक वातावरण होना चाहिए। इसको हम बहुत ही गम्भीरता से लेते हुए प्रयास करेंगे उनके साथ बैठकर निगोसियेशन करेंगे। मान्यवर, कर्मचारी यूनियन द्वारा जो मांगें मांगी गई हैं उसमें से 100 प्रतिशत की पूर्ति नहीं हो सकती है। यह वह भी जानते हैं। मैं तो कहती हूं कि जो उनकी प्रमुख मांगें हैं उसको तो पहले रखें। कर्मचारी यूनियन बहुत बुद्धिमान है। वह भी जानते हैं कि एक निश्चित सीमा में रहकर ही मांगों की पूर्ति हो सकती है। सरकार की पूरी मंशा है कि जो भी उनकी यथोचित मांगें हैं उनका समाधान हों। नये राज्य को सुचारू रूप से चलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, उनको इसके लिए बहुत सारे कष्ट भी उठाने पड़े। मान्यवर, हमारे मुख्यमंत्री जी हर कर्मचारी की समस्याओं को सुनते हैं और तत्काल सचिव महोदय को उनके निराकरण के लिए लिखते हैं कि उनकी समस्याओं को सुलझायें। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह हर किसी

की समस्या को अवश्य सुनते हैं। माननीय ऐरी जी आप भी इससे सहमत होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की इस विशेषता के सभी लोग कायल हैं। किसी की समस्या को सुन लेने से ही उस व्यक्ति का गुस्सा थोड़ा बहुत तो दूर हो ही जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी कि यह आदत ऐसी है जिसको हम अगर प्रैक्टिस भी करें तो व्यवहार में नहीं ला सकते।

श्री नारायण सिंह जन्तवाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य यहाँ पर दिया और उन्होंने स्वीकार भी किया कि वेतन विसंगतियाँ हैं और पदनाम परिवर्तन की जो माँग है उस पर विचार किया जाना चाहिए। मान्यवर, कर्मचारियों की यह माँग काफी समय से चल रही थी यदि सरकार पहले से ही गम्भीर होती तो ऐसी स्थिति नहीं आती। मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि यदि सरकार उनकी दो प्रमुख मांगों के प्रति गम्भीर है तो क्या वह कर्मचारियों के प्रतिनिधिमण्डल को आमंत्रित करने पर विचार कर रही है। चूँकि सरकार द्वारा यह कहा जा रहा है कि वार्ता के माध्यम से ही इसका समाधान होगा? क्या उनको वार्ता के लिए बुलाकर समस्याओं के समाधान पर विचार किया जा रहा है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, अभी तो बजट सत्र चल रहा है इसलिए हमारी भी बाध्यता है। उन्हें वार्ता के लिए सदन के बाद बुलाया जायेगा। यह वार्ता उच्च स्तर पर की जायेगी। वार्ता में चीफ सेक्रेटरी भी सम्मिलित होंगे तथा सरकार के स्तर पर भी वार्ता की जायेगी।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, क्या सरकार इस पर शीघ्र कार्यवाही करेगी?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आप इसके शासनादेश की प्रति हमें उपलब्ध करा दीजिए। यहां पर हमारे अधिकारीगण भी बैठे होंगे, उन्होंने भी इस बात को सुना होगा। यदि इस शासनादेश की प्रति हमें मिल जायेगी तो इस पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, इस पत्र की प्रति आपको उपलब्ध करा दूंगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य एवं माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, यह सरकार राज्य कर्मचारी विरोधी है, इसलिए हम सदन का बहिर्गमन करते हैं।

(नेता प्रतिपक्ष के साथ भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्यों ने सदन का बहिर्गमन किया और साथ ही काशी सिंह ऐरी जी ने भी सदन का बहिर्गमन किया)

श्री अध्यक्ष–

माननीय ऐरी जी, आपकी सूचना है, क्या आप अपनी सूचना पर नहीं बोलेंगे।

(श्री ऐरी जी सदन में वापस आ गये)

श्री अध्यक्ष–

माननीय ऐरी जी, मैं अब आपको भोजनावकाश के बाद सुनूंगा।

अब हम उठते हैं अपरान्ह 3.00 (तीन) बजे तक के लिए

(भोजनावकाश)

(सदन की कार्यवाही अपरान्ह 3.00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, जनपद उत्तरकाशी के समूचे क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ चुका है। विभिन्न क्षेत्रों से वहां के जनप्रतिनिधि और जनता जिलाधिकारी उत्तरकाशी और शासन से लगातार सम्पर्क में हैं, लेकिन अभी तक इस ओर शासन प्रशासन के द्वारा कोई समिति गठित नहीं की गई और न ही सर्वेक्षण कराया गया। मान्यवर, मैंने भी पूरे क्षेत्र का भ्रमण करके पाया कि पूरे क्षेत्र में, पूरे जनपद में, जनपद के अधिकांश हिस्सों में सूखे के कारण लगभग 60 से 70 प्रतिशत तक फसल नष्ट हो चुकी हैं। मान्यवर, पेयजल स्रोत सूख चुके हैं और पानी का स्तर कम हो चुका है, फसलों के चौपट होने के साथ ही साथ घास–चारा भी सूख चुका है। मान्यवर, हर्षिल, स्योरी, नौगांव आदि स्थानों पर सेब बिना वर्षा के झड़ रहे हैं। उपला टकनौर क्षेत्र में राजमा, आलू की व्यापारिक फसल खेतों में ही सूखने के कगार पर है तथा बाड़ागढ़ी क्षेत्र के अठाली, रनाड़ी, कुन्डा, चिन्यालीसौंड, भण्डारस्यूं, दसगी, बिष्टपट्टी, नौगांव, गोडर खाटल, मुंगरसन्ती, दिचली, गमरी, रामा सिराई कामल सिराई आदि क्षेत्रों के अधिकांश गांवों में वर्षाजल के अभाव में धान की रोपाई भी नहीं हो पायी है, धान की बीज–क्यारी सूख चुकी है। समूचे क्षेत्र में धान, मंडुवा, झंगोरा, आलू, राजमा, सेब, नासपाती, उड़द, गहत् की फसल सूखकर चौपट हो चुकी है।

मान्यवर, किसानों व ग्रामीणों के समक्ष रोजी–रोटी की भयंकर समस्या पैदा हो गयी है। मान्यवर, किसानों और ग्रामीणों में त्राहि–त्राहि मची हुई है और जिला शासन

और प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। उत्तरकाशी की जनता चारों ओर से प्राकृतिक त्रासदी झेल रही हैं, एक ओर वरुणावत भूस्खलन से प्रभावित लोग हैं तो दूसरी ओर विकट और विकराल सूखे की समस्या से ग्रसित लोग हैं। मान्यवर, प्रकृति की इस मार ने जनपद उत्तरकाशी के जनजीवन को भीषण त्रासदी में धकेल दिया है और शासन प्रशासन मूकदर्शक बना बैठा है। मान्यवर, प्रशासन जहां एक ओर वरूणावत पर्वत का मुंह देख रहा है वहीं दूसरी ओर सूखे की मार झेल रही निरीह जनता की समस्या से मुंह फेर रहा है। जिला प्रशासन ने क्षतिग्रस्त फसल का कोई आंकलन नहीं किया है बाद में जब सब कुछ नष्ट हो जायेगा तो कैसे आंकलन किया जायेगा।, मान्यवर, उत्तरकाशी के काश्तकारों के सामने यह भयंकर समस्या उत्पन्न हो गई है। मान्यवर, कहीं भुखमरी के कारण किसानों द्वारा जैसे कि आये दिन अखबारों में पढ़ते हैं कि अन्य राज्यों में कई किसान आत्मघाती कदम उठा बैठते हैं। मान्यवर, यही स्थिति हमारे जनपद उत्तरकाशी में आ सकती है, इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है कि समय रहते सूखे की स्थिति से निबटने के लिए ठोस कदम उठाये जायें और समूचे जनपद को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाय। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर नियमों का निलम्बन कर सदन में चर्चा कराये जाने की मांग करता हूँ।

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश में सूखे की स्थिति है। मेरे ख्याल से सम्मानित सदस्य इस बात से चिन्तित हैं। सरकार चिन्तित है कि नहीं यह सरकार बतायेगी। मान्यवर, कहीं पर तो बहुत ज्यादा वर्षा हो रही है और वहां पर जानमाल और सम्पदा की व्यापक क्षति हुई है। मान्यवर, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के कई हिस्सों में वर्षा नहीं हुई वहां भयंकर सूखे की स्थिति पैदा हो गई है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि रबी की फसल में भी इसका जो प्रकोप हुआ था। मान्यवर, यह एक विडम्बना है जब वर्षा चाहिए थी तब वर्षा नहीं होती है और जब नहीं चाहिए तब होती है। मान्यवर, रबी की जितनी फसल बची थी और गेहूं काटने और निकालने का समय था उस वक्त वर्षा हुई और जो कुछ बचा था वह भी सड़ गया।

मान्यवर, जैसा कि प्रीतम सिंह जी ने बताया कि धान की रोपाई नहीं हो पायी है जहां लोगों ने पानी का बन्दोबस्त करके रोपाई कर भी दी। वहां पर वर्षा न होने से पूरे धान की फसल सूख गई। मान्यवर, एक कहावत है कि श्रावण के महीने में एक रात और दिन वर्षा नहीं हुई तो एक कुथाल कम हो जायेगा, एक कुथाल 40 किलो का होता है। मान्यवर, यहां तो कई–कई हफ्तों से वर्षा नहीं हुई। कहीं 20 प्रतिशत वर्षा हुई तो कहीं 30 प्रतिशत वर्षा होने की सूचना है। मान्यवर, हमारे पूरे इलाके में ओलावृष्टि भी हुई जो खरीफ या जायद की जो सब्जियां थी वह सारी की सारी तबाह हो गई। मान्यवर, पेड़ों पर बौर आये थे उन पेड़ों की डालें भी टूट गई। मान्यवर, फल चौपट हो गये हैं

पेड़ों की डाले टूटकर गिर गयी हैं इस ओलावृष्टि से। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि एक तरफ तो रबी की फसल तबाह और बरबाद होती दिख रही है वही जायद की फसल से लोगों को कुछ आशा थी लेकिन उसको ओलावृष्टि ने तबाह कर दिया। सब्जी और फल तबाह हो गये और जो खरीफ की फसल है वह चौपट होने की कगार पर है।

मान्यवर, हमारे पास सारे जगह के आंकड़े यहां पर नहीं हैं लेकिन हमारे माननीय सदस्य श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी जी ने बताया कि द्वाराहाट के उपराव की जमीन जो सिंचित क्षेत्र नहीं है, द्वाराहाट ब्लाक का 90 % और चौखुटिया ब्लाक की 70 % फसल चौपट हो गयी है यही नहीं जो सूखी फसल है अगर उसको जानवरों को खिलाया जाय तो वे भी बीमार हो जायेंगे। मान्यवर, सूखे के कारण जहां एक तरफ पानी के स्रोत सूख गये हैं जहां से पानी आता है वह बहुत कम हो गया है और दूसरी तरफ जानवरों का चारा भी नसीब नहीं होगा।

मान्यवर, इस ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि चुनाव का महीना था सरकार को अवगत कराया। मुश्किल से कह–कह कर यहां पर हमारे कृषि मंत्री जी बैठे हैं आपने भी काफी प्रयास किये, केवल कुछ जिले को ही सूखाग्रस्त घोषित किया है। क्या–क्या कार्यवाही हुई, कितना नुकसान हुआ, कितनी राहत दी गयी वह तो सरकार ही जानती है लेकिन बहुत विलम्ब से सरकार जागी। इससे हमारा उद्देश्य यही है कि काफी कुछ नुकसान हो गया है। अगर सरकार अचानक जागेगी तो सरकार इस नुकसान को पूरा नहीं कर सकती है। मेरा कहना है कि सरकार की कार्यवाही से किसानों को राहत मिले और इसके प्रभाव से यानि इस प्रभाव को पूरा का पूरा तो समाप्त नहीं किया जा सकता है लेकिन उनके ऊपर कुछ मरहम तो लगे। मान्यवर, पूरे सूबे का हिस्सा चाहे वह पर्वतीय क्षेत्र हो या फिर मैदानी क्षेत्र सभी जगहों पर सूखे का व्यापक प्रभाव पड़ा है। इसलिए मेरा कहना है कि माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से इस लोक महत्व और अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन की सारी कार्यवाही को रोककर चर्चा कराने की मांग करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि वह चुस्त बने, संवेदनशील बने।

* वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री नव प्रभात)–

मान्यवर, अभी हमारे माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह पंवार जी ने एक क्षेत्र विशेष के ऊपर काफी विस्तार से ध्यान आकर्षित कराया है और माननीय सदस्य ऐरी जी ने पूरे प्रदेश के ऊपर ध्यान आकर्षित किया है। हम दोनों माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करते हैं। मान्यवर, हम सभी लोग इसे देख रहे हैं। इसलिए पूरी चीजों का आंकलन करते हुए समस्त जिलाधिकारियों को यह निर्देशित कर दिया है कि फसल और चारे दोनों के बारे में सर्वेक्षण कर लें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, आपने रबी का जिक्र किया। इसका पूरा विवरण मेरे पास है कि किस–किस जनपद में, किस–किस तहसील में कितना प्रभाव पड़ा है। मान्यवर, इसी आधार पर हमने केन्द्र से सहायता मांगी है। वसूली को हमने रोक दिया है। गत तीन माह में हुई मानसूनी वर्षा का आंकलन कर लिया गया है। किस जनपद में 15 जुलाई तक कितनी वर्षा हुई, इसका आंकलन कर लिया गया है और सामान्यतः कितनी वर्षा होती है इसका कम्पैरीजन भी है। मान्यवर, एक कठिनाई है सभी माननीय सदस्य इससे अवगत होंगे। सर्वेक्षण की इकाई तहसील और ब्लॉक होती है। इसमें यह होता कि किसी तहसील के एक भाग में बारिश होती है और दूसरे भाग में यदि बारिश नहीं होती है तो भी जब पूरी तहसील का आंकड़ा आता है तो उसमें पूरे क्षेत्र में हुई वर्षा को दर्शाया जाता है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, इसके लिए आपको माइक्रो लेविल तक जाना होगा।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, तहसील के एक भाग में वर्षा होती है और दूसरा भाग सूखाग्रस्त रहता है। इसके लिए हमें माइक्रो लेविल तक जाना होगा। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हू कि हम स्थिति पर पूरी नजर रखे हुए हैं। अभी 15 जुलाई हुई है और यह मानसून का पहला पखवारा है। इसके अन्त में हम पूरी रिपोर्ट जिलाधिकारियों से लेंगे। सरकार संकल्पबद्ध है सूखे की स्थिति से निपटने के लिए सरकार चुस्त है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी की बात को सही मानता हू कि सरकार चुस्त हो गयी है और आंकड़े एकत्र किये जा रहे हैं, पूरी तैयारी की जा रही है। आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहता हू कि एक रिपोर्ट आई है कि पूरे देश में मानसून की स्थिति खराब है। हमें वैज्ञानिकों के द्वारा बहलाया जा रहा था कि मानसून 20 जून तक सक्रिय हो जायेगा, लेकिन अभी तक मानसून सक्रिय नहीं हुआ है। मान्यवर, खण्ड वृष्टि हुई है। इसके लिए माइक्रो लेविल तक जाने की बात आपने स्वीकार की है। मान्यवर, 15 जून के बाद पर्वतीय क्षेत्र में धान की रोपाई शुरू हो जाती है और लगभग एक महीना हो चुका है, अगर 2–3 सप्ताह में बारिश नहीं होगी तो फसल लगभग समाप्त हो जायेगी।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, इसे निश्चित रूप से दिखवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

श्री प्रीतम सिंह पंवार, श्री काशी सिंह ऐरी एवं माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य कर रहा हू।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, उत्तरांचल राज्य खेलों हेतु इस वित्तीय वर्ष में 15 लाख रुपये उत्तरांचल ओलम्पिक संघ के लिए स्वीकृत किये गये हैं उसकी दुरुपयोग की शिकायतें प्राप्त हुई। जब इसके संबंध में जानकारी मेरे द्वारा हासिल की गयी तो जो बात प्रमाण में आई वह राज्य में खेलों के लिए एक गम्भीर संकेत बनकर सामने आई है और एक ऐसा प्रकरण कार्य स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से माननीय सदन में लाना चाहता हूँ, जिस प्रकरण को सुनने के बाद आप भी महसूस करेंगे कि इससे अधिक तात्कालिक, अविलम्बनीय और लोक महत्व का कोई विषय हो ही नहीं सकता है।

श्रीमन्, प्रकरण उत्तरांचल की खेल प्रतिभाओं से जुड़ा हुआ है और इनको आगे बढ़ाने की दृष्टि से राज्य सरकार ने पिछले साल भी खेलों का आयोजन किया गया था और इसके लिए 10 लाख रुपया अनुदान स्वरूप प्रदान किया गया था। उस पैसे एवं अनुदान को किस प्रकार से व्यय किया गया, यह गौर करने वाली बात है, श्रीमन्, पिछली बार इनमें 22 खेल प्रतिभाएं सामने आई थीं। श्रीमन्, इस वर्ष भी 14 से 17 फरवरी के मध्य में राज्य स्तरीय खेल आयोजित किये गये थे। अनुदान की राशि को खेल प्रतिभाएं उबारने के लिए खर्च की जानी चाहिए थी, परन्तु उसका सही उपयोग नहीं हुआ और इस पर कई प्रश्न खड़े हो गये थे। इसमें अनुदान में दी गई धनराशि का सही उपयोग नहीं किया गया जब हमने इस पर प्रश्न किया तो सरकार द्वारा कहा गया कि आप लोकायुक्त के पास जाइये, विजिलेंस से जांच कराइये।

श्रीमन्, जांच की तो अपनी प्रक्रिया होती है। लेकिन जब हमारे सामने सारे तथ्य आये तो चिन्ता हुई। यह गम्भीर चिन्ता की बात है। मान्यवर, राज्य स्तरीय खेलों के समापन के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित थे। वहाँ पर उत्तरांचल ओलम्पिक संघ के पदाधिकारियों द्वारा उन्हें ज्ञापन दिया गया था और माननीय मुख्यमंत्री जी की सह्रदयता और सदाशयता प्रवृत्ति के कारण उन्होंने अनुदान की राशि को, उनके ज्ञापन पर गौर करने के बाद 10 लाख की जगह 15 लाख रुपया अनुदान दे दिया। यदि वह पैसा खेल प्रतिभाओं को निखारने में खर्च किया गया होता तो ठीक था। श्रीमन्, हमने उत्तरांचल ओलम्पिक संघ के बैंक एकाउन्ट की स्टेटमेंट निकलवाई। वह यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, देहरादून का है और एकाउन्ट नम्बर है एस0बी0/01/024109 एवं 30, बी0, कालीदास मार्ग का पता इसमें लिखा है, यह स्टेटमेंट 1 अप्रैल, 2003 से 31 मार्च, 2004 के मध्य का है, इसमें इस बीच कितने पैसे का ट्रांजिक्शन हुआ है, इसमें दिया गया है। इस ट्रांजिक्शन को देखा गया तो दिनांक 15 मार्च, 2004 को इस एकाउन्ट से श्री राजीव मेहता के नाम पर चेक संख्या 0952859 के माध्यम से 6 लाख रुपये निकाले गये और इसी प्रकार दिनांक 16 मार्च, 2004 को श्रीमती दीपा मेहता के नाम पर चेक संख्या 0952858 के जरिये 5 लाख रुपये निकाले गये इस प्रकार से 5 लाख और 6 लाख कुल 11 लाख रुपये, ओलम्पिक संघ के अध्यक्ष ने अपने और अपनी पत्नी के नाम से निकाल

लिये और इस धनराशि का क्या किया गया, इसका कोई भी पता शासन को नहीं है। इसी प्रकार से 29 मार्च, 2004 को सेल्फ के नाम पर चेक संख्या 09998935 के जरिये 50 हजार रुपया निकाला गया, इस प्रकार से कुल साढ़े 11 लाख रुपये का घोटाला किया गया है। समय-समय पर संज्ञान में इस बात को लाया गया है। यह धनराशि उत्तरांचल शासन के शासनादेश के अनुसार स्वीकृत हुई थी।

मान्यवर, शासनादेश, पत्र संख्या 3724/बजट/2003-04, दिनांक 4 मार्च, 2004 को निकाला गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की और उस पर तुरन्त अमल हुआ। इस प्रकार 15 लाख रुपये की स्वीकृति इस पत्र के माध्यम से कर दी गयी। श्री अमिताभ, खेल निदेशक ने इनके पास एक पत्र भेजा कि आप अपने वाउचर हमें दिखाइए। सरकार के पैसे को हड़पना इतना आसान नहीं है। लेकिन संभवतः उनके द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गयी। अभी माननीय मंत्री जी जब उत्तर देंगे तब बतायेंगे कि उनके द्वारा सूचना दी गयी है या नहीं। लेकिन मान्यवर, मेरी सुस्पष्ट जानकारी है कि राज्य में खेलों पर जो धनराशि व्यय की गयी वह एक से दो लाख रुपये तक है और हम अपेक्षा करते हैं कि हमें अच्छे परिणाम मिलें।

मान्यवर, जितने भी खिलाड़ी विभिन्न जनपदों से आए, वे सब अपनी व्यवस्था पर यहाँ आए। मेरे क्षेत्र से खिलाड़ी अपनी गाड़ी की व्यवस्था करके आए और उन्हें निःशुल्क विद्यालयों में टिकाया गया। इन खिलाड़ियों ने अपने संसाधनों से भोजन और आवास की व्यवस्था की। मान्यवर, जहाँ पर ये लोग रुके थे, वहां से इण्डियन पब्लिक स्कूल, जहाँ पर खेल आयोजित हुए, ये खिलाड़ी अपने खर्च पर गए। इन्हें कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करायी गयी। खेलों के नाम पर जितनी भी धनराशि दी गयी थी, वह हड़प ली गयी है। मान्यवर, यह बहुत गंभीर मामला है।

मान्यवर, एक और बात आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि ओलम्पिक संघ के इस एकाउण्ट से जो धनराशि निकाली गयी है, वह इस संघ के अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षरों से निकाली गयी है। मान्यवर, इन्हें हम खेल माफिया की संज्ञा दें तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। ओलम्पिक संघ के जो अध्यक्ष हैं, ये राज्य फुटबाल एसोसिएशन, राज्य हैण्डबाल एसोसिएशन, राज्य ताइकाण्डो एसोसिएशन के भी अध्यक्ष हैं तथा इनकी पत्नी राज्य स्वीमिंग की अध्यक्ष व भाई राज्य रोईंग के अध्यक्ष हैं। ये सब इसलिए इन पदों पर बैठे हैं कि सरकार से मिलने वाली धनराशि को हड़प सकें। मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर विषय है। हमारे राज्य की खेल प्रतिभाओं को निखारने की आवश्यकता है ताकि वे राज्य का नाम देश और विदेश में रोशन कर सकें। हमारे यहां के खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, पद्म श्री तथा पद्म विभूषण पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं। आज हमें इस विषय को सदन में उठाना पड़ रहा है, यह बहुत चिन्ता की बात है। यह खेल प्रतिभाओं के भविष्य का विषय है। सरकार को यह जवाब देना चाहिए कि हम धन हड़पने वाले लोगों पर अंकुश लगायेंगे। मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से माँग करता

हूँ कि इस विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा की जाय। जिससे यह निष्कर्ष निकले कि अब हम उत्तरांचल राज्य की खेल प्रतिभाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे।

*पंचायती राज मंत्री (श्री प्रीतम सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य द्वारा वर्ष 2003–04 में जो राज्य स्तरीय खेल–कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और सरकार द्वारा खेलों के प्रोत्साहन के लिए ओलम्पिक संघ को जो धन उपलब्ध कराया गया था, उसमें भ्रष्टाचार की बात यहां पर उठायी गयी है।

मान्यवर, सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि राज्य स्तरीय खेल–कूद प्रतियोगिता के आयोजन का दायित्व राज्य ओलम्पिक संघ का होता है और उसी के तहत इस उत्तरांचल में 2003–04 में राज्य स्तरीय खेल–कूद प्रतियोगिता का आयोजन उत्तरांचल एसोसिएशन के माध्यम से किया गया। इस समापन के शुभ अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री नारायण दत्त तिवारी जी भी उपस्थित हुए। खेलों को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने ओलम्पिक एसोसिएशन ने जो मांग की उसके अनुरूप 15 लाख रुपये स्वीकृत किये। जो धन सरकार ने स्वीकृत किया था उस सम्बन्ध में सरकार के पास शिकायत आई तो उसकी जाँच की गई। हमने अपर निदेशक खेल के माध्यम से जाँच कराने का काम किया और जब जाँच की गई और जाँच रिपोर्ट अपर खेल निदेशक द्वारा सौंपी गई। प्रथम दृष्टया इसमें अनियमितता पाई गई। जिसे मैं स्वयं स्वीकार कर रहा हूँ।

श्रीमन्, हमारी सरकार का उद्‌देश्य उत्तरांचल में खेलों को आगे बढ़ाना तथा खेल प्रतिभाओं को निखारने का है। मान्यवर, इसमें जो व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी। प्रथम दृष्टया अनियमितता पाये जाने पर सरकार ने इसकी जाँच निदेशक के माध्यम से कराने के निर्देश दिये हैं। मान्यवर, सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो भी अनियमितता पाई जायेगी और जो भी व्यक्ति होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, जिस विभाग द्वारा धन दिया गया उसी विभाग द्वारा जाँच भी की जा रही है। इतना गम्भीर विषय है। मान्यवर, 15 लाख रुपये में से साढ़े ग्यारह लाख रुपये अपने नाम निकाल लिये गये। इससे ज्यादा गम्भीर बात और क्या हो सकती है। मेरे पास स्टेटमेंट भी है चाहें तो माननीय अध्यक्ष जी आप देख सकते हैं। हमारे पास प्रमाणिक दस्तावेज है। मान्यवर, वही विभाग जाँच कर रहा है जिसने धन दिया है तो मैं इस जाँच को विश्वसनीय नहीं मान सकता हूँ। इसकी विजिलेंस जाँच होनी चाहिए। दूसरी बात यह कि इस भ्रष्टाचार की शिकायत भारतीय ओलम्पिक संघ से की जानी चाहिए।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, माननीय सदस्य द्वारा यह चिन्ता व्यक्त की गई है कि खेल निदेशालय के माध्यम से धन उपलब्ध कराया गया और वही इसकी जाँच भी कर रहा है तो जाँच विश्वसनीय नहीं होगी। मान्यवर, ऐसा नहीं है अपर निदेशक के माध्यम से जाँच करवाई गई और उनके द्वारा प्रथम दृष्टया अनियमितता पाई गई, तो मैं समझता हूँ कि आपको इस पर संदेह नहीं करना चाहिए। सरकार की नीयत साफ है जो भी व्यक्ति दोषी पाया जायेगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। जाँच के लिए हमने निदेशक को नियुक्त किया है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, वह व्यक्ति दल विशेष से सम्बद्ध है। सदन में उसका नाम लेना उचित नहीं है। वे इस जाँच में लीपा–पोती कर सकते हैं, जाँच को प्रभावित कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका इस विषय में संरक्षण चाहता हूँ।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि दल विशेष का प्रश्न ही नहीं उठता। मान्यवर, यह दल विशेष की बात नहीं है। यदि दल विशेष की बात होती तो जो प्रथम दृष्टया अनियमितता पायी गयी वह नहीं पायी जाती।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, यह अनियमितता सरकार ने नहीं निकाली है, बल्कि यह अनियमितता खेल प्रेमियों ने निकाली है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, आपको किसी भी बिन्दु पर संदेह नहीं होना चाहिए। निष्पक्ष जाँच हो रही है, इस बात का विश्वास मैं माननीय सदस्य को दिलाना चाहता हूँ।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, यह मामला बहुत ही गम्भीर है। हमारे पास भी कुछ लोगों ने शिकायतें की हैं। पैसों का दुरूपयोग हुआ है, जिस विभाग द्वारा पैसा दिया गया उसी से जाँच करायी जा रही है। मान्यवर, इसमें मुझे संदेह है, इसलिए मैं चाहता हूँ जो माननीय पंत जी कह रहे हैं, उनकी भावनाओं का आदर करते हुए कार्यवाही की जाय।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं यह समझ नहीं पा रहा हूँ कि माननीय सदस्यों को जाँच पर क्यों संदेह हो रहा है। मान्यवर, आप निश्चिन्त रहिए, जाँच निष्पक्ष होगी। यदि आप चाहते हैं तो हम कमिश्नर से इसकी जाँच कराने को तैयार हैं।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, ठीक है। कमिश्नर से इसकी जाँच कराने पर हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों एवं माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री कैलाश शर्मा–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस अति महत्वपूर्ण लोक महत्व के विषय पर नियम 56 के अन्तर्गत बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, 17 मई, 2004 से उत्तरांचल राज्य के सभी डिप्लोमाधारी इंजीनियर आंदोलनरत हैं और वे विधान सभा के सामने ही 17 मई, 2004 से धरने पर बैठे हुए हैं। इससे पूर्व भी अनेकों बार उत्तरांचल के सभी डिप्लोमाधारी इंजीनियरों ने अपनी न्यायोचित मांगों के लिए धरना दिया है। ऐसा भी नहीं है कि ये बिना सूचना के यहां पर बैठे हों, इनकी मांगें तर्कसंगत हैं।

मान्यवर, हमारे मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने मार्च, 2002 में एक समिति गठित की और उस समिति ने 6 जून, 2002 और 19 अगस्त, 2002 को माननीय लोक निर्माण मंत्री जी की अध्यक्षता में डिप्लोमाधारियों के संघ के साथ एक बैठक की और 19 अगस्त, 2002 को ही उत्तरांचल सरकार के जिम्मेदार अपर सचिव ने एक शासनादेश भी निकाला, जिसमें सभी प्रमुख सचिव एवं विभागाध्यक्षों को सूचना दी गयी कि तुरन्त ही जो समझौता वार्ता हुई है, उस पर अमल किया जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे उत्तरांचल राज्य की भौगोलिक परिस्थितियाँ विषम हैं। मान्यवर, हम अपने उत्तरांचल राज्य का बहुंमुखी विकास नहीं कर पा रहे हैं इसलिए सम्पूर्ण उत्तरांचल में राज्य निर्माण के लिए आंदोलन चल रहा है और उस आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए जिन्होंने अहम भूमिका निभाई उन्हें शायद यह उम्मीद नहीं होगी कि उत्तरांचल राज्य जो बहुत बड़े संघर्ष के बाद प्राप्त किया है, इस उत्तरांचल राज्य के निर्माण के पश्चात् हमें अपने हितों के लिए इतना लम्बा आंदोलन करना पड़ेगा।

मान्यवर, सरकार और शासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने वाले लोगों पर कोई ध्यान दो वर्ष बाद भी नहीं दिया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, आज पूरे उत्तरांचल प्रदेश में विकास कार्य में व्यवधान हो रहा है। जिन महीनों में विकास कार्य को गति प्रदान कर सकते थे उस अमूल्य समय में उत्तरांचल के सभी कर्मचारी धरने पर बैठे हैं और तब जब बजट सत्र चल रहा हो। मान्यवर, मैं डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के कर्मचारियों के पास गया, और भी माननीय सदस्य गये, जिस तरह से उन्होंने अपनी पीड़ा को बताया, उनकी मांगों से बहुत बड़ा बोझ सरकार पर नहीं होने वाला है, छोटी–छोटी

मांगें हैं, कहीं पदनाम परिवर्तन, कहीं पदों पर शीघ्र नियुक्ति। मान्यवर, आज इतनी बड़ी मात्रा में सेटेज उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य में जा रहा है और विभागीय अधिकारी यह कहते हैं कि हमारे पास काम करने के लिए कर्मचारी नहीं हैं। डिप्लोमा इंजीनियरों ने बताया कि उन्नीस सौ से ज्यादा पद रिक्त हैं, कुछ समय पहले 834 पदों पर अवर अभियन्ताओं की नियुक्ति की गई है पर यह पता नहीं कि उनको नियुक्ति मिलेगी या नहीं, उनसे काम लिया जायेगा या नहीं।

मान्यवर, एक ओर हमारे कर्मचारी परेशान हैं वहीं उनकी दूसरी पीड़ा यह है कि जो अपने कार्यों के प्रति उदासीन हैं उन्हें अनावश्यक रूप से सेवा विस्तार दिया जा रहा है, कार्य में जो रोड़ा है उनको विस्तार दिया जा रहा है। मान्यवर, डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ ने सितम्बर, 2003 एवं 18 अक्टूबर, 2003 को जब आंदोलन फिर से किया तो उस समय उत्तरांचल के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समझौता वार्ता हुई और उसमें तय किया गया कि तुरन्त आपकी जो न्यायोचित मांगे हैं उन पर विचार करके समाधान कर दिया जायेगा, लेकिन जिस बात पर सहमति व्यक्त की गई आज तक समझौता वार्ता नहीं माना गया और फिर मजबूर होकर हमारे उत्तरांचल डिप्लोमा इंजीनियर भाईयों को यहाँ आंदोलन करना पड़ रहा है। उत्तरांचल की जनता के हित में बहुत जल्दी और गम्भीरता से सरकार को इनसे वार्ता करनी चाहिए और सकारात्मक वार्ता होनी चाहिए जिससे उनकी समस्याओं का समाधान हो।

मैं अल्मोड़ा जनपद की बात कर रहा हूँ। वर्ष 2002–2003 में जो जिला योजना के स्वीकृत निर्माण कार्य हैं वह अभी तक शुरू नहीं हो पाये हैं। ऐसी स्थिति विभागों की है। मान्यवर, कर्मचारी आन्दोलन में बैठा होगा तो यह समस्या उत्पन्न होगी, यह उत्तरांचल के लिए अच्छा संकेत नहीं होगा। मान्यवर, मैं निवेदन करता हूँ कि इस लोक महत्व के प्रश्न पर आज सदन की पूरी कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा करायी जाय और जिससे कि उनके हितों पर कुठाराघात न हो और उनका समाधान हो। इसी के साथ मैं अपने प्रस्ताव पर बल देते हुए पुनः आपका धन्यवाद करता हूँ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपने डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ की बैठक के बारे में कहा। यह बैठक 4–7–2004 को हुई जिसमें इन बिन्दुओं पर चर्चा हुई, विभिन्न अभियंत्रण विभागों/निगम/परिषद् एवं स्थानीय निकायों में जूनियर इंजीनियर के रिक्त पदों पर नियुक्ति तथा सहायक अभियन्ता के पदों पर प्रोन्नति और इसमें जूनियर इंजीनियरों की नियुक्ति और उन्हें लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर न रखा जाय और सहायक अभियन्ता के पद पर डिप्लोमा इंजीनियर्स हेतु प्रोन्नति कोटा 50 प्रतिशत किया जाय एवं डिग्रीधारी/बी0ई0/ए0एम0आई0 उत्तीर्ण को सीधी भर्ती के विरुद्ध प्रोन्नति दी जाय। मान्यवर, इसमें सारे इंजीनियर उपस्थित थे और एस0 कृष्णन, प्रमुख सचिव, इसके अलावा

सचिव, फाइनेंस सचिव, आर0ई0एस0, ग्राम्य विकास सचिव मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हमारा नाम परिवर्तन हो जाय, हमने इसकी राजाज्ञा अगले दिन ही निकाली। उनका असली मुद्दा प्रोन्नति का था। मैं स्वयं अपने विभाग को लूँ। मैंने स्वयं कमीशन के चेयरमैन को फोन किया कि हमारी पैंडिंग लम्बे समय से निकल नहीं पा रही है। अगर हमारे पास होते तो हम इसे छठे, सातवें दिन निकाल देते। मान्यवर, इस सम्बन्ध में मेरी सचिव, लोक सेवा आयोग से बात हो गई है, इसमें कुछ क्वैरीज थे वह शीघ्र कर देंगे। कमीशन स्वतंत्र संस्था है शासन उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

मान्यवर, जो पी0सी0एस0 और जे0ई0 का चयन है, उनको नियुक्तियाँ मिल रही हैं। पुलिस वेरीफिकेशन किया जा रहा है। 300 लोग अकेले पी0डब्ल्यू0डी0 में हैं। इसके लिए हमने कहा था चूँकि समय ज्यादा हो गया है। हमने कहा है कि पदोन्नतियाँ होनी चाहिए। पदोन्नतियाँ प्रारम्भ हो इसके लिए हमने विभागों से पूछा है कि आपके यहाँ पदों की क्या स्थिति है ? उन्होंने आश्वस्त किया है कि शीघ्र ही इस पर कार्यवाही तथा पदोन्नतियाँ करेंगे। यह उनका अधिकार है, जो उनको मिलना चाहिए। जितनी भी प्रोसीडिंग थी उसकी प्रति कृष्णन की तरफ से आयी है इसमें सब आया है। नाम परिवर्तन की जो बात है तो अगले ही दिन शासनादेश जारी कर दिया है। प्रभारी पद इस पर कुछ विभागों ने अपनी स्वीकृति दी है कुछ ने नहीं दी है। जे0ई0 के पद को किसी भी दशा में लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर न रखने के सम्बन्ध में निर्णय ले लिया गया है उसको लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर नहीं रखा जायेगा।

मस्टर रोल, इस पर हमने कार्यवाही की है। हमने रोक दिया है कि मस्टर रोल पर कार्य नहीं कराए जायेंगे। टेण्डर प्रणाली एकरूपता की बात है कोई बात नहीं। इसका आइडियल स्वरूप पी0डब्ल्यू0डी0 तैयार करेगा। हम उनको दे देंगे। इसी प्रकार अन्य मांगें जिससे हमारे सारे सचिव छुट्टी के दिन चार बजे तक बैठे रहे। गुणवत्ता की बात तो ठीक है यह होना चाहिए। गुणवत्ता के सुधार हेतु दायित्वों का निर्धारण होना चाहिए। एकाउन्टीबिलिटी तो होनी ही चाहिए। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कम से कम 12वीं हो। पहले यह 10वीं तक थी। जल संस्थान और जल निगम के एकीकरण की बात। इसमें हमारे पेयजल मंत्री जी ने सराहनीय कार्य किए। मान्यवर, विभागों में सीनियरिटी के हिसाब से पदोन्नतियाँ हो रही हैं। ये मोटी-मोटी बातें पता चली इसके अलावा इन लोगों का सबसे बड़ा दर्द प्रोन्नति है यह सही है। प्रोन्नति सूची अभी नहीं निकली है। हम मानते हैं। हम उनके प्रति चिन्तित हैं।

मान्यवर, जे0ई0 कार्य सम्पादन के लिए रीढ़ की हड्डी होते हैं। हम कमिटमेन्ट हैं। इस समय सदन चल रहा है। अतिशीघ्र कमीशन से निकाला जायेगा उसका प्रारूप बन रहा है। अन्य विभागों से जानकारी प्राप्त कर रही हूँ। मान्यवर, हमने उनसे बैठक में कहा कि मस्टर रोल के माध्यम से निर्माण कार्यों में रोक लगायी जायेगी, समस्त अभियंत्रण विभागों में टेण्डर प्रणाली में एकरूपता लायी जायेगी। इन सारे और भी जो

बिन्दु थे, उन पर चर्चा हुई। हमने उनसे कहा कि सारी बातें हो गई हैं अब आप धरने पर न बैठें, लेकिन उन्होंने कहा, हमारे कई संगठन हैं और सबने मिलकर निर्णय लिया है कि हम बैठेंगे।

मान्यवर, सदन की वजह से मुझे समय नहीं मिल पा रहा था इसलिए हमने रविवार को बैठक की। मान्यवर, मैं स्वयं अध्यक्ष नहीं बनना चाहती थी। वे लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गये और उनसे कहा कि इन्दिरा जी को अध्यक्ष बना दें। जब उन्होंने इतने विश्वास से बनाया, तो मुझे भी बैठक करनी पड़ी। 3 बैठकें मैंने की उच्च स्तर पर। अपने विभाग के लिए मैं कमिटेड हूँ, पदोन्नति होगी। उन्होंने कहा कि लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर न करें। मैंने कहा कि जब हम आपका चुनाव ही लोक सेवा आयोग के माध्यम से कर रहे हैं तो उसकी परिधि से बाहर करने का सवाल ही नहीं। इसमें सब विभागों के सचिव मौजूद थे। 11 से 4 बजे तक बैठक चली। हमने कहा कि आपकी सारी बातें सुन ली गई हैं। अब आप धरने पर न बैठें, लेकिन उन्होंने कहा कि हम तो बैठेंगे, क्योंकि उनके कई संगठनों ने मिलकर निर्णय लिया था। लोक सेवा आयोग को भी हमने कह दिया है। लोक सेवा आयोग ने एक क्वैरी लगाई है, उसे पूरा कर दिया गया है। हमारे अधिकारी इसे देख रहे हैं। मैं भी चाहती हूँ कि इन्हें पदोन्नति मिलनी चाहिए। पर कमीशन के बगैर यह पदोन्नति नहीं दी जाएगी। हमने कहा कि सब विभागों में एकरूपता होगी। उनके सामने ,मैंने सचिव से कहलवा दिया था। वे संतुष्ट होकर गये। उन्हें भी भरोसा है कि उनकी समस्याओं का समाधान होगा वे सिर्फ जल्दी चाहते हैं।

श्री कैलाश शर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि बहुत सारी कठिनाईयाँ हैं। स्वाभाविक है नया राज्य बना है, इन कठिनाईयों का सामना करते हुए उत्तरांचल के कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान भी करना होगा। माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने इसके लिए भी कहा, उसके लिए भी कहा। उनकी अध्यक्षता में और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ये सब बातें हुई हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मुख्य सचिव की बैठक पहले हुई थी।

श्री कैलाश शर्मा–

मान्यवर, वे सब बातें तो हुई, लेकिन इन्हें अभी तक लागू नहीं किया गया है। कोई भी इनकी बहुत बड़ी समस्या नहीं है। मस्टर रोल, पदोन्नति, उत्तर प्रदेश से अंतिम आवंटन, ये इनकी समस्याएं हैं। सेवा विस्तार की बात भी आई है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के विकल्पधारियों को सबसे पहले लोक निर्माण विभाग ने वापस भेजा है। लगभग 90 प्रतिशत विकल्पधारियों को हम कार्यमुक्त कर चुके हैं। जो आवंटन की बात है, इनका आवंटन दिल्ली से होता है, 90 प्रतिशत हमने यहां से भेज दिये हैं, वे उत्तर प्रदेश चले गये हैं, जैसे कि सेवा विस्तार की बात है, तो वह किसी का नहीं हुआ है हम स्वयं सेवा विस्तार का विरोध करते हैं। यदि ऐसा है तो आप बता दें किसका सेवा विस्तार हुआ है? आप एक का ही नाम बता दें।

श्री कैलाश शर्मा–

मान्यवर, इसका पता लगाना तो सरकार का काम है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय सदस्य नाम बता दें तो मैं जाँच करा लूँगी और मेरी जानकारी के अनुसार किसी का सेवा विस्तार नहीं किया गया है।

श्री कैलाश शर्मा–

मान्यवर, एक और बात है कि उत्तरांचल में कार्यदायी संस्थायें 4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इतनी ज्यादा हमारे यहाँ पहले से ही हैं और अन्य प्रदेशों की भी हैं। जो लोग ईमानदारी के साथ उत्तरांचल में कार्य करना चाहते हैं, उनकी अनदेखी हो रही है। मैं अपने इस प्रस्ताव पर पुनः बल देता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि जो हमारे उत्तरांचल के डिप्लोमा इंजीनियर्स हैं उनकी सारी मांगों को माना जाय, जैसा कि पूर्व में माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में हुई वार्ता में जो निर्णय थे, उसी के अनुसार हो।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री कैलाश शर्मा एवं माननीय सदस्य को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

माननीय अध्यक्ष जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं माननीय मंत्री जी से पूर्व प्रश्न के सम्बन्ध में मेरी जो जिज्ञासायें थीं उन्हें पूछना चाहती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया अपनी सूचना पर ही बोलें।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, आपने मुझे नियम 56 के अन्तर्गत मेरी सूचना पर ग्राह्यता पर बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ। मैं इस सदन को बहुत ही महत्वपूर्ण अविलम्बनीय सूचना से अवगत कराना चाहती हूँ।

श्रीमन्, दिनांक 20-07-2004 को लैंसडाउन एवं दुगड्डा के मध्य ग्राम बिलासू के निकट ज्वालापुर, सहारनपुर का एक व्यापारी जो श्रीनगर और गढ़वाल के गांवों में और छोटे-छोटे बाजारों में सामान बेचते हैं, वह वसूली करके वापस लौट रहे थे। लैंसडाउन और दुगड्डा के मध्य बिलासू गांव के पास सेन्ट्रो कार से जा रहे थे, कुछ आपराधिक तत्वों ने जो एक कार में सवार थे उन्होंने उनकी कार के आगे अपनी कार खड़ी कर दी और उनके ड्राईवर को चाकू और हथियारों के बल पर नीचे उतार दिया और उन पर वार करके उनको घायल कर दिया। क्योंकि वह वसूली करके वापस लौट रहे थे उनके पास 8 लाख रुपया था, उसे उन्होंने उनसे छीनकर और उनको घायल करके भूमिगत हो गये। आज उत्तरांचल में कानून व्यवस्था की जो स्थिति है, उससे पूरा सदन अवगत है, चिन्तित है। मान्यवर, उत्तरांचल एक शान्तिप्रिय राज्य है, उत्तरांचल राज्य बनने से पहले ऐसी घटनायें बहुत कम होती थीं और उत्तरांचल के लोगों को जब ऐसी घटनायें सुनाई देती थीं तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता था।

मान्यवर, उत्तरांचल बनने के बाद और खासकर पिछले दो सालों के अन्दर ये घटनाएं इतनी तेजी से बढ़ने लगी हैं कि आज उन शान्त वादियों में रहने वाले लोग चिन्तित हैं और अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं। वहाँ पर किसी भी तरह का भय लोगों को नहीं होता था। वे लोग आजादी से बिना किसी भय के इधर-उधर जाते थे लेकिन मान्यवर, आज स्थिति यह हो गयी है कि आदमी अपने घर से बाहर निकलने में डरता है, भयभीत रहता है, यह हमारी कानून व्यवस्था है। मान्यवर, अगर हम राजधानी की कानून व्यवस्था को देखें, मैंने जो मोटे-मोटे आंकड़े एकत्र किए हैं, उनको सदन के सम्मुख रखना चाहती हूँ।

मान्यवर, 21 जनवरी, 2004 को ओ0एन0जी0सी0 के कर्मचारी के घर पर लाखों रुपये की लूट हो गयी, 29 फरवरी, 2004 को पी0एन0बी0 के स्ट्रांग रूम से लाखों रुपये की चोरी हो गयी। 14 फरवरी, 2004 को राज्य सम्पत्ति अधिकारी के घर पर चोरी हो गयी और 12 फरवरी, 2004 को हथियारबन्द लोगों ने सहस्त्रधारा रोड पर हजारों की नगदी और मोटर साइकिल लूट ली। मैं पूरे सदन को अवगत कराना चाहती हूँ कि इस तरह की वारदातें आम हो गयी हैं। प्रत्येक व्यक्ति असुरक्षित है, कोई भी अपराधी पकड़ा नहीं जाता है। मान्यवर, इस घटना को देखें तो यह घटना कोटद्वार-लैंसडाउन रोड पर हुई है। वहाँ पर इस तरह के लोग नहीं हैं। यहाँ पर अन्य जगहों से अपराधी आ जाते हैं और पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाती। यह गम्भीर मामला है। इस तरह की घटनाएं आए दिन घटित हो रही हैं, सरकार को इस पर अवश्य ध्यान देना चाहिए।

मान्यवर, आज की सम्पूर्ण कार्यवाही को रोक कर इस विषय पर चर्चा करायी जानी चाहिए। इससे अधिक कोई अविलम्बनीय लोकमहत्व का प्रश्न हो ही नहीं सकता

क्योंकि यह इस प्रदेश की कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मान्यवर, आये दिन जो घटनाएं हो रही हैं और अपराधी पकड़े नहीं जाते हैं, इस तरह से अगर इस प्रान्त में होगा तो किस तरह से लोग यहाँ पर व्यापार करने आयेंगे। मान्यवर, लैंसडाउन एक पर्यटन क्षेत्र है, यहाँ पर लोग दूसरे प्रान्तों से पर्यटन के लिए आते हैं। अगर उन्हें वहाँ पर सरकार का संरक्षण नहीं मिलेगा, पुलिस का संरक्षण नहीं मिलेगा तो इस प्रदेश में पर्यटन व्यवसाय कैसे चलेगा? किस तरह से लोग यहाँ पर आयेंगे? यह एक विचारणीय और चिन्तनीय प्रश्न है। इस तरह की घटनाएं होती हैं और सरकार चुप्पी साध लेती है। इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगना चाहिए। कहते हैं कि मित्र पुलिस है लेकिन यह जनता की मित्र नहीं हो सकती। यह अपराधियों की मित्र है। मान्यवर, इस तरह की जो घटनायें घटित हो रही है, इन पर रोक लगनी चाहिए और आज सदन की शेष कार्यवाही रोक कर कानून व्यवस्था पर चर्चा करायी जानी चाहिए, यह बहुत आवश्यक है। हम चाहते हैं कि चाहें सत्ता पक्ष के लोग हों, चाहे विपक्ष के लोग हों, सबको इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा करनी चाहिए, जिससे इस तरह की घटनाएं घटित न हों। मान्यवर, उत्तरांचल एक शांत प्रान्त है और यह शान्ति कायम रहनी चाहिए। मान्यवर, हमारा राज्य देव भूमि के रूप में पूरे देश में जाना जाता है। उसकी यह मान्यता बनी रहनी चाहिए। मेरा निवेदन है कि इस पर चर्चा करायी जाय।

श्री नवप्रभात--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जिस घटना की सूचना दी है, यह एक सुनिश्चित घटना है। दिनांक 20-07-2004 को स्टेशनरी का व्यवसाय करने वाले श्री गजेन्द्र वाधवा, जिनके पिता का नाम किरोया लाल है और जो गली नं0-2, ज्वालापुर, सहारनपुर के निवासी हैं। सैंट्रो गाड़ी नं0 यू0पी0-11 7550 बैठकर यह चमोली, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, टिहरी और श्रीनगर होते हुए पौड़ी सतपुली से अपना व्यापार करते हुए लैंसडाउन पहुंचे, लैंसडाउन से कोटद्वार जाते हुए लगभग 17 किलोमीटर दूर बिलास गांव के समीप दो बजे के करीब स्कॉरपियो कार में बैठे हुए 3-4 बदमाश लोगों ने उनकी कार को रोका और कनपटी पर तमंचा लगाया किन्तु उनका फायर मिस हो गया किन्तु उन बदमाशों में से एक ने चाकू निकालकर उन्हें मार दिया, जिस कारण वे वहीं पर घायल हो गये। यह सूचना मिली है कि उनके पास आठ लाख रुपये थे जिसे उन्होंने लूट लिया और उनके चालक को सड़क के नीचे झाड़ी में ढकेल दिया। इस घटना की सूचना जब सड़क से गुजर रहे किसी व्यक्ति ने कोटद्वार थाने में दी और कोटद्वार थाने के माध्यम से लैंसडाउन थाने में पहुंची। सूचना मिलते ही अधिकारी अविलम्ब घटनास्थल पर पहुंच गये तथा उन्हें उपचार के लिए लैंसडाउन चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। उनकी स्थिति गम्भीर बनी है वे बोलने की स्थिति में नहीं हैं इस समय उनका इलाज मेरठ मेडिकल

कॉलेज में चल रहा है। उनके चालक से पूछताछ की गई, किन्तु उससे पर्याप्त जानकारी नहीं मिल पा रही है। मान्यवर, प्रदेश ही नहीं उत्तर प्रदेश के पुलिस बल को सूचित किया गया है। इस समय लगभग 5 स्थलों पर पुलिस बल अलग–अलग जानकारी के आधार पर कार्यवाही कर रहा है।

इसलिए मान्यवर, इस विषय पर चर्चा करने का औचित्य नहीं बनता। जो कार्यवाही इस समय पुलिस बल द्वारा की जा रही है उसे यहां पर सार्वजनिक करना ठीक नहीं है। इससे अपराधी भी सतर्क हो सकते हैं और जांच का कार्य प्रभावित हो सकता है। मान्यवर, इस प्रकार की घटनाओं के प्रति हमारी सरकार सदैव सचेत रहती है कि यह घटनाएं प्रदेश में घटित न हों। हमारी सरकार अपराधियों के खिलाफ कड़े से कड़ा कदम उठायेगी और जांच का कार्य त्वरित गति से किया जायेगा।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, इस घटनाक्रम की सूचना हमारे पास भी है। समाचार–पत्रों में भी इसके बारे में छपा था। मैं सरकार से जानना चाहती हूं कि जो इस तरह की घटनाएं आज उत्तरांचल में सुदूर क्षेत्रों में घटित हो रही हैं सरकार इसके प्रति कितनी गम्भीर है। लैंसडाउन जैसी जगह, जो कि अति शान्त जगह है। वहां पर इस तरह की घटना घटित हो गयी। इस तरह की घटना घटित होना कोई स्वाभाविक बात नहीं है। मान्यवर, चार दिन हो गये हैं। वहां एक ही रास्ता है फिर भी पुलिस द्वारा अपराधियों को नहीं पकड़ा गया। क्या हमारी पुलिस इतनी निष्क्रिय हो गयी है कि वह अपराधियों को पकड़ने में सक्षम नहीं है।

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, लैंसडाउन से कोटद्वार बहुत अधिक दूरी पर नहीं है। वे हो सकता है कोटद्वार के रास्ते निकल गये हों। इस पूरी घटना पर यदि आप ध्यान दें तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। 8 लाख रुपये कैश के रूप में उनके द्वारा ले जाये जा रहे थे यह रकम बहुत छोटी है। वहां इतनी बड़ी धनराशि को लेकर जाना ठीक नहीं है। मैंने इसलिए जानबूझकर जिन स्थलों से वे गुजरे उनका नाम लिया। जांच किस दिशा में चल रही है वह जानकारी मैं इस वक्त सदन में नहीं दे सकता हूं इसे मैं पुनः दोहरा रहा हूं। इससे सभी अपराधी सतर्क हो जायेंगे। मान्यवर, अपराधियों ने केवल उनकी कार को ही रोका, जबकि उस मार्ग में अन्य गाड़ियां भी आ–जा रही थी। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उनको यह ज्ञात था कि इस गाड़ी से वे जा रहे हैं। मान्यवर, इसकी हम तत्परता से जांच कर रहे हैं, इसलिए इसमें पांच टीमों की बात की जा रही है, ये टीमें अलग–अलग कार्य करेंगी।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, जांच कितने दिनों में पूरी हो जायेगी।

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, इसकी हम तत्परता से जांच कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

श्रीमती विजय बड़थ्वाल एवं माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

(श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या 14 पुकारे जाने पर)

वित्त मंत्री के सदन में उपस्थित न होने पर व्यवस्था का प्रश्न

*काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है, जब आय–व्ययक पर चर्चा हो रही हो और सदन में वित्त मंत्री उपस्थित न हों तो इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। यह सदन भी लोक सभा एवं राज्य सभा की परम्पराओं की तर्ज पर चलता है। मान्यवर, इस सम्बन्ध में मेरे पास एक पुस्तक है–'' रूलिंग फ्रॉम दि चियर रूलिंग्स एण्ड आब्जर्वेशन फ्रॉम दि चियर, 1952 राज्य सरकार'' मान्यवर, इस पुस्तक के पेज संख्या 274 एवं 275 में रूलिंग संख्या 394 में इसका स्पष्ट उल्लेख है।

श्री अध्यक्ष–

आप हमें यह पुस्तक उपलब्ध करा दीजिये।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, ठीक है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है, आय–व्ययक पर चर्चा हो रही है और यहां पर न तो वित्त मंत्री जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वे उपस्थित हैं और न ही संसदीय कार्य मंत्री जी जो सदन की कार्यवाही चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस तरह से दोनों ही जिम्मेदार व्यक्ति यहां पर उपस्थित नहीं हैं। मान्यवर, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और क्या हो सकती है। इसलिए मेरा आग्रह है, जब तक मुख्यमंत्री जी सदन में उपस्थित न हों तब तक आय–व्ययक पर चर्चा स्थगित की जाय।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मैंने कई बार अनुरोध किया माननीय मुख्यमंत्री जी का पत्र है। (व्यवधान)

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मैं नियम 56 में अपनी बात रख रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

मैं ले लूंगा।

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि यह गम्भीर विषय है, सरकार इससे बचना चाहती है, अगर नहीं ,सुनेंगे तो हम "वेल" पर आकर कहेंगे।

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया बैठ जायें, कल ले लेंगे।

श्री प्रकाश पंत–

श्रीमन्, यह गलत परम्परा पड रही है और माननीय नेता प्रतिपक्ष का भाषण होने वाला है और यहां माननीय वित्त मंत्री जी नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप बैठ जायें।

वित्तीय वर्ष, 2004–2005 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, आपका निर्णय शिरोधार्य है, जैसा कि माननीय काजी जी ने एक रुलिंग कोडिंग की है इससे जाहिर है कि यह सरकार लापरवाह है और उत्तरांचल की जनता के साथ यह सरकार धोखा कर रही है। मान्यवर, मैं मद संख्या–14 आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा में भाग ले रहा हूं और यह सरकार किस प्रकार से नियम और कानून को ताक में रखकर काम करती है इसका उदाहरण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट भाषण पेश किया और लिखा कि राज्य की वार्षिक योजना के आकार का निर्धारण न हो पाने के कारण तथा केन्द्र सरकार द्वारा भी इस वित्तीय वर्ष के प्रथम 4 महीनों के लिए लेखानुदान प्राप्त किये जाने के कारण राज्य सरकार द्वारा भी 4 माह के लिए लेखानुदान प्राप्त किया गया था। प्रदेश के विकास के लिए हमारी प्राथमिकताएं व रणनीति गतवर्ष के बजट में एवं इस वर्ष पूर्व में ही महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण में स्पष्ट की जा चुकी है। अतः मैं इन्हें विस्तार से नहीं दोहराऊंगा।

मान्यवर, यह लेखानुदान पेश किया गया मगर लेखानुदान किन परिस्थितियों में पेश किया जाता है मैं इस बात को यहां पर रखना चाहता हूं। वे परिस्थितियां हैं–या तो विधान सभा भंग हो रही हो, जिला प्लान का आकार तय न हुआ हो, योजना आयोग

और भारत सरकार के साथ बैठक न हो सके, भारत सरकार क्या–क्या टैक्स लगाने जा रही है, सरकार बदल रही हो, टैक्स निर्धारण न हो पा रहा हो, सरकार ने अपना प्लान न बनाया हो, बजट बनाने का समय न मिल पा रहा हो या नये मुख्यमंत्री बनने जा रहे हों, इन परिस्थितियों में लेखानुदान पेश किया जाता है। मगर उत्तरांचल की सरकार के पास इनमें से कौन–सी ऐसी बात थी जो कि लेखानुदान पेश किया। मान्यवर, मैं स्वीकार करता हूं कि केन्द्र में चुनाव हुआ, नई सरकार बनी और वह तत्काल बजट प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं तो लेखानुदान पेश किया गया, मगर उत्तरांचल में सरकार पहले से काम कर रही थी, बजट पेश होना चाहिए था।

मान्यवर, उत्तरांचल की जनता के विकास कार्यों को सही समय पर किया जाता। यह अव्यवस्था है, सरकार ने अपने कर्तव्यों का पालन सही नहीं किया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि जो परम्परा है कि फरवरी और मार्च माह में यह बजट पेश किया गया होता तो आज तक विभाग के अधिकारी अपने–अपने बजट प्रारूप तैयार करते, पर आप 4 महीने बाद बजट पेश कर रहे हैं। तो 8 माह के अन्दर इस उत्तरांचल का विकास कैसे होगा यह प्रश्न चिन्ह है ? मैं आपके संज्ञान में इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि बजट सरकार का एक साल का होता है, उसमें कितनी प्राप्तियां होंगी और कितना व्यय होगा, उस प्राप्ति को किस प्रकार से सरकार खर्च करेगी उसका उल्लेख होता है। यहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2004–05 में 7092.92 करोड़ की कुल प्राप्तियां अनुमानित हैं। मान्यवर, पहले लेखानुदान पेश किया गया था तब कह रहे थे कि अभी हमारा वार्षिक कार्य तय नहीं हुआ है और आज भी उसी स्थिति में हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2004–05 में ऋण के प्रति लगभग 570 करोड़ पर ब्याज का अभियोग गया, 7994 करोड़ रुपये तय होगा, इस प्रकार से हमारे ऊपर 1364 करोड़ रुपया ऋण बोझ पड़ेगा तो इससे ऐसा लग रहा है कि हमको ऋण लेकर विकास कार्य करना पड़ेगा।

मान्यवर, यह बजट ऐसा बजट है जो कर्जे से युक्त है, यह सरकार कर्जा लेकर के बजट हमारे सामने पेश कर रही है और सरकार ने अपनी आय के साधन न बढ़ाकर कर्जा लेने पर ज्यादा जोर दिया और यह सरकार यह सोच रही है कि ''यावत् जीवेत् सुखम् जीवेत, ऋणम् कृत्वा घृतम् पीबेत्।'' आप यह जो संदेश उत्तरांचल की जनता को देने जा रहे हैं हम कर्जे में पैदा होते हैं और कर्जे में जीते हैं, हमारी सरकार जब बनी तब भी कर्जे में थी और आज भी कर्जे में है, कर्जे से उत्तरांचल का विकास सम्भव नहीं है। मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कह दिया कि हम कोई टैक्स नहीं लेते। मेरे विचार से, मान्यवर, थोड़ा बहुत टैक्स लेंगे। आपने लूटने के लिए ऐसा बजट पेश किया। इसके साथ–साथ यह खर्चा तो कोई आदमी पसंद नहीं करेगा। मान्यवर, नॉन प्लान का बजट घटाने का प्रयास नहीं करेंगे, प्लान का बजट बढ़ेगा और नॉन प्लान के

बजट को घटाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। कितना अच्छा होता यदि सरकार टैक्स न लगाती, मितव्ययिता तो करते।

मान्यवर, आपने जो जनता के ऊपर आर्थिक बोझ डाल दिया। मान्यवर, लाल बत्तियां हैं उन पर जो खर्च आ रहा है, उस पैसे को विकास कार्य में लगाते तो कितना विकास होता, विदेश यात्रा पर भी मैं आपत्ति करता हूं, नई गाडी खरीदने पर प्रतिबन्ध लगाते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं आपके माध्यम से सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि इसे गम्भीरता से लें। विभागों के पास कितनी गाडियां बेकार पड़ी हुई हैं, मेरा कहना है कि नई गाड़ियां खरीदने का प्रयास नहीं होना चाहिए। मान्यवर, पैट्रोल, डीजल इस पर खर्च करते हैं, यह फालतू खर्च होता है यदि इस पर नियंत्रण करते तो हमारे पास धन की बचत होती और वह धन विकास कार्य में लगता। इसी प्रकार फर्नीचर, टैलीफोन, स्टेशनरी, बिजली, आलीशान कमरे। जैसाकि हमने कहा है कि सचिवों के लिए आलीशान भवन बनाये गये हैं, यहां हम झोपड़ों में रह रहे हैं। जब हम कार्यालयों में जाते हैं तो आलीशान फर्नीचर, शानदार, राजसी ठाठ-बाट वाला कमरा। मान्यवर, हमारी जनता गरीब है और हमारा प्रदेश आर्थिक तंगी से जूझ रहा है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

आप ही द्वारा दिये गये फर्नीचर पर बैठ रहे हैं।

श्री मातबर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, इस पर जांच करायें तो स्पष्ट हो जायेगा। मान्यवर, मेरा सुझाव है। राजस्व कैसे बढ़ाया जाय, इसके लिए आप केन्द्र सरकार से पैसा लेंगे। आप सौभाग्यशाली थे जब केन्द्र में एन0डी0ए0 की सरकार थी। उस सरकार ने बहुत कुछ इस राज्य को दिया। तब भी आपने आरोप लगाये लेकिन आज तो आरोप नहीं लगा सकते हैं क्योंकि केन्द्र में आप ही की सरकार है। हम चाहते हैं कि उत्तरांचल का विकास हो। राजस्व कैसे बढ़ाया जाय इसके लिए व्यापार कर से पैसा लेना चाहिए। मान्यवर, व्यापार कर इस प्रकार सुव्यवस्थित होना चाहिए कि उसकी चोरी न हो और जनता को लाभ मिलना चाहिए।

दूसरा सुझाव, खनन जो होता है उसमें, रेत, बजरी, इसकी चोरी नहीं होनी चाहिए। इस पर नियंत्रण होना चाहिए। माननीय वन मंत्री जी आप सर हिला रहे हैं लेकिन वन विभाग में कितनी अनियमितताएं हैं। मान्यवर, राजकीय कृषि फार्म। मान्यवर, इससे हमको बहुत बड़ी आय हो सकती है। राजकीय आलू फार्म से जो कृषक आलू का उत्पादन करते हैं, उनकी आय में वृद्धि हो सकती है लेकिन हमारी सरकार की कई एकड़ भूमि है जो वीरान पड़ी हुई है। हमारे जो राजकीय उद्यान हैं। माननीय मंत्री जी ने उसको बांट

दिया है। राजकीय फल उद्यान मिट्टी के भाव में लीज पर दिये गये हैं। इससे इस उत्तरांचल की जनता को आर्थिक तंगी का नुकसान हुआ है। मान्यवर, आप चले गये दिल्ली और मुम्बई। क्या यहां पर कोई बेरोजगार आपको नहीं मिला ? मान्यवर, यह गलत निर्णय हुआ, मैं तो कहूंगा कि सरकार इस निर्णय को वापस ले। यहां के भाई–बहनों को उद्यान दें, तो अच्छा होगा।

मान्यवर, लीसा, कल वन मंत्री जी, माननीय प्रकाश पंत जी की सूचना पर कह रहे थे, चूंकि उस सूचना में मेरा नाम नहीं था इसलिए मैंने डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। जब से मैं नेता प्रतिपक्ष बना हूं तब से मुझे चुप ही रहना पड़ता है। (हंसी) मैं माननीय अध्यक्ष जी के निर्देश का पालन करता हूं। मान्यवर, लीसे से हम इनकम भी प्राप्त कर सकते हैं। लीसे की ब्लैक मार्केटिंग होती है। मैं चाहूंगा कि यह लीसा सीधे आपके वन डिपों में आना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां तिलवाड़ा और चम्पावत में लीसे की फैक्ट्री है। यदि आप इन्हें लीसा नहीं देंगे तो यह फैक्ट्रियां बन्द हो जायेगी। इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। ये दो हमारे उद्योग हैं। ये बन्दी के कगार पर हैं।

मान्यवर, जो लकड़ी के हमारे वन निगम के सेल डिपो हैं, वहाँ पर लकड़ी सड़ रही है। आज क्या स्थिति है, मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं चन्द्रबनी और रौलाकुई में गया तब वहां पर लकड़ी सड़ रही थी। जो सबसे पुरानी लकड़ी हो उसे सबसे पहले बेचा जाना चाहिए। इससे हमें आय होगी, अन्यथा लकड़ी सड़ जायेगी। हमें ऊर्जा और पर्यटन से आय प्राप्त हो सकती है। जो हमारे निगम हैं, मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि हिल्ट्रॉन में 16 करोड़ की हानि थी जब मैं मंत्री था। ऐसे निगमों को चलाकर क्या फायदा होगा। मान्यवर, जड़ी–बूटी लुप्त हो रही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बेश कीमती है। लेकिन सरकार का ध्यान इनके उत्पादन पर नहीं है। जड़ी–बूटी भी आय का साधन बन सकती है। मान्यवर, देहरादून में चाय बागान थे, चम्पावत में चाय के बागान थे, ये वीरान पड़े हुए हैं। बेरीनाग में चाय के बागान वीरान हैं, हम कहते हैं, कि चाय का उत्पादन करेंगे, कितना अच्छा होगा जब सरकार इन चाय के बागानों को फिर से चलाये जो वीरान हैं पहले उन्हें सुचारू रूप से संचालित करें।

माननीय परिवहन मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, वे अपने परिवहन विभाग से सरकार की आय को बढ़ा सकते हैं। डीजल और पेट्रोल पर जो अतिरिक्त कर लगाया है, मैं माननीय लोक निर्माण मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इसका राजस्व पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आज स्थिति यह हो गयी है कि हमारे उत्तरांचल के निवासी सहारनपुर और बिजनौर से डीजल और पेट्रोल ला रहे हैं, यहां पर वह मंहगा हो गया है। जिससे यहां पर उसकी खरीद घट गई है और इससे नुकसान उठाना पड़ रहा है। इससे राजस्व की

हानि हुई है, यह एक उदाहरण था कि सरकार राजस्व को कैसे घटा रही है। मैंने जब माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट भाषण को पढ़ा तो इसमें कहीं पर भी इस प्रकार के राजस्व को प्राप्त करने का उल्लेख नहीं किया गया है। फिर यह प्रदेश आगे कैसे बढ़ेगा। अच्छा होगा कि हम अपनी आय को बढ़ायें और उत्तरांचल के नॉन प्लान के पैसे को घटायें और प्लान के पैसे को बढ़ायें। इसके साथ मितव्ययिता को अपनायें और इस प्रकार से उत्तरांचल को आगे बढ़ायें। तो इससे प्रदेश का हित होगा।

मान्यवर, पेयजल के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि आज पेपर में निकला है कि चुक्खूवाला और डोभालवाला में लोग पानी के लिए त्राहि–त्राहि कर रहे हैं, वह भी इस वर्षा के सीजन में, जुलाई के महीने में, तो मई, जून की गर्मी में क्या हाल होगा। मैं स्वयं उदाहरण दे रहा हूं। मान्यवर, जब हम पानी भरते हैं तो बाल्टी में, मैं देहरादून की बात कर रहा हूं जहां पर हम रह रहे हैं। बाल्टी में मिट्टी जम जाती है। तो हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था है, उसमें कहीं पर भी फिल्टर की व्यवस्था नहीं की गयी है। लोग ऐसा पानी पी रहे हैं, अब आप कहेंगे कि वहाँ पर लोग बीमार नहीं होते हैं। अग्रवाल जी भी शान्त बैठे हैं। तो मान्यवर, वहाँ की आबो–हवा इतनी अच्छी होती है, अभी जब हम मसूरी जाते हैं तो वहाँ पर बड़े फ्रेश हो जाते हैं। पौड़ी जाते हैं तो एक ताजगी का अनुभव होता है, इस प्रकार से पहाड़ों में आबो और हवा ही है और सरकार जनता को ऐसा ही पानी पिला रही है, वहाँ पर फिल्टर नहीं लगा रही है। आपने कहा कि हैण्ड पम्प लगाये गये हैं, तो मान्यवर, जब मैं पर्वतीय विकास मंत्री था तो सबसे पहले मैंने हैण्ड पम्प लगवाये थे, मैंने 10 लाख रुपया दिलवाया था और कहा था आप पर्वतीय क्षेत्रों में हैण्ड पम्प लगायें वह सही भी हुआ, अभी हमारे माननीय सदस्य हैं श्री महेन्द्र भट्ट जी इनके क्षेत्र में हैं, तल्ला नागपुर, वहां पर मैंने 11 हैण्ड पम्प लगवाये थे, आज भी वे लोग कहते हैं कि कंडारी जी आपकी वजह से हमारी पानी की समस्या दूर हुई थी, लेकिन आज ये बता रहे हैं, कि वे हैण्ड पम्प खराब हो गये हैं, उनमें पानी नहीं चल रहा है। मेरा एक निवेदन है कि जो हैण्ड पम्प बन्द पड़े हुए हैं, इनको तत्काल ठीक कराया जाय।

यह ऊर्जा विभाग है इनसे भी आय के अच्छे स्रोत हैं, इससे हम छोटी–छोटी जल विद्युत परियोजनाएं और माइक्रो हाइडिल परियोजनाएं बनाकर अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। मान्यवर, बिजली भी दे सकते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत सारी जल विद्युत परियोजनाएं शुरू हुई, लेकिन पैसा न होने के कारण बन्द पड़ी हैं। मुश्किल से टिहरी बांध परियोजना पर काम चल रहा है। मान्यवर, मनेरी भाली फेज–2 पर भी काम चल रहा है। मान्यवर, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं, हम तो लिख कर दे देते हैं लेकिन सरकार उस पर कोई काम नहीं करती। मान्यवर, मैं मनेरी भाली फेज–2 को देखने के लिए मौके पर गया। वे लोग जो रेत इस्तेमाल कर रहे थे, उसमें 20 प्रतिशत तक मिट्टी

थी। मैंने जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि इसका परीक्षण करायें, यह बांध बन रहा है और इसमें मिट्टी वाली रेत लगायी जा रही है, यह हमारे राज्य की सम्पत्ति है। मान्यवर, सरकार सुन रही और मैं समझता हूं कि मनेरी भाली फेज–2 में जो गलत रेत लगायी जा रही है, उसे रोका जायेगा। मान्यवर, लामबगड़ में जो घटना हुई है, इसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि अगर जय प्रकाश इण्डस्ट्री वाले वहां पर खनन का काम न करते तो यह घटना न होती।

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री नव प्रभात)–

मान्यवर, खनन का काम कब किया गया है ?

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, उनके द्वारा टनल बनाते समय खनन किया गया। जबकि माननीय खण्डूरी जी ने एक साल पहले निर्देश दिया था कि यहां पर खनन न किया जाय। इससे भयंकर स्थिति बन जायेगी। वहां पर मैटीरियल को डम्प कर दिया गया, पहाड़ सड़क की तरफ आ गये और सड़क नदी की तरफ खिसक गयी। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि कहीं मनेरी भाली फेज–2 में जो रेत इस्तेमाल हो रही है, वह ऋषिकेश से भेज रहे हैं या वहीं की स्थानीय रेत निकाल रहे हैं ? अगर ऐसा है तो यह गलत काम हो रहा है। इसे तुरन्त रोक देना चाहिए।

मान्यवर, आज जब सदन शुरू हो रहा था तो यहां पर बिजली नहीं थी। हम लोग कह रहे थे कि माननीय अध्यक्ष जी को रोक दो, कहीं माननीय अध्यक्ष जी यहां पर न आ जायें। मान्यवर, आज बिजली ठीक नहीं आ रही है। देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार में तो हो सकता है कि बिजली नियमित हो और अगर कटौती होती भी हो तो वह घोषित कटौती होगी। लेकिन हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र के ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर कभी 8–10 दिन तक बिजली नहीं आती है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। इसका सबूत माननीय विधायकगण हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की अव्यवस्था को रोका जाना चाहिए। मान्यवर, जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगे हैं, वह बहुत तेजी से भागते हैं और बिल बहुत अधिक आता है। कहीं पर बिजली का खम्भा गिर जाता है और उससे कोई बैल या आदमी मर जाता है। जब इन्हें ठीक कराने के लिए कहा जाता है तो कोई सुनने वाला नहीं होता। कहते हैं, हमारे पास लाइन मैन नहीं है। मान्यवर, विद्युत ट्रान्सफार्मर जल जाते हैं। मान्यवर, कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं, जहां पर ट्रान्सफार्मर जल जाने के 6 महीने, साल भर तक भी ट्रांसफार्मर बदले नहीं जाते हैं। मान्यवर, यहां पर तो ट्रान्सफार्मर बदल जाते होंगे लेकिन गांवों में नहीं बदले जाते। लेकिन बिल फिर भी पूरा आ जाता है। यह विद्युत विभाग की कमियां हैं। मान्यवर, सड़क मंत्री जी चली गयी हैं। 9 करोड़ रुपये के ठेके एक–एक व्यक्ति को दिये गये हैं। ऐसे में छोटे–छोटे ठेकेदार कहां जायेंगे। मान्यवर, छोटे–छोटे ठेके होने चाहिए।

कृषकों की भूमि का कटान होता है किन्तु उनको कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है। वे पलायन कर रहे हैं। चाहे वह पिथौरागढ़ में हो, चमोली में हो, बागेश्वर में हो जितने भी पर्वतीय और ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें सड़के बन्द पड़ी हैं। सरकार को फेल करने में आपके अधिकारी अधिक मदद कर रहे हैं। मैंने बन्द पड़ी सड़कों के बारे में पूछा कि यह सड़क क्यों नहीं खोल रहे हो तो वह कहते हैं जाइये सरकार से पूछिये। उन्होंने गरटर रोल बन्द कर दिया। गैर लेवर हटा दिये उनके पास लेवर नहीं हैं। मान्यवर, एक दिन मैं कहीं ग्रामीण क्षेत्र की तरफ जा रहा था तो मैंने देखा खच्चर का पैर पुल के नीचे चला गया, कुछ लोग खच्चर को निकाल रहे थे।

परिवहन मंत्री (श्री हीरा सिंह बिष्ट)–

मान्यवर, क्या आप खच्चर पर जा रहे थे। (हंसी) खच्चर कहां से आ गया।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, मैं नहीं जा रहा था। आप तो परिवहन मंत्री हैं मुझे खच्चर में क्यों बैठाते हैं, गाड़ी में बैठाइए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे गाडी उपलब्ध करायी है। मान्यवर, जिस प्रकार से खेतों में कभी खर–पतवार हो जाता है उसी तरह से कभी–कभी पुल पर खच्चर भी टपक जाता है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कल कहा था कि पुनरीक्षित आगणन स्वीकृत नहीं किये जा रहे हैं किन्तु मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पुनरीक्षित आगणन आज भी बन रहे हैं। जानबूझकर काम को रोक दिया जाता है फिर पुनरीक्षित आगणन बनाकर बजट बढ़ा दिया है। मान्यवर, पुनरीक्षित आगणन पर रोक लगनी चाहिए।

इसी प्रकार पहले जब सिंचाई विभाग नहरें नहीं बनाता था तो खुद सिंचाई कृषकों द्वारा की जाती थी। आज जब सिंचाई विभाग द्वारा नहरें बनाई जा रही है तो सिंचाई कृषकों द्वारा कम हो पा रही है इसका कारण यह है कि सिंचाई विभाग द्वारा जो नहरें बनी हैं उनमें सीमेन्ट कम–कम लग रहा है जिस कारण बीच में ही नहर टूट जाती है जिस कारण पानी इधर–उधर चला जाता है। कृषक के खेत पर पहुंच नहीं पाता है। हां, दैवी आपदा के कारण यदि कोई नहर टूट जाय तो यह सरकार की गलती नहीं कही जायेगी, इसमें सरकार का दोष नहीं है। किन्तु निर्माण कार्य जब सही नहीं होंगे तो नहरें बीच में टूट ही जायेंगी। मान्यवर, मैं चाहूंगा कि सरकार हर विभाग में एक योजना ऐसी बनाये जो वास्तव में धरातल पर दिखायी दें। मान्यवर, हर विभाग में एक–एक योजना ऐसी चलनी चाहिए जो धरातल पर दिखाई दे। इस समय हमारे 55 विभाग हैं तो 55 योजनाएं ही काम करें, बन्दर बांट नहीं होनी चाहिए। मान्यवर, वर्तमान परिवेश में टपक और हाइड्रम योजनाएं सफल नहीं हैं।

शिक्षा और स्वास्थ्य में बहुत पैसा है। मगर सरकार ने कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया कि हम शिक्षा का स्तर ऊँचा उठायेंगे। इस समय यहाँ पर शिक्षा मंत्री जी मौजूद नहीं हैं, लेकिन हालत यह है कि विभाग द्वारा अध्यापकों का स्थानान्तरण किया जाता है मगर माननीय मंत्री जी को इसका पता ही नहीं रहता है कि विभाग में क्या हो रहा है। यदि प्राथमिक शिक्षा के स्तर को सुधारा जाय, तो समझ लें कि आगे की शिक्षा का स्तर अपने आप सुधर जायेगा। मान्यवर, बेस मजबूत होना चाहिए। मैं चाहूँगा सरकार इस दिशा में अभूतपूर्व कदम उठाये। प्रत्येक प्राइमरी स्कूलों में मानक के अनुसार दो अध्यापक होने चाहिए। माध्यमिक शिक्षा में कम्प्यूटर की बात कही गयी है, परन्तु इनका सदुपयोग नहीं हो रहा है। वर्ष, 2002, 2003 के बजट भाषण में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि प्रत्येक जनपद में एक राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की स्थापना का संकल्प लिया गया है, जो कहीं पूरा नहीं हुआ।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, ऐसा नहीं है, मेरे विधान सभा क्षेत्र में यह विद्यालय है।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ बजट का संतुलित बंटवारा नहीं हुआ है। मैं स्पष्ट कर दूँ कि मंत्री केवल अपने क्षेत्र का नहीं होता है, बल्कि वह सम्पूर्ण प्रदेश का होता है।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, यह विभाग मेरे पास नहीं है।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, यह तो संयुक्त जिम्मेदारी है। मान्यवर, इसके अतिरिक्त प्रत्येक जनपद में एक उत्कृष्ट श्रेणी का महाविद्यालय खोले जाने की बात भी की गयी थी, परन्तु इस वर्ष रोजगारपरक पाठ्यक्रम की बात है। मान्यवर, क्या आप रोजगारपरक पाठ्यक्रम दे रहे हैं मैं नहीं जानता हूँ। मान्यवर, वहाँ अध्यापक नहीं हैं, एक प्रिन्सिपल है वही विद्यालय को चला रहा है, तो कैसे शिक्षा चलेगी। मान्यवर, प्राविधिक शिक्षा में बहुत चर्चा हो गई। आप विश्वविद्यालय खोल रहे हैं तो कालेज की बात आपसे क्या करें। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी आप काम तो ठीक कर रहे हैं, मगर काम क्या किया जरा सुन लें। आपने डॉक्टरों को दूरस्थ, अति दुर्गम क्षेत्र में भिजवाया उन्होंने अति दुर्गम, पिछड़ा क्षेत्र, दूरस्थ क्षेत्र को नकार दिया और मुख्यालय में डॉक्टरों को तैनात कर दिया।

*स्वास्थ्य मंत्री (श्री तिलक राज बेहड़)–

मान्यवर, यह जानकारी ठीक नहीं है। मान्यवर, हमने 300 डॉक्टरों की नियुक्ति की जिसमें से एक महिला डॉक्टर को ऊधमसिंह नगर में नियुक्त किया और शेष 299 को पहाड़ों पर भेजा है।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मेंगलखाल में डॉक्टर की नियुक्ति हुई और सी0एम0ओ0 ने उसको स्थान रुद्रप्रयाग में दे दिया। मान्यवर, ऐसे कई डॉक्टर हैं। मान्यवर, आपने दोनों बजट भाषण में बोला कि हम हर तहसील में 50 शैय्याओं का अस्पताल खोलेंगे, हर जिले में बेस अस्पताल बनायेंगे, ढाई वर्ष हो गया है लेकिन दिख नहीं रहा है।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, गोपेश्वर के अन्दर जिला चिकित्सालय की क्या स्थिति थी वह चार करोड़ की लागत से बन रहा है। रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, टनकपुर, रामनगर, देहरादून आदि स्थानों पर बन रहा है।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, आप देहरादून और रामनगर की बात कर रहे हैं। मान्यवर, आपने कहा हर जिलों में बेस अस्पताल, हर तहसील में 50 शैय्या का अस्पताल होगा, पर ढाई वर्ष हो गया कुछ नहीं हुआ। मान्यवर, अभी भी समय है कर दें।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, 10 साल और 2 साल का आंकड़ा लायें तब देखें कि कितना कार्य हुआ है।

श्री मातबर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हम इन आंकड़ों में न जायें, बल्कि धरातल में कुछ काम करके दिखायें। मान्यवर, दूसरा निवेदन करना चाहता हूँ कि आपकी सरकार ने क्या काम किया है उसका प्रतिफल आपको जीवन में मिलेगा?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, आपको कोई फायदा नहीं होता।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, मैं तो जनता का सेवक हूँ और जनता के लिए समर्पित हूँ चाहे इधर रहूँ या उधर रहूँ, जनता मेरी भगवान है, जनता के दुःख दर्द को समझना मैं अपना कर्तव्य

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समझता हूँ। मान्यवर, आज मुझे पता चला कि हल्द्वानी में जो ट्रस्ट का मेडिकल कॉलेज है वह वन विभाग का है या सरकार का या ट्रस्ट का है। इसका संविधान बना है, नियमावली बनी है, इसके खर्च कहाँ से आ रहे हैं, इसका स्टाफ कहाँ का है, सरकारी है या अर्ध सरकारी है, इसके मंत्री कौन हैं? माननीय अध्यक्ष जी, इस पर हमको बोलने का मौका दें। यह सरकार उत्तरांचल की जनता के हितों के लिए कार्य नहीं कर रही है। सरकार ने 50 सीटें यहाँ के लोगों के लिए और 25 सीटें अन्य के लिए। नियमानुसार सरकार इसको पैसा दे रही है, सरकार का भवन है, कर्मचारी/अधिकारी सरकारी हैं जो यह ट्रस्ट है वह किसका है?

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, ट्रस्ट सरकार का है।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, सरकारी है तो यहाँ पर 85% सीटें उत्तरांचल के छात्रों के लिए होनी चाहिए।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, यह मामला न्यायालय में है आप तो सदन को गुमराह करने की बात कर रहे हैं।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, यह मामला हाइकोर्ट में है, यह गम्भीर मामला है।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, औद्योगिक विकास पर हमारी बात सुन लीजिए शायद उत्तरांचल का हित होगा।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, जजमेंट हाइकोर्ट में है और आपने सुना दिया यह गम्भीर बात है।

श्री अध्यक्ष–

यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है इसका उल्लेख न करें तो बेहतर होगा।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, औद्योगिक विकास की बात करता हूँ इसमें जो छूट 2007 तक थी उसे 2013 तक बढ़ा दें। एक निवेदन और करना चाहता हूँ जो हमारे बैंक हैं पंजाब नेशनल बैंक हो या कोई अन्य बैंक उनके पास जब पत्रावली जाती है तो ये लाभार्थी को घुमा

देते हैं। इस समस्या का निस्तारण करें तो उद्योग आगे बढ़ेंगे। मान्यवर, आपने 500 उद्यमियों द्वारा उद्योग स्थापित करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है लेकिन आज तक तो कोई उद्योग नहीं लगा है, सब परेशान हैं।

कृषि के बारे में कृषि मंत्री जी यहाँ पर हैं अगर हम कैश क्रॉप पर बल देंगे तो 80% जनता जिनका कार्य कृषि है, तो उत्तरांचल का भला होता। बीज और खाद समय पर नहीं मिलता। बीज और खाद तब मिलते हैं, जब बुआई समाप्त हो जाती है। बिक्री की व्यवस्था सही नहीं है, कृषकों का शोषण होता है। कृषि विविधीकरण की जो योजना है वह सिर्फ कागजों पर ही है। वह धरातल पर दिखाई नहीं दे रही है। कृषकों की फसलों को खरीदने के लिए व्यवस्था करें। आलू सड़ रहा है। आलू के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

माननीय मातचन्द्र जी बैठे हैं उनके यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बावजूद कृषकों को पैसे नहीं मिले। मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है सेब, नाशपाती उत्तरांचल के कई भागों में होते हैं। माल्टा, चमोली, रुद्रप्रयाग इसके विपणन की कोई व्यवस्था नहीं है। इसको कृषक कहाँ ले जाए जैसा कि हमारे गोविन्द लाल शाह जी ने बताया कि माल्टा कैसे खायें? मान्यवर, जिस प्रकार से हिमांचल में एपिल जूस की व्यवस्था है उसी के तर्ज पर यहाँ पर भी होना चाहिए। कोल्ड स्टोरेज की कोई व्यवस्था नहीं है। रेशम से हम कमा सकते हैं। चीनी मिलें घाटे में क्यों हैं? इसके लिए हमें गहराई में जाना चाहिए कि ये घाटे में क्यों है? इसके लिए कार्य करना चाहिए। मान्यवर, यह जो वन है उसके बारे में चार बिन्दु हैं। अवैध कब्जा, इसको रोकना चाहिए, अवैध पातन, जोर शोर से पातन होता है। एक बीटगार्ड है इतना बड़ा क्षेत्र दे दिया। जब डी0एफ0ओ0 ने पूछा आप कहाँ पर थे तो उसने बताया घाटी में। जब डी0एफ0ओ0 घाटी की ओर गया तब पूछा कल कहाँ थे तो उसने कहा ऊपर थे। अवैध खनन और चौथा अवैध शिकार। मान्यवर, आपके माध्यम से निवेदन है कि हरियाली अभियान हमने चलाया था। इसको जन सहभागिता के आधार पर युवक मंगल दल, गांव, ग्राम पंचायत आदि के माध्यम से चलाया गया था। मान्यवर, आप आँवला के पेड़ लगाएं। इससे इन्कम भी होगी। आप एक बेल्ट बनाएं आँवला की, जामुन की, नेपियर घास की तो इससे उत्तरांचल को फायदा होगा।

माननीय पर्यटन मंत्री जी बैठे हैं। आपने केवल नैनीताल, मसूरी, औली, मुन्स्यारी की बात की है जबकि हमारे यहाँ दयारा बुग्याल, फूलों की घाटी, पाताल भुवनेश्वर, बेरीनाग आदि बहुत से पर्यटक रमणीक स्थल हैं। यदि हम इन्हें पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करें तो इससे उत्तरांचल को काफी फायदा होगा। मैं चाहूँगा कि आप पर्यटन की पुस्तकों में इन स्थानों का उल्लेख कराएं। इससे लोगों को इनके बारे में जानकारी

प्राप्त होगी। मान्यवर, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर यहाँ रज्जू मार्ग का निर्माण कराएं इससे आय भी होगी। माननीया विजय बड़थ्वाल जी बैठी हैं। ऋषिकेश से नीलकंठ के लिए यदि आप रज्जू मार्ग का निर्माण कराएं तो अच्छा होगा। वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना भी रोजगार नहीं दे पा रही है।

मान्यवर, बैंक वाले कहते हैं कि पहले अपनी प्रापर्टी मोर्टगेज कीजिए या सिक्योरिटी के लिए कुछ जमा करें तब आपको ऋण दिया जायेगा। मान्यवर, यदि इनके पास पैसा होता तो ये लोग लोन के लिए बैंक क्यों जाते? मान्यवर, हमारे यहाँ चार धाम है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है कि जिस प्रकार कुम्भ मेले के लिए भारत सरकार अनुदान देती है, उसी प्रकार चार धाम के लिए केन्द्र सरकार हमको पैसा दे। मेरी प्रार्थना है कि चार धाम यात्रा के लिए आप भारत सरकार से सहायता मांगे। मान्यवर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग की हम बात करते हैं। हमें इनके हित में काम करना चाहिए।

मैं उल्लेख करना चाहता हूँ कि समाज कल्याण विभाग से कई महीनों से वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन नहीं मिल पा रही है। 6–6 महीने तक यह पेंशन नहीं मिलती है इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। मान्यवर, मैं दुग्ध विकास के बारे में कहना चाहता हूँ। यहाँ पर सब कृषक हैं और गाय, भैंस अधिकांश के घर में होंगी, गन्ना मंत्री जी के यहाँ भी होंगी।

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण मामला है, बहुत विचारणीय विषय है, जो यह सहकारी समितियाँ हैं और दूध का कार्य करती हैं तो क्या दाम देते हैं, 7, 8 या 9 रुपये और बाजार में जब हम दूध लेते हैं तो वह 16 से 20 रुपये के बीच में मिलता है, इस प्रकार से वह हमें जस्ट डबल में मिलता है और उससे भी ज्यादा हो जाता है। यह सहकारी समितियाँ जो हमारे दुग्ध उत्पादक हैं उनका शोषण कर रही हैं। उनको सही दाम मिलना चाहिए, यह मेरा निवेदन है।

अभी मुझे एक पत्र मिला हमारे माननीय विधायकों ने उत्तरकाशी, बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ के बारे में लिखा है रुद्रप्रयाग भी इनमें आता है, यह सारे जनपद दैवीय आपदाओं की दृष्टि से संवेदनशील हैं। देहरादून, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर इन जनपदों में बाढ़ के कारण बहुत हानि होती है, इनके लिए कोई योजना बननी चाहिए, मेरा सुझाव है कि उसमें कुछ विभागों, भूमि संरक्षण विभाग, लोक निर्माण विभाग, वन विभाग और पेयजल विभाग को यह काम देखना चाहिए, क्योंकि इन्हीं विभागों के कार्य वहाँ पर करने होते हैं। इन जगहों को चिन्हित करना चाहिए। सहकारिता विभाग में ट्रांसफर इंडस्ट्री होती है, पैसा नहीं दिया जाता है, केवल ट्रांसफर किया जाता है, इसको बंद किया जाना चाहिए।

श्री फूल सिंह बिष्ट–

मान्यवर, अब ऐसा नहीं होता है, आप देख लें।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, आपकी सरकार आ गई है तो आप ऐसा कह रहे हैं, हो सकता है।

माननीय वन मंत्री जी सहमत होंगे कि जब मैं वन मंत्री था, मैं यह सुझाव दे रहा हूँ अच्छा लगे तो आप अमल कर सकते,हैं। हमारे प्रदेश की नदियों में जो भी नदियाँ हमारे यहाँ पर हैं वहाँ पर लोग मछली पकड़ते हैं और वह वैध नहीं होता है, वह अवैध है तो आप दो–तीन किलोमीटर के छोटे–छोटे टुकड़े बना दें और वहाँ पर स्थानीय लोगों को इसका लाइसेंस दे दें। हमारा कहना यह है कि जो दक्षिण भारत से मछली यहाँ पर आ रही है, उसकी जगह यहाँ से मछली दक्षिण भारत जानी चाहिए। इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और प्रदेश की आय भी बढ़ेगी। इसके लिए अभी 60 हजार का लोन है, वह बहुत कम है इसे कम से कम 3 या 4 लाख होना चाहिए। जिससे लोग अपने तालाब, पौण्ड बनाकर वहाँ पर मछली पालन कर सकें। दूसरा यह जो स्वयं सहायता समूह हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, यह स्वयं सहायता समूह केवल कागजों में है, धरातल पर इनका कोई काम नहीं है। मैं यह चाहूँगा और सरकार से अनुरोध करूँगा कि इन स्वयं सहायता समूहों के बारे में जानकारी ली जानी चाहिए। इनके द्वारा उत्तरांचल में कोई काम नहीं हुआ है।

यह जो स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना चलाई जा रही है उसके माध्यम से काम के बदले अनाज दिया जाने का जो प्रस्ताव था वह नहीं हो रहा है। खाद्यान्न लोगों तक नहीं पहुँच रहा है। इसमें था कि एक वर्ष में 100 दिन काम दिये जाने की गारन्टी दी गई थी। यह भी नहीं हुआ है। अभी आपका 85 प्रतिशत मिट्टी का तेल ऋषिकेश में ही रह जाता है। वह वहाँ के पेट्रोल पम्पों में चला जाता है, इस पर आप कार्यवाही करेंगे तो अच्छा होगा। इसी प्रकार प्रधानमंत्री रोजगार योजना में जितना पैसा आ रहा है उतना उपयोग नहीं हो पा रहा है। मान्यवर, उसका कारण यह है कि वन भूमि के कारण सड़कों का निर्माण नहीं हो पा रहा है।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, एक जानकारी दे दूँ कि प्रधानमंत्री सड़क रोजगार योजना की कोई योजना वन अधिनियम के कारण लम्बित नहीं है।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ की योजनाएं लम्बित हैं।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, कोई भी योजना लम्बित नहीं है।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में विधायक निधि 1 करोड़ रुपया हो गयी है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि यहाँ भी विधायक निधि एक करोड़ रुपया कर दी जाए। (मेजों की थपथपाहट)

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो हमारे साथी हर समय ट्रेजरी बेंचेज को टोकते हैं लेकिन आज उत्तर प्रदेश की तरह चलने को कह रहे हैं।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी तक आपकी सरकार ने हमारी परिसम्पत्तियों का बंटवारा हमें नहीं दिया, इसलिए हमारा हक अभी उत्तर प्रदेश पर है। मान्यवर, जहाँ तक पुलिस और जेल की बात है। जब पुलिस की संख्या कम थी, तब अपराध कम थे और अब पुलिस की संख्या बढ़ गयी है तो अपराध भी बढ़ गए हैं। मान्यवर, आज देवभूमि राक्षसों की भूमि हो गयी है। जैसा अभी बहन विजया बड़थ्वाल जी ने कहा कि सरकार इन्हें रोकने में असफल और चित–पट है।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार चित–पट है। तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह चित–पट क्या है, इसका अर्थ क्या है?

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, जैसे आप चित–पट हो गये उसी प्रकार सरकार भी चित–पट है।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, मैं तो चित–पट नहीं हुआ।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, आप तो हमारे क्षेत्र के आदमी हैं। आपको हटा कर सरकार ने अच्छा काम नहीं किया। अब हम अपनी बात कहने के लिए किसके पास जाएं। एक ही आदमी तो काम करने वाला था।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, मैं तो जन्मजात मंत्री हूँ।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, आपदा प्रबन्धन एक गम्भीर विषय है। मान्यवर, लामबगड़ के सम्बन्ध में तो बात आ गयी। मैं वरुणावत की बात कहना चाहता हूँ। हमारे माल चन्द्र जी उसी क्षेत्र के हैं। यदि वरुणावत को नहीं रोका गया तो पूरा उत्तरकाशी तहसनहस हो जाएगा। मान्यवर, मैं वहाँ पर स्वयं गया था। जिलाधिकारी ने कहा कि हमें 5 करोड़ रुपये मिले। हमने पूछा कितना खर्च हो गया है। तो उन्होंने कहा कि 3 करोड़ 20 लाख रुपया खर्च हो गया है। मैंने पूछा कि बाकी का 1 करोड़ 80 लाख रुपया कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि हमारे पास पड़ा है। मान्यवर, पैसा आपके पास पड़ा हुआ है लेकिन फिर भी काम नहीं हुआ है। सरकार कह रही है कि 25 लाख भारत सरकार से मिला है। जब आप इस पैसे को खर्च करेंगे, तब केन्द्र सरकार और पैसा देगी। आपके पास पैसा होने के बाद भी वरुणावत पर्वत का ट्रीटमेंट आप नहीं कर पा रहे हैं। यह बहुत ही दर्दनाक घटना है। जिन होटल मालिकों के होटल, जिन मकान मालिकों के मकान और दुकानें क्षतिग्रस्त हो गयी हैं, उनको मुआवजा मिलना चाहिए यह भी प्रयास करना चाहिए कि उन्हें जल्दी ही फिर से स्थापित किया जाए।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने वरुणावत के बारे में जो कुछ कहा है उस बारे में बताना आवश्यक समझता हूँ। नेता प्रतिपक्ष उत्तरकाशी गये मैं इसके लिए उनका आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने विश्लेषण भी किया किन्तु जो सरकार पर आक्षेप लगाये वह गलत है। मैं भी जिलाधिकारी से मिला हूँ। .... (व्यवधान)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं तो बीच में टोका–टाकी ठीक नहीं है। सरकार को बीच में स्पष्टीकरण देने का अधिकार नहीं है।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्रों में आज चीनी की सप्लाई तीन महीने से बंद है। मान्यवर, इसी प्रकार से नैनीताल में मात्र 25 प्रतिशत चीनी उपलब्ध होने की बात लोगों द्वारा कही जा रही है। यही बात रामनगर, चमोली और उत्तरकाशी के लोगों द्वारा कही जा रही है। चीनी की बोरियाँ तोलकर नहीं दी जा रही है। कहीं चीनी बोरियों में 10 किलो कम है तो कहीं पाँच किलो कम है और कहा जाता है ले जाना हो तो ले जाओ। मान्यवर, बोरी तोलकर दी जानी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, हमने पेपर में पढ़ा कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कर्मचारियों को बहुत तोहफा दे दिया है। कर्मचारियों को मकान बनाने के लिए दो–ढाई लाख के बजाए सात से साढ़े सात लाख तथा कार खरीदने

के लिए 80 हजार के बजाए एक लाख तक दिया जायेगा। मान्यवर, वह कर्मचारियों को लौटाना भी तो पड़ेगा, यह तो ऋण है। यदि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करते उनकी पदोन्नति कर देते तो कितनी अच्छी बात होती।

मैंने पेपरों में पढ़ा था कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सरकार की सद्‌बुद्धि के लिए यज्ञ कर रहे हैं। मान्यवर, यह बेचारे हमारे गरीब भाई हैं, उनके साथ न्याय होना चाहिए। अधिकारी का प्रमोशन तो फटाफट हो जाता है किन्तु इन दैनिक वेतन भोगियों को देखने वाला कोई नहीं। इनका नियमितीकरण होना चाहिए, पदोन्नति होनी चाहिए। काम तो करने वाले यही हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बजट को देखने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि यह बजट कर्जे–कर्जे में दबा हुआ है। यह बजट विकासोन्मुखी नहीं है, यह बजट गरीबी को दूर करने वाला नहीं है, यह गरीबी बढ़ाने वाला है। यह बजट मितव्ययी नहीं है, यह बजट किसान विरोधी है, श्रमिक विरोधी है, कर्मचारी विरोधी है, रोजगार परक नहीं है, अति पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए इस बजट में कोई योजना नहीं बनाई गई है। शिक्षा स्तर को ऊँचा उठाने के लिए इस बजट में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यह विद्युत की समस्या को हल करने वाला बजट नहीं है। यह बजट पेयजल की समस्या को सुधारने वाला नहीं है और न ही यह शुद्ध पेयजल देने वाला बजट है।

मान्यवर, चाय के विकास के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनायी गयी। फल पट्‌टी हमारे यहाँ वरदान है, यदि इसे लागू करेंगे तो ये हित में होगा, व्यवसायिक खेती की उपेक्षा की गई है, खाद–बीज वितरण का उल्लेख नहीं है, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि वर्गों के लिए ठोस योजना नहीं है। इस बजट से लगता है यह माननीय नारायण दत्त तिवारी जी का बजट नहीं है, यदि उनका बजट होता तो इसका स्वरूप ही कुछ और होता। मैं समझता हूँ कि उन्होंने अधिकारियों को बजट बनाने को दिया और अधिकारियों ने पुरानी परिपाटी के अनुसार यह बजट थोपा। इसमें सूखा राहत, दैवीय आपदा के लिए कोई महत्वपूर्ण योजना नहीं दिखाई दे रही है। मितव्ययिता की बात नहीं है। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि सरकार सरचार्ज वाले विभागों से काम न करायें, इससे बचत नहीं होती है। मान्यवर, डीजल और पेट्रोल पर जो अतिरिक्त कर लगाया गया है, उसको वापस ले लें क्योंकि इससे प्रदेश को राजस्व की हानि हो रही है। इस बजट के बारे में जो शब्द मेरे मनमस्तिष्क में थे वे मैंने रखे हैं। इसमें कोई दिशा नहीं है, चिंतन नहीं है, नया नियोजन नहीं है।

मान्यवर, मैं मैदान और पहाड़ को बांटने की बात नहीं कह रहा हूँ, मेरा सुझाव है कि हमारा बजट भी दो धाराओं पहाड़ और मैदान में बनना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश में होता था। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि प्रदेश के हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और देहरादून जनपद के कुछ हिस्से के लिए अलग से नियोजन होना चाहिए और पर्वतीय क्षेत्र

के लिए अलग। मैं चाहता हूँ यदि सरकार चाहे तो इस तरह से नियोजन कर सकती है। मान्यवर, उत्तरांचल के हित में जो बिन्दु मेरे मन में थे, मैंने उनको रखा है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि जिन बिन्दुओं का मैंने उल्लेख किया उन पर गौर करें। मान्यवर, कल मुझे निराशा हुई जो बिन्दु मैंने यहाँ पर गिनाये थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन बिन्दुओं का यहाँ पर कोई उल्लेख नहीं किया। यह सदन उत्तरांचल की जनता के लिए बनाया गया है और सदन का कर्तव्य बनता है कि हम जनहित में कार्य करें। सरकार से अनुरोध है कि हमारी बातों को गम्भीरता से सुने, जनता ने हमें चुनकर यहाँ पर इसीलिए भेजा है कि हम यहाँ पर उनकी मूलभूत समस्याओं को उठायें और उनका निस्तारण हो।

मान्यवर, जब सत्ता पक्ष-विपक्ष के माननीय विधायकगण क्षेत्र में जाते हैं तो अवहेलना होती है, एक नेता प्रतिपक्ष की बात एक जिलाधिकारी नहीं सुनता, हम कड़वे घूंट पीकर रह जाते हैं। मान्यवर, हमने संकल्प किया कि जहाँ पर गलती हो रही है हम संघर्ष करेंगे, मेरा कहना है कि माननीय विधायकगणों का सम्मान होना चाहिए। मान्यवर, मैं कहूँगा कि यह बजट अच्छा बजट नहीं है, इसलिए इस बजट का मैं विरोध करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

मैं दलीय नेताओं के लिए 20 मिनट और माननीय सदस्यों के लिए 10 मिनट का समय निर्धारित करता हूँ। कृपया समय का ध्यान दें।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इस सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय बजट के विश्लेषण का मौका दिया और जैसा कि आप जानते हैं और माननीय नेता प्रतिपक्ष ने उल्लेख भी किया है कि यह बजट देश के बहुत बड़े नेता माननीय पं0 नारायण दत्त तिवारी जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, यह ज्यादा समीचीन इसलिए होता है कि इस पर हम गौर करें और देखें कि उसमें क्या दृष्टि है, देखें कि उसमें क्या नवीनता है और देखें कि उसमें उत्तराखण्डी आम जनमानस के लिए संतुष्ट करने लायक बात कही है। मान्यवर, मैं आंकड़ों की बात नहीं करना चाहता क्योंकि आंकड़ों का खेल बड़ा दिलचस्प होता है। मान्यवर, इस बजट को पढ़कर एक कहानी मुझे याद आई, एक बहुत बड़े सांख्यकी विशेषज्ञ थे, उनको एक बार अपने बच्चों के साथ नदी पार करनी थी तो उन्हें अपनी, अपने बच्चों की, अपनी पत्नी की लम्बाई का ज्ञान था, चूंकि सांख्यकी में औसत का बहुत महत्व होता है तो उन्होंने औसत निकाला और नदी की गहराई नापी तो उन्होंने कहा औसत ठीक है हम नदी पार कर सकते हैं, तो उन्होंने अपने बच्चों और पत्नी को भेज दिया कि नदी पार करो तो आगे जाकर पत्नी बच्चे नदी में डूब गये, फिर सांख्यकी विशेषज्ञ को अफसोस हुआ और कहने लगे कि हिसाब किताब ज्यों की त्यों कुनबा डूबा क्यों। मान्यवर, हिसाब किताब तो ठीक है, कुनबा यह सूबा है, इस सूबे के लोग पार होंगे या नहीं।

मान्यवर, लेकिन उसको धरातल पर ले जाने का सवाल आता है तो मान्यवर, इसमें कई कमियाँ नजर आती हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि आंकड़ों में जाने की आवश्यकता नहीं है। पहले यह देखने की आवश्यकता है कि इस बजट से हम आगे बढ़ेंगे या फिर उन्हीं आंकड़ों को बढ़ा कर इसी में उलझ जायेंगे। यह सबसे बड़ा सवाल है जो मैं आपके माध्यम से इस सदन में रखना चाहता हूँ। इससे पहले कि कुछ मुख्य बिन्दुओं पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करूँ। राज्य के आन्दोलनकारियों के सम्मान की बात जो इस अभिभाषण में कही गई है, मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ। हमारे साथी श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी जी ने जो बात रखी वह हमारी पार्टी का मत है और उन्होंने स्पष्ट तौर पर रखी है। मैं सरकार की जानकारी में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो अभिभाषण में कहा गया है उसकी प्रक्रिया क्या है और उसके क्रियान्वयन की बात आयेगी। यह कड़वा सत्य है, उसके लिए पैसा चाहिए। जिन नागरिकों के त्याग से, बलिदान से यह उत्तरांचल राज्य बना उनके लिए सरकार क्या करने जा रही है इसका उल्लेख कहीं इस महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि कुछ तहरीरें लिख देने से इन शहीदों का सम्मान नहीं होगा इसके लिए सरकार को पूरी तरह बजट के साथ आना चाहिए।

दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि रोजगार का सवाल है इस प्रदेश की लड़ाई लड़ने वाले हमारे नवयुवकों का, पहले भी विभिन्न मौकों पर हमने इस भावना को व्यक्त भी किया है। मान्यवर, उनका सपना था कि राज्य हासिल होगा तो हमारी बेरोजगारी का हल निकलेगा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कल जो भी आंकड़े रखे उन आंकड़ों को सुना और वह आंकड़े सही हो सकते हैं, आंकड़ों से आदमी की भावना को नहीं बदल सकते हैं अगर बदल भी लेंगे तो आदमी का भला होने वाला नहीं है। अगर इन आंकड़ों को अखबार में दे भी देंगे तो वह इन आंकड़ों को लेकर क्या करेंगे।

मान्यवर, बेरोजगारी का जवाब बेरोजगारी दूर करके दिया जा सकता है। मैं कहना चाहता हूँ कि हम कैसे बेरोजगारी दूर करेंगे, मैं केवल आन्दोलनकारियों की बात नहीं कर रहा हूँ। मान्यवर, कैसे हम बेरोजगारी दूर करेंगे। केवल सरकारी नौकरियाँ देने की बात हम नहीं कर रहे हैं। रोजगार देने की बात हम कर रहे हैं। कैसे मुहैया होगा, कैसे प्रयास होगा। किस-किस क्षेत्र में प्राथमिकताएँ बढ़ायेंगे, बजट बढ़ायेंगे। ताकि रोजगार के अवसर पैदा हो सकें। इस बजट भाषण में ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया। पूरा बजट भाषण पढ़ लें, इसमें रोजगार को केन्द्र में रखकर ऐसी कोई योजना कार्यान्वित हो रही है या कार्यान्वित की जानी है ऐसा नहीं लगता।

औद्योगिक विकास के बारे में उदाहरण देना चाहता हूँ। मान्यवर, औद्योगिक विकास के पीछे विकास दर बढ़ाना ही नहीं बल्कि इसका उद्देश्य रोजगार देना होना

चाहिए। बजट भाषण में भी और राज्यपाल के अभिभाषण में भी यह जरूर कहा गया है कि 750 करोड़ का विनिवेश प्रस्तावित है, संभावित है। लेकिन इसमें कितनी और इकाईयाँ आ गयी हैं और कितनी लगी हैं, किस दृष्टि से हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, कैसे उद्योग को आकर्षित करेंगे। ये सब चीजें हमारी सरकार की ओर से बेरोजगारी दूर करने के दृष्टिकोण में औद्योगिक विकास कैसे करेंगे ? इस पर कोई व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा पर्यटन की बात है। माननीय पर्यटन मंत्री जी बैठे हैं। हम इन मदों को इसलिए उल्लेख कर रहे हैं कि हमारे केन्द्र में बेरोजगारी की समस्या है। हमने पहले भी कहा है कि हम अपनी योजनाओं को इस प्रकार से जब तक संशोधित नहीं करेंगे, जिससे बेरोजगारों को रोजगार दिया जा सके, तब तक बहुत बड़ी विभीषिका यहाँ पैदा होगी। ऐसी स्थिति में जम्मू कश्मीर जैसी स्थिति यहाँ पर पनपने से आप रोक नहीं सकते। पर्यटन का जिक्र किया यह खुशी की बात है कि बहुत मास्टर प्लान बनाए हैं। मान्यवर, मास्टर प्लान बनाने के लिए आज कल कन्सल्टेंसी बहुत है, वे बहुत बढ़िया योजनाएं बना देती हैं। हमारी भी मजबूरी होती है जब आप मास्टर प्लान बनाते हैं उस समय अच्छी से अच्छी कन्सल्टेंसी देखते हैं। उसमें पैसा भी बहुत लगता है लेकिन उस पर अमल कैसे करें? मान्यवर, सवाल अमल का है। बहुत बढ़िया खाका बना दिया जायेगा लेकिन उसको कार्यान्वित कैसे करेंगे, तो क्या सरकार इस पर चिन्तित है?

मान्यवर, योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने में फर्क होता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम पर्यटन के द्वारा रोजगार भी उपलब्ध करा सकते हैं। मास्टर प्लान बनाते समय इसका भी ध्यान रखना चाहिए। सरकार को इसके लिए सामूहिक प्रयास करना चाहिए कि हमें बेरोजगारी दूर करनी है। लेकिन मान्यवर, ऐसी सोच दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। इसके अलावा उद्यान, वन उपज, कृषि विविधीकरण, जड़ी-बूटी, मत्स्य पालन कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनके माध्यम से हम स्वरोजगार दे सकते हैं। आमदनी बढ़ाई जा सकती है। लेकिन बजट में इसका उल्लेख नहीं किया गया है कि हम बेरोजगारों को कैसे समायोजित करेंगे, इसके लिए कोई दिशा नहीं दी गयी है।

मान्यवर, उद्यानों की बात है। माननीय उद्यान मंत्री जी यहाँ नहीं हैं। उद्यानों के निजीकरण की बात है। पहले तो हम निजीकरण के विरोधी थे। फिर हमने कहा कि इन्हें निजी क्षेत्र को देना ही है तो उस क्षेत्र के नौजवानों की समिति बनाकर उन्हें उद्यान दे दें, लेकिन सरकार ने नहीं सुना। सरकार ने बड़े-बड़े पूँजीपतियों को जाना, बड़े-बड़े एन०जी०ओ० को जाना। आज जिन लोगों को उद्यान दिये गये हैं। मैं नाम नहीं लूँगा। जिसे उद्यान मिला उसने मुझसे स्वयं कहा अगर मैं कुछ न करूँ केवल घास ही घास बेच दूँ तो जितना मैंने रेन्ट दिया उसका पाँच गुना इस घास को बेचकर प्राप्त हो जायेगा। मान्यवर, यह स्थिति है। कहा गया था कि स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जायेगा,

उनको प्रशिक्षण दिया जायेगा। लेकिन मान्यवर, ऐसा नहीं हुआ। मैं स्थानीय स्तर पर बेरोजगारी पर पुनः आना चाहता हूँ। बेरोजगारी के संदर्भ में इन उद्यानों का कैसे उपयोग हो यह सरकार को देखना चाहिए। बेरोजगारी दूर करने के लिए जिन संसाधनों का उपयोग किया जा सकता था उनको ही हमने दूर कर दिया है तो बेरोजगारी कैसे दूर होगी।

मान्यवर, ऊर्जा प्रदेश बनाने की बात है। मैं कहना चाहता हूं कि आपके पास ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा सम्भावनाएं हैं और हर बार यही बात है, पहले के मुख्यमंत्री जी भी कहते थे और आज के मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं, हमारे तमाम अधिकारी भी कहते हैं, ऊर्जा प्रदेश बनाने के लिए। तो आखिर कौन–सी वह परियोजनायें हैं, कौन–सी सोच है, किस तरह से यह योजनायें चल रही हैं, वे क्या अपना काम सही कर रही है, नई परियोजनायें जो हैं। वे किस रफ्तार से काम कर रही हैं, कौन–सी वृहद् परियोजनायें हैं, किस तरह से अपने संसाधनों को जुटायेंगे, मैं पुरानी बात संसाधन जुटाने की बात पर आ रहा हूं, तो इनका सबका एकत्रीकरण कर लिया जाय और ऐसा समग्र प्रयास सरकार नहीं कर रही है। एक–दो चीजें और कहना चाहता हूं। विद्युतीकरण की बात है, वह हो रहा है, आपने 2007 तक का लक्ष्य रखा है, लेकिन मैं आपको आगाह कर रहा हूं, कि जिस रफ्तार से यह विद्युतीकरण हो रहा है, उससे आप 2017 तक भी गांवों में विद्युतीकरण नहीं करा पायेंगे। आपको इसके लिए चुस्त–दुरुस्त रवैया अपनाना होगा, तभी आप हर गांव को विद्युतीकृत कर पायेंगे।

दूसरा एक और महत्वपूर्ण विषय है कुटीर ज्योति योजना का, इस पर विस्तार से कभी बाद में चर्चा करेंगे लेकिन एक बात है, यह तब शुरू की गई थी जब हम उत्तर प्रदेश में थे। एक बल्ब का कनेक्शन दिया गया था और यह निःशुल्क दिये गये थे। लेकिन हमारे उत्तरांचल राज्य के बनते ही 5–5, 8–8 और 12–12 हजार रुपये के बिल आने प्रारम्भ हो गये। हमारे माननीय सदस्य श्री चीमा जी ने ही इस प्रश्न को उठाया था। मेरे क्षेत्र के लोग जब इस समस्या को कहते हैं तो इस संबंध में मैंने माननीय नेता सदन से भी बात की थी और इसी सदन में उन्होंने कहा था कि हम इसे कैबिनेट में लेंगे। लेकिन इस पर कुछ नहीं हुआ, श्रीमन् जब मेरे क्षेत्र के लोग इस बारे में बात करते हैं तो मैंने उनसे कहा है कि जिसका भी बिल आये आप बिल्कुल भी उसका भुगतान नहीं करेंगे, हम आपके साथ हैं, अगर ऐसा हुआ तो मैं स्वयं आप लोगों के साथ धरना दूंगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय ऐरी जी, कृपया समाप्त करें।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैं स्वयं ही समय का ध्यान रख रहा हूँ और सचेत हूँ, मैं स्वयं समाप्ति की ओर जा रहा हूँ, थोड़ा सा आपका संरक्षण चाहूंगा। औद्योगिक विकास के बारे में कहना

चाहूंगा, एक सुझाव देना चाहता हूं अभी हमारे भाई निजामुद्दीन जी ने भी कहा था कि औद्योगिक क्षेत्रों का विकास होना चाहिए और हम भी स्वयं चाहते हैं कि हमारे हरिद्वार, देहरादून और ऊधमसिंह नगर में उद्योग विकसित किये जायें, वे औद्योगिक विकास के केन्द्र बनेंगे, यह जनपद हमारे लिए ग्रोथ सेन्टर हैं। सरकार अपनी सोच बदलें तो पर्वतीय क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए दो चीजों का ध्यान रखना होगा, पहला तो जो इनका इंसेंटिव है, उसे राज्य सरकार को बढ़ाना होगा। केन्द्र सरकार का तो अपना एक ही होता है लेकिन केन्द्र सरकार से मांग करें तो हिमालयी राज्यों के लिए केन्द्र सरकार विशेष सहायता दे सकती है। जो सुविधाएं राज्य सरकार दे सकती है, उन्हें देना चाहिए, जो सहयोग राज्य सरकार दे सकती है। औद्योगिकीकरण पर्वतीय क्षेत्रों में कराने के लिए देना चाहिए। दूसरा ऐसे उद्योग को चलाने के लिए ऐसे उद्योगों का विकास होना चाहिए जिसमें वोल्यूम कम लगे और वैल्यू ज्यादा हो, सामान कम लेंगे, वैल्यू ज्यादा हो "मच वैल्यू, लो वोल्यूम" का प्राविधान करके पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योग लग सकते हैं।

मान्यवर, परिवहन और सड़क की बात आई है अभी मैंने संक्षेप में ही बजट भाषण पढ़ा था, बजट में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बजट भाषण में कहा गया है कि इस वित्तीय वर्ष में 545 किलोमीटर मार्गों का नव निर्माण, 507 किलोमीटर मार्गों का पुनर्निमाण एवं सुधार तथा 87 सेतुओं के निर्माण का लक्ष्य है तथा 600 किलोमीटर लम्बाई में नवीनीकरण व 50 ग्रामों को सड़क मार्ग से जोड़ने का लक्ष्य है। मान्यवर, यह लक्ष्य है। राज्य सैक्टर के अन्तर्गत चालू निर्माण कार्यों के लिए 67 करोड़ रुपये व नये कार्यों के लिए 6 करोड़ रुपये का प्राविधान है। लक्ष्य आपका इतना बड़ा है, हजारों किलोमीटर का प्राविधान है और जो बजट है, वह मात्र 67 करोड़ और 6 करोड़ का है, तो इसको आप कैसे अमलीजामा पहनाएगे। यह देखने की बात है। मान्यवर, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं के निर्माण के लिए 74.97 करोड़, ग्रामीण पेयजल राज्य सेक्टर के लिए रु0 6 करोड़, त्वरित ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हेतु रु0 23 करोड़, सम्पूर्ण ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत रु0 10 करोड़ का प्राविधान है। मेरा कहना है कि पेयजल के लिए यह बजट कम है इसे और बढ़ाया जाय। मान्यवर, पर्यटन के बारे में पहले ही बता दिया है। मान्यवर, इन्दिरा आवासों के बारे में कहना चाहता हूं। जो भू-स्खलन वाले क्षेत्र हैं, वहां पर जो निर्बल आय वर्ग के आवास या इन्दिरा आवास हैं, इनके चयन और आवंटन में बहुत धांधली है। कोई भी माननीय सदस्य इसको महसूस कर सकता है। इसके लिए किसी भी विकास खण्ड को ले लीजिए, उसे सैम्पल बना कर देखें तो पात्र व्यक्तियों को यह मिल सकता है। इसमें व्यापक धांधली है।

अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष ने विधायक निधि बढ़ाने की बात कही। मेरे साथ माननीय हरीदास जी बैठे थे, उन्होंने कहा कि बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही इसे बढ़ा दिया है, यह 53.5 करोड़ है। मैंने कहा इसको भाग करके देख लीजिए, यह 75 लाख ही हैं। यह बढ़ा नहीं है। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इसको एक करोड़

कर दीजिए। मान्यवर, अगर इसे एक करोड़ कर दिया जायेगा तो जो काम हम करायेंगे वह दिखाई देगा और स्थाई काम होगा। अभी हम 75 लाख रुपये में खड़न्जा बिछवाते हैं या अन्य काम करते हैं तो वह बहुत जल्दी खराब हो जाता है। कार्यकर्ता भी नाराज रहता है कि पूरा पैसा नहीं मिला। अगर इसे बढ़ा दिया जाता है तो इससे हम सार्वजनिक हित के अन्य काम भी कर सकते हैं, जो दिखाई देंगे। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इसे एक करोड़ कर दिया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद।

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, बजट पर चर्चा हो रही है, मैं यह मानता हूं कि यह बजट उत्तरांचल के लोगों के लिए बहुत निराशाजनक है। मैं व्यक्तिगत रूप से यह बात सोचता हूं कि कम से कम यह बजट माननीय तिवारी जी का नहीं है लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि आज कल माननीय तिवारी जी अस्वस्थ हैं। तो किसी अधिकारी ने इसे तैयार किया होगा।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, यह आपत्तिजनक है। माननीय मुख्यमंत्री जी अस्वस्थ नहीं हैं। इसको प्रोसीडिंग से निकाल दिया जाय।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, यह बजट वास्तविकता से बहुत दूर है। यथार्थ से परे है। आज उत्तरांचल में किसान परेशान हैं, छात्र फीस बढ़ोत्तरी के कारण परेशान हैं, मरीज, चिकित्सा शुल्क बढ़ जाने के कारण परेशान हैं। सुदूर क्षेत्रों का व्यक्ति तो हर स्थिति से परेशान है। मूलभूत आवश्यकताएं भी वहां पर नहीं है। सड़क, बिजली, पानी एवं शिक्षा का नितान्त अभाव है। यदि बजट में कुछ ठीक है तो मैं कहूंगा इसमें कोई टैक्स नहीं बढ़ाया गया है। लेकिन मैं सोचता हूं कुछ कड़े फैसले सरकार द्वारा लिये जाने चाहिए थे। जो हमारे आर्थिक, धनोपार्जन के एसेट्स हैं, जो हमें–आर्थिक रूप से समृद्ध कर सकते हैं, तो उसके लिए प्रयास होने चाहिए थे। अगर कुछ टैक्स बढ़ाया भी जाता तो कोई बुरी बात नहीं थी। हमारी जो देनदारियां थी कम हो जाती।

मान्यवर, मैंने देखा है कि आवश्यकता के हिसाब से नहीं बल्कि किसी क्षेत्र विशेष को खुश करने के लिए नाबार्ड से ऋण ले लिया जाता है या फिर किसी और एजेन्सी से पैसा ले लिया जाता है, मैं इसका विरोध करता हूं। यह ऋण जो है हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अभिशाप है, वह हमेशा कर्ज के बोझ से दबी रहेगी। मान्यवर, बी०एच०ई०एल० को हरिद्वार को इण्डस्ट्री जोन बनाया गया है। कहा जा रहा है कि उद्योगपति वहां पर इण्डस्ट्री लगाने को तैयार हैं, आंकड़े भी हैं। डाबर, ब्रिटानिया जैसी कम्पनियां यहां आ रही हैं। यह कहा जा रहा है। मान्यवर बड़ी–बड़ी कम्पनियां हमारे पूर्वोत्तर के राज्य में चली जाती हैं, उनको उद्योग लगाने के लिए सुविधाएं मिलनी चाहिए। किन्तु जो हमारी

सिडकुल राज्य की एजेन्सी है उसका उद्योगों को बढ़ावा देने में बहुत योगदान है किन्तु उद्योगों को लगाने के लिए भारत से सरकार अनुमति लेनी होती है जिसके कारण बहुत से उद्योग लगभग 250 के करीब भारत सरकार में लम्बित है। उनके निराकरण के लिए सरकार द्वारा अपने स्तर से कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। उसमें ध्यान देने की आवश्यकता है।

कुटीर और लघु उद्योगों के लिए सरकार द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। उससे इस राज्य में अधिक समृद्धि आ सकती है। मैं संज्ञान में यह बात भी लाना चाहता हूँ कि सेंचुरी पेपर मिल तथा एच0एम0टी0 फैक्टरी है, जो प्राइवेट फैक्ट्रीज है यह तो तरक्की की राह पर अग्रसर है किन्तु सरकारी एजेंसी है वह घाटे पर है। इसकी क्या वजह है ? सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। मान्यवर, सितारगंज चीनी मिल 30 करोड़ के घाटे में है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि यहां पर कितनी मिलें ऐसी हैं, जो वर्तमान में फायदे में चल रही हैं।

मान्यवर, कल मैं यहाँ पर सुन रहा था कि माल्टा एवं आलू को पांच–पांच किलोमीटर से पैदल लाना पड़ता है। यदि हमने सुदूरवर्ती क्षेत्रों के लोगों की बातों को ध्यान में रखते हुए उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं किया तो राज्य का प्रगति करना मुश्किल है। यदि यह सरकार सोचती है कि सिर्फ ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल से ही राज्य का सर्वांगीण विकास हो जायेगा तो मैं समझता हूं यह सरकार की गलत धारणा है। उत्तरांचल की मुख्य समस्या यहाँ से जो हजारों नौजवान युवक, युवतियां रोजगार के लिए अन्यत्र पलायन करते हैं, उन्हें रोकना है। मान्यवर, इसी उद्‌देश्य से अलग राज्य का उदय हुआ था। परन्तु आज भी यह पलायन जारी है, क्योंकि यह सरकार रोजगार के साधन मुहैय्या नहीं करा पा रही है।

मान्यवर, कभी–कभी मैं सोचता हूं यह राज्य गरीब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सम्पदा की अपार सम्भावनायें हैं। यहां पर नानकमत्ता पर्यटन केन्द्र भी है, जो करोड़ों रुपया खर्च करके बना हुआ है। सरकार की अदूरदर्शिता के कारण यहाँ पर्यटक नहीं जाते हैं। आज भी यहाँ पर करीब 10 से 20 लाख तक की नावें पड़ी–पड़ी सड़ रही है। हमारे पास जड़ी–बूटी, जल विद्युत की सम्पत्ति है। यदि हम इसे महफूज रखें तो बहुत प्रगति कर सकते हैं। मान्यवर, पहाड़ों में जो छोटे–छोटे उद्योग हैं, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। कुछ अधिकारी कहते हैं पहाड़ में छोटी–छोटी चीजें बनती हैं, जिस सामान के लिए वे बताते हैं वह लाखों में होता है। इस पर खर्चा अधिक आता है और बाद में क्रेता नहीं मिलता है। मान्यवर, यह जरूरी नहीं है कि कोई विधायक या आई0ए0एस0 अधिकारी को सम्पूर्ण ज्ञान हो। हकीकत वही जान सकता है, जो प्रैक्टिकल करता है। आप किसी भी सचिव से जानकारी लें, जो योजनाएं उन्होंने बनायी हैं, उनमें कितना लाभ हुआ, मैं जानना चाहता हूँ।

बिजली व्यवस्था के बारे में कहना चाहता हूँ कि सितारगंज एवं नानकमत्ता में ऐसे अनेक घर हैं, जहाँ एक ही बल्ब जलता है, उनके यहां भी बिल अधिक आता है। आज कई उद्योग घाटे में चल रहे हैं। मान्यवर, मैं सितारगंज के बारे में कहना चाहता हूँ कि यहाँ सितम्बर, 2003 में बाढ़ आयी और मई–जून, 2004 में 2 करोड़ रुपया हमारे जिले को आवंटित हुआ, जिसमें 20–20 लाख रुपये सात विधायकों, जिलाधिकारियों आदि कुछ लोगों के हिस्से में आया फिर काम हुआ। सितारगंज क्षेत्र में काम के लिए वित्त कमेटी ने 13 लाख रुपया भेज दिया, 20 लाख रुपया पूरा का पूरा क्यों नहीं मिला ? क्योंकि उस कमेटी के जो लोग हैं उनको हम पैसा नहीं दे पाये, तो इसलिए 7 लाख रुपया कम किया है, आज वहां ठेकेदार परेशान हैं। मान्यवर, एक पुल 9 लाख से बनना था 5 लाख रुपया भेज दिया तो 4 लाख रुपया कहां से आयेगा। मान्यवर, उत्तरांचल में ऐसे एक नहीं हजारों उदाहरण होंगे। मान्यवर, इस बजट में सही है कि कोई टैक्स नहीं लगाया गया लेकिन हमारी जो देनदारी है उसका भी ध्यान रखना होगा। मान्यवर, आपको जानकारी होगी कि 1983 में 25 हजार स्वरोजगार योजना में लोन लेकर किया, अगर हम व्यवहारिक काम करेंगे तो सम्भव हो पायेगा, यदि ऐसे ही रहेगा तो भला होने वाला नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, हम करोड़ों रुपया अव्यवहारिक योजना में खर्च कर देते हैं। यहां रोजगार न बढ़ने की वजह से लोगों में पलायन बढ़ेगा। मान्यवर, आपसे संरक्षण चाहते हैं कि जो व्यवहारिक मामले हैं, उसमें आप पक्ष दें। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष के अभिभाषण से अपने आप को सम्बद्ध करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 2004–2005 के बजट अभिभाषण के अन्त में गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्तियां सुनाकर सदन को दिशा प्रदान किया उन पंक्तियों को मैं उद्धृत करना चाहता हूं—

"परहित बस जिन्ह के मन माहीं।

तिन्ह कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहीं।।"

इसका अर्थ माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कितना समझ पाये होंगे, वे बहुत विद्वान हैं और उसके बाद इस बजट भाषण में जिस प्रकार से अंकों की जादूगरी और शब्दों की बाजीगरी की गयी है। मान्यवर, मैं जब बैठकर पढ़ रहा था तो मैं बड़ा आश्चर्य चकित हो रहा था। मान्यवर, पीठ बड़ी थपथपाई जा रही है कि यह बजट अनुमान उत्तरांचल राज्य को दिशा देगा। श्रीमन्, मैं इस प्रदेश पर कुल ऋण के महायोग पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज जो कुल ऋण है उसका महायोग 60 अरब 37 करोड़ 26 लाख उन्नचास हजार है। मान्यवर, इतने बड़े कर्ज के बोझ से यह प्रदेश डूबता चला जा रहा है। श्रीमन्, यह विचार करने योग्य है।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा कि हम वित्तीय सुधार करने जा रहे हैं उनके शब्दों को मैं उद्धृत करने जा रहा हूँ "इसी संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा मध्यकालीन वित्तीय पुनर्संरचना नीति तैयार की गयी है, जिसमें एक रणनीति के तहत राजस्व आय में वृद्धि एवं व्यय में कमी कर प्रतिवर्ष राजस्व घाटे को कम करने का उद्देश्य रखा गया है।" मान्यवर, मैं इस वित्तीय सुधार कार्यक्रम की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वित्तीय सुधार कार्यक्रम इस सरकार का यह है कि 2002-2003 के वास्तविक आंकड़े प्राप्त हो गये हैं उनके कुल व्यय रु0 5085.06 करोड़ हैं और जो 2003-2004 का कुल व्यय रु0 8090.53 करोड़ हैं तथा 2003-2004 का पुनरीक्षित अनुमान आपका क्या था वह है रु0 8101.70 करोड़ का है, यही अनुमान इस वर्ष के लिए भी रखा गया है जो आठ माह का है वह है रु0 7865.39 हजार करोड़।

आप इन अनुमानों से स्वतः अनुमान लगा सकते हैं कि हम किस वित्तीय सुधार की ओर बढ़ रहे हैं। मान्यवर, जो राजस्व घाटा है, जो यह ग्राफ है वह निरन्तर बढ़ता हुआ दिख रहा है। यह चिन्ता की बात इसलिए है क्योंकि राजकोष सुधार सुविधा के अन्तर्गत भारत सरकार प्रोत्साहन नीति से धनराशि, तभी प्राप्त हो पायेगी जब घाटे की प्रवृत्ति कम हो पायेगी। साथ में हमारे वेतन भत्ते, मजदूरी अधिष्ठान व्यय है उसमें कमी आयेगी। इसमें कमी आयेगी इसे मुख्यमंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं। मान्यवर, यह बजट भाषण पिछले बजट भाषण की कापी है, इसमें वित्तीय स्थिति और भी खराब होती चली गयी। इस समय जो हमारी आमदनी है उस आमदनी का बहुत बड़ा भाग हमें केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त होता है। केन्द्र सरकार अपनी सहायता के माध्यम से हमारे इस प्रदेश की वित्तीय स्थिति को सम्भाले हैं।

मान्यवर, जो कर, राजस्व की बेहतरी के लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और माननीय सदस्य नारायण पाल जी ने अपने भाषण से राजस्व के बारे में अवगत कराया कि कुछ न कुछ इस राज्य की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिये होना चाहिए जिससे कि हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें। मान्यवर, इसमें घोषणाएं तो बहुत की गयी। जो यहाँ, नई मदों का उल्लेख इसमें किया गया है उनमें से कई ऐसी मदें हैं जिसको हम बाद में विभागवार चर्चा करेंगे। उस समय समीक्षा करेंगे यह केवल खोखली घोषणा की है। यह तो सत्य है कि बिना कर्ज के कोई राज्य नहीं चल सकता है लेकिन जिस प्रकार से राज्य में राजस्व लेखों की 2003-2004 का पुनरीक्षित आंकड़ा है हमारा 2003-2004 में 5613.26 करोड़ रुपया और इस वर्ष का बजट रु0 5863.58 करोड़ अगर इसमें हम चार महीने के पुनरीक्षित अनुमान को और जोड़ दें तो न जाने यह कितने का आंकड़ा पार कर जायेगा। मैंने पूछा है, हमारा प्रश्न लगा है, उस समय सरकार को जवाब देना होगा। आज वास्तव में प्रदेश की वित्तीय स्थिति क्या है उसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसे प्रयोग नहीं किए गए जिससे कि इस प्रदेश की वित्तीय स्थिति सुधर जाए।

मान्यवर, अवस्थापना विकास की बात कही इसमें 5% पेट्रोल, डीजल पर टैक्स लगाकर अवस्थापना विकास निधि का प्राविधान किया गया जिसमें 67 करोड़ रुपये का प्राविधान है लेकिन अब इसको 20 करोड रुपया कर दिया गया। आपने जो 5% टैक्स लगाकर 67 करोड का प्राविधान किया वह पैसा कहाँ गया इसकी कोई जानकारी नहीं है। समाचार पत्रों के माध्यम से इसकी जानकारी मिली है। मान्यवर, तेल क्रय से राजस्व में कमी आई है, कहीं ऐसा तो नहीं राज्य में जितना तेल क्रय किया जाता था, वह पड़ोसी राज्य से तो नहीं क्रय किया जा रहा है। इस प्रकार यहाँ कथनी और करनी में अंतर दर्शाता है। जल विद्युत परियोजनाओं की बात हम इस प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश के नाम से जानते हैं। ये जल विद्युत परियोजनायें हमारे प्रदेश की रीढ़ की हड्डी हैं। मान्यवर, छोटी-छोटी परियोजनाएं यहाँ पर लगानी चाहिए। यहाँ भी अच्छे-अच्छे उद्योगपति हैं, ऐसा प्राविधान किया जाना चाहिए। यहीं के उद्योगपति इस पर धन लगाकर इस प्रदेश का राजस्व बढ़ा सकते हैं। हमारे चीमा जी बैठे हैं।

मान्यवर, इस समय उत्तरांचल में एक और आंकड़ा, जैसा कि मैंने कहा यह आंकड़ों का खेल और शब्दों की बाजीगरी है, इसमें प्लान के लिए 28 अरब 19 करोड़ 91 लाख 28 हजार रुपये का प्राविधान किया गया है और नॉन प्लान के लिए बजट कितना बढ़ा है इसका भी जिक्र किया गया है, यह है 50 अरब 45 करोड़ 47 लाख 70 हजार रुपये। मान्यवर, इसका मतलब यह कि आयोजनेत्तर व्यय में कतई सुधार नहीं हो पाया है। हम आयोजनेत्तर व्यय बढ़ाते चले जा रहे हैं। माननीय नेता सदन ने जिक्र किया है कि 370 कार्यकर्ताओं को सुविधाएं प्रदान कर दी गई है। विभिन्न जगहों से नामित करके।

श्री अध्यक्ष–

समय हो गया है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, ऋण बदली कार्यक्रम भी बताया गया जिसमें एक जगह से ऋण लेकर दूसरे को देते हैं। ठीक है, यह एक प्रक्रिया है। जैसे माननीय चीमा जी से कम ब्याज पर पैसा लिया और माननीय ऐरी जी को दे दिया। इस बजट में राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने के प्रयास नहीं किये गये हैं। वह भी ऐसे प्रदेश में जहाँ भारत वर्ष के जाने-माने अर्थशास्त्री माननीय मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जी के मुख्यमंत्रित्व काल में कम से कम ऐसे बजट अनुमान आने चाहिए थे जिससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधरती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हमें निराशा ही हाथ लगी है। यह घाटे का बजट है। अभी विभागवार बजट आयेगा। यहाँ की वित्तीय स्थिति सुधरे, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए और यह राज्य इसी आशा एवं विश्वास के साथ चल रहा है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री प्रकाश पंत–

श्रीमन्, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से अपने को सम्बद्ध करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा जारी रहेगी।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाऐं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 51 के अन्तर्गत श्री प्रीतम सिंह पंवार, श्री नारायण पाल, श्री नारायण सिंह जन्तवाल, श्रीमती विजय बड़थ्वाल तथा श्री प्रकाश पंत जी की कुल 5 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में कर्मचारियों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री नारायण सिंह जन्तवाल द्वारा दी गयी सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। शेष सूचनाएं स्वीकार की गयीं।

जनपद टिहरी के ताली पंवाली कांठा में वज्रपात होने से भेड़ बकरियों की अकाल मृत्यु से भेड़ पालकों को हुए नुकसान का मुआवजा एवं सहायता राशि दिये जाने के सम्बन्ध में श्री बलबीर सिंह नेगी, सदस्य विधान सभा द्वारा दी गई सूचना पर वक्तव्य

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री नव प्रभात)–

[ग्राम गंगी में 17 परिवारों की 181 तथा तीन परिवार जो हिमाचल प्रदेश के निवासी थे, उनकी 45 भेड़–बकरियों की मृत्यु हुई। इस प्रकार 20 परिवारों की कुल 226 भेड़–बकरियों की मृत्यु दिनांक 29–4–2004 को वज्रपात होने के कारण हुई। टिहरी गढ़वाल जनपद के 17 परिवारों को उनकी 181 भेड़–बकरियों की मृत्यु पर कुल 74,368.00 रुपये की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है, जिसका प्रभावित परिवारों को वितरण तहसीलदार, घनसाली, जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा किया जा रहा है।]

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

धारी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पेयजल हेतु नलकूप तथा पेयजल लाइन का कार्य प्रारम्भ न होने के सम्बन्ध में श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गई सूचना पर केवल वक्तव्य

श्री नव प्रभात–

[1–मोतीनगर नलकूप :–मोतीनगर नलकूप पेयजल योजना का प्राक्कलन अनुमानित लागत रु0 99.54 लाख विरचित किया जा चुका है। इस योजना के अन्तर्गत 1 नग नलकूप, 1 नग उच्च जलाशय तथा 3.5 कि0मी0 पाइप लाइन के कार्य प्रस्तावित हैं। नलकूप निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है तथा रु0 10.00 लाख की धनराशि अवमुक्त हो चुकी है। नलकूप निर्माण का कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ किया जा रहा है।

2–फुटकुवाँ नलकूप :–फुटकुवाँ में नलकूप निर्माण का कार्य चालू वित्तीय वर्ष में जिलायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित हैं। नलकूप निर्माण, हेतु भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। वर्तमान में फुटकुवाँ क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था हेतु निर्माणाधीन धौलाखेड़ा देवलचौड़ जोन पुनर्गठन पेयजल योजना अनुमानित लागत रु0 94.42 के अन्तर्गत फुटकुवाँ में उच्च जलाशय के निर्माण हेतु निविदायें आमंत्रित की जा चुकी हैं तथा शीघ्र ही उच्च जलाशय का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। निर्माणाधीन योजना के अन्तर्गत देवलचौड़ में निर्मित नलकूप से फुटकुवाँ उच्च जलाशय स्थल तक लगभग 3 कि0मी0 पाइप लाइन बिछायी जा चुकी है। फुटकुवाँ में नलकूप निर्माण होने तक देवलचौड़ में निर्मित नलकूप से पेयजल आपूर्ति की जायेगी।

3–खेड़ा नलकूप :–खेड़ा नलकूप निर्माण का कार्य चालू वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। नलकूप स्थल का चयन किया जा चुका है तथा विस्तृत प्राक्कलन विरचन की कार्यवाही प्रगति पर है।

4–गौजाजाली पेयजल नलकूप तथा लटूरी बाबा आश्रम से पेयजल लाइन :–लटूरी बाबा आश्रम हल्द्वानी पुनर्गठन पेयजल योजना के अंतर्गत 1 नग नलकूप तथा 10 कि0मी0 पाइप लाइन बिछाये जाने के कार्य प्रस्तावित है तथा प्रारम्भिक प्राक्कलन अनुमानित लागत रु0 268.00 लाख विरचित किया जा चुका है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर उक्त योजना की स्वीकृति की कार्यवाही की जा सकेगी। तुरन्त राहत हेतु लटूरी बाबा आश्रम में निर्मित ट्यूबवेल से तीनपानी तक लगभग 2 कि0मी0 पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु विस्तृत प्राक्कलन विरचन की कार्यवाही की जा रही है।]

नोट– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, आज प्रातः प्रश्न काल के दौरान माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह पंवार द्वारा पूछे गये अल्पसूचित प्रश्न संख्या–1 पर चर्चा के दौरान माननीय सदस्य श्री किशोर उपाध्याय द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा था कि आज शाम तक सूचना उपलब्ध करा दूँगा। मैं वह सूचना पढ़कर सुना रहा हूँ।

मान्यवर, जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड थौलधार के 10 ग्रामों में 214 बी0पी0एल0 परिवारों का बेसलाइन सर्वेक्षण किया गया है। इन लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा कमान्द में प्रशिक्षण केन्द्र के विषय में अवगत कराया गया कि "प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र हेतु चयनित स्थान कमान्द में किराये पर उपयुक्त भवन उपलब्ध नहीं है। प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र हेतु विकास खण्ड मुख्यालय स्थित भवन का उपयोग किया जा सकता है परन्तु चयनित ग्रामों की विकास खण्ड मुख्यालय से दूरी अधिक होने एवं परियोजना के अन्तर्गत चयनित लाभार्थियों की परिवहन व्यवस्था न होने के कारण यह संभव नहीं है।"

इस सन्दर्भ में प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त भवन का कमान्द अथवा चयनित ग्रामों के समीप चयन करने हेतु जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल से आख्या माँगी गयी है। उपयुक्त भवन के उपलब्ध होते ही प्रशिक्षण प्रक्रिया प्रारम्भ की जानी है।

श्री अध्यक्ष–

अब हम दिनांक 26 जुलाई, 2004 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन अपराह्न 6 बजकर 41 मिनट पर सोमवार, दिनांक 26 जुलाई, 2004 को दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुआ।)

देहरादून
दिनांक : 23 जुलाई, 2004

महेश चन्द्र,
सचिव,
विधान सभा, उत्तरांचल।

नत्थी 'क'

(देखिये अता०प्र०सं० 33 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं० 40 पर)

मृदा एवं जल संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी में क्रियान्वित विकास खण्ड एवं क्षेत्र

क्र०सं०	योजना का नाम	विकास खण्ड	ग्राम/जल समेट का नाम
1.	जिला योजना	भटवाड़ी	माण्डो
2.			मकोली
3.			कामर
4.			मानपुर
5.			जसपुर
6.			कुजन
7.			उत्तरौ
8.			कोटियाल गांव
9.			बोंगा
10.	जिला योजना	डुण्डा	घट्टू खाला
11.			कैडीगाड
12.			ईड
13.			बगसारी
14.			जिनेथ
15.			पैंथर
16.			बडेथ
17.			सिलक्यारा
18.	जिला योजना	चिन्यालीसौड़	बदाल्डा
19.			मंगाण गांव
20.			बघाण गांव
21.			छोटी मणी
22.			कुमराड़ा
23.			सेरा गडोली
24.	जिला योजना	नौगांव	ब्याली आड्रे
25.			खण्ड घटका नागे तोक

क्र0सं0	योजना का नाम	विकास खण्ड	ग्राम/जल समेट का नाम
26.			गंगटाडी
27.			मुराडी
28.			क्वाडी
29.			थलीसाडा
30.			कुँवा
31.	जिला योजना	पुरोला।	अन्साली खड्ड
32.			सुनाली
33.			अंगोड़ा
34.			राटा नामेतोक पुरोला
35.			मन्देली
36.			गुन्दियाड गांव
37.	जिला योजना	मोरी	थली खाने नामे तोक
38.			सरास
39.			आराकोट
40.			बरनाली ग्राम के नीचे सुरक्षा दीवार
41.			मोरी बाजार
42.			लुदराला

क्र0सं0	योजना का नाम	विकास खण्ड	ग्राम/जल समेट का नाम
1.	राष्ट्रीय जलागम	भटवाड़ी	गवाणा नेताला गाड
2.			पांगरी कुमाल्टी गाड
3.		डुण्डा	खुरमोला गाड लोअर-1
4.			खुरमोला गाड लोअर-2
5.		चिन्याली सौड़	श्री कोट गाड
6.			अन्थौनी गाड
7.		मोरी	टौंस राइट किनारा-1
8.			टौंस राइट किनारा-2
9.		पुरोला	कमलगाड नौरी गाड-1
10.			कमलगाड नौरी गाड-2
11.		बड़कोट	यमुना घाटी-1
12.			यमुना घाटी-2

क्र0सं0	योजना का नाम	विकास खण्ड	ग्राम/जल समेट का नाम
1.	समेकित बंजर भूमि विकास योजना	मटवाडी	लोहाडी नागदीन गाड
2.			पिलंग गाड
3.		डुण्डा	स्यालम गाड
4.			सुपिन अपर

क्र0सं0	योजना का नाम	विकास खण्ड	ग्राम/जल समेट का नाम
1.	जल सम्भरण	डुण्डा	गैनोटी
2.			वाण
3.			मझगांव
4.			जसपुर
5.			छनरौली
6.			जौनर
7.			पैथर
8.			बाडैथ

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 2 विधान सभा/214–19–7–2006–200 प्रतियां (कम्प्यू0/रीजियो)।